दैनिक नवप्रदेश
आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्
प्रदेश के साथ पूरा देश...
www.navpradesh.com | रायपुर, गुरुवार 5 नवम्बर 2020, कार्तिक कृष्ण पक्ष-पंचमी, विक्रम संवत-2077 वर्ष-09 अंक-264 पृष्ठ-08 मूल्य-3 रुपए | छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, झारखंड, से एक साथ प्रकाशित

आज बेबाक

वाकई यह हैरत की बात है कि स्विस बैंक में एक साल में ही भारतीयों का पैसा 50 प्रतिशत तक बढ़ गया है। पीएम मोदी ने न खाऊंगा, ना खाने दूंगा का ऐलान किया था, इसके बावजूद देश में खाओ और खाने दो की नीति बदस्तूर चल रही है। तभी तो स्विस बैंक में काला धन बढ़ता ही जा रहा है। स्विस बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 2017 में भारतीयों के खाते में सर्वाधिक सात हजार करोड़ रुपए जमा हुए। हालांकि तीन वर्षों तक इसमें छह प्रतिशत की कमी आई है। मतलब काला धन लगातार बढ़ रहा है। जय हो भारतीय नोटतंत्र की।

मरवाही उपचुनाव 2020 : सर्वाधिक मतदान खमली खुर्द तो सबसे कम डाही में हुआ

बीते विस चुनाव से 3% कम, बीते लोस चुनाव से 3% ज्यादा वोटिंग

■ **खमली खुर्द में 93.84 तो डाही मतदान केंद्र में सिर्फ 58 फीसदी वोटिंग**

नव प्रदेश संवाददाता

रायपुर/मरवाही। छत्तीसगढ़ के सबसे चर्चित उपचुनाव में मरवाही विधानसभा का नाम दर्ज हो गया है। इस हाईप्रोफाइल उपचुनाव में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले के निर्देशन में पूरी तरह पारदर्शी और शांतिपूर्ण रहा। मतदान के बाद अब मतगणना की तैयारियां भी कर ली गई हैं। मरवाही में मतदान के अनंतिम आंकड़े आज सार्वजनिक हुए। जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक मरवाही उपचुनाव में कुल 77.89 प्रतिशत मतदान हुआ। यह मतदान प्रतिशत की तुलना यदि बीते विधानसभा चुनाव से करें तो यह आँकड़ा ■ शेष पृष्ठ 6 पर

जीत के दावे-प्रति दावे

मरवाही उप चुनाव में हुए मतदान को लेकर दावे प्रतिदावे हैं, भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही इस मतदान को अपने पक्ष में बताया है। जबकि छजका अध्यक्ष अमित जोगी ने दावा किया है कि, कांग्रेस की जमानत जप्त होगी। अमित जोगी ने 19 मतदान केंद्रों में कांग्रेस की बढ़त जबकि तीन मतदान केंद्रों पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की बढ़त के साथ शेष 271 मतदान केंद्रों में छजका भाजपा के बढ़त का दावा किया है।

मतदान 77.89 प्रति.रहा

विधानसभा मरवाही उप निर्वाचन 2020 के अंतर्गत 3 नवंबर को हुए मतदान का अंतिम प्रतिशत 77.89 प्रतिवेदित किया गया है। इसके अंतर्गत 79. 69 पुरुषों के मतदान का प्रतिशत बताया गया है। और 76.20 महिलाओं के मतदान का प्रतिशत बताया गया है। वहीं 75 प्रतिशत थर्ड जेंडर के मतदान का प्रतिशत बताया गया है। इस प्रकार कुल 77.89 प्रतिशत मतदान का अंतिम प्रतिशत प्रतिवेदित किया गया है।

मरवाही : महिला बहुल क्षेत्र में थी कई तरह की चुनौतियां

भावनाएं, सहानुभूति के रणक्षेत्र को महिला सीईओ ने बखूबी सम्हाला

सुकांत राजपूत

■ **237 मतदान केंद्रों में से 178 पर महिला मतदाता पुरुषों से ज्यादा रही**

रायपुर। सूबे के अब तक के बीते सभी विधानसभा उपचुनावों में से सबसे सक्रिय सियासी केंद्र बन गई मरवाही सीट में जितनी आसानी से मतदान हो गया, वह उतना आसान नहीं था। इस हाई प्रोफाइल सीट में जीत कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए नाक की बात है। इसी तरह इसके पूर्व के सियासी इतिहास के मद्देनजर कहीं ज्यादा चुनौतियां मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले के लिए भी थीं। महिला होने के नाते भी महिला बहुल मतदाता वाले विधानसभा क्षेत्र में पूरी पारदर्शिता, सुरक्षा के साथ शांतिपूर्ण मतदान संपन्न करवाने में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कामयाब रहीं। सूबे की पहली महिला मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी होने के बावजूद भी उनकी कार्यक्षमता का ही नतीजा है कि बिना किसी बाधाओ के मतदान निर्धारित समय पर हुआ । दूसरी बड़ी चुनौती थी कोरोना संक्रमण के बीच मरवाही विधानसभा क्षेत्र में रसूखदार परिवार की भावनाओ, सहानुभूति के इस रणक्षेत्र में बड़ी तो दूर एक भी छुटपुट हिंसा के तय वक्त पर मतदान करवाया। मरवाही उप चुनाव में वह वर्ग बतौर मतदाता निर्णायक है जो कि भावना प्रधान ही होता है। मरवाही में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। पूरे मरवाही विधानसभा में महिला मतदाता पुरुष मतदाता से 3.61 फीसदी ज्यादा हैं। इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मरवाही विधानसभा में कुल 237 मतदान केंद्र हैं। इन मतदान केंद्रों में 178 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां महिला मतदाता की संख्या पुरुष मतदाता से अधिक है। पुरुष मतदाता केवल 59 मतदान केंद्रों पर महिलाओं से ज्यादा हैं। मरवाही उप चुनाव अजीत जोगी के निधन के बाद लड़ा जा रहा है। ऐसे में स्वभाविक है कि भावनाओं की लहरें उफान पर थीं। फिर वैसे भी महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा भावना प्रधान होती हैं। खैर...मरवाही उपचुनाव बिना व्यवधान के शांतिपूर्ण संपन्न करवाने का श्रेय सीईओ श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले के साथ सुरक्षा, व्यवस्था और उन सभी मतदान दल के कर्मियों की कर्मठता को जाता है।

सुहाग बना रहे

होटल सेलिब्रेशन में करवा चौथ पर पति की दीघार्यु की कामना कर पूजा की सुहागिनों ने।

खास- खबर

माननीयों के आपराधिक मामलों में केंद्र के रवैये से सुप्रीम कोर्ट नाराज

नई दिल्ली (वार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने सांसद/ विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों में सुनवाई पूरी करने के लिए कुछ आदेश पारित करने के बुधवार को संकेत दिये। न्यायमूर्ति एन वी रमना की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दूसरे मामले में व्यस्तता की वजह से सुनवाई टालने की मांग की। लेकिन खंडपीठ ने केंद्र द्वारा जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं करने पर नाराजगी जताई।

सेनाओं की पेंशन में कमी और सेवानिवृति की उम्र बढ़ाने का प्रस्ताव

नई दिल्ली (वार्ता)। सैन्य मामलों का विभाग सशस्त्र सेनाओं में निर्धारित समय से पहले सेवानिवृत होने वालों की पेंशन में कमी करने तथा अधिकारियों की सेवानिवृत होने की उम्र बढाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। नये प्रस्ताव के अनुसार सेना में कर्नल, ब्रिगेडियर और मेजर जनरल तथा नौसेना और वायु सेना में उनके समकक्षों के सेवानिवृत होने की आयु क्रमश 57, 58 और 59 वर्ष होगी। अभी यह आयु सीमा क्रमश 54, 56 और 58 वर्ष है।

तीन दिन की यात्रा पर नेपाल पहुंचे सेना प्रमुख

नई दिल्ली (वार्ता)। सेना प्रमुख जनरल एम एम नरवणे तीन दिन की यात्रा पर नेपाल पहुंचे। जनरल नरवणे को गुरूवार को दोनों देशों की सेनाओं की परंपरा के अनुसार नेपाल की सेना के जनरल की उपाधि दी जायेगी। भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद और कुछ अन्य मुद्दों पर पैदा हुए मतभेदों के बीच हो रही इस यात्रा को काफी महतवपूर्ण माना जा रहा है।

शेयर बाजार

सेंसेक्स- 40616.14
निफ्टी- 11908.50
गोल्ड- 51411 (10 ग्रा.)
सिल्वर- 62116 (1 कि ग्रा.)

सीबीएसई की सीटेट परीक्षा 31 जनवरी को

नई दिल्ली (वार्ता)। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की ओर से प्रशासनिक कार्यों की वजह से स्थगित की गयी 14वीं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटेट) अब 31 जनवरी 2021 को आयोजित की जायेगी। इस संबंध में सीबीएसई ने बुधवार को नोटिफिक्केशन जारी किया है। कोरोना वायरस महामारी के बीच सामाजिक दूरी तथा अन्य सुरक्षा उपायों को बनाये रखने के लिये सीबीएसई की ओर से अब 135 शहरों में सीटेट परीक्षा का आयोजन किया जायेगा, जबकि इससे पहले पांच जुलाई 2020 को 112 शहरों में इसका आयोजन किया जाना था। नये शहरों की सूची में लखीमपुर, नौगांव, बेगूसराय, गोपालगंज, पूर्णिया, रोहताश, सहरसा, सारण, भिलाई/ दुर्ग, बिलासपुर, हजारीबाग, जमशेदपुर, लुधियाना, अंबेडकर नगर, बिजनौर, बुलंदशहर, देवरिया, गोंडा, मैनपुरी, प्रतापगढ़, शाहजहांपुर, सीतापुर तथा उधम सिंह नगर शामिल है। सीबीएसई ने नोटिफिक्केशन में कहा कोरोना वायरस महामारी के कारण परीक्षार्थियों को होने वाली परेशानी को देखते हुये उन्हें शहर चुनने के विकल्प में सुधार के लिये एक मौका देने का निर्णय लिया गया है। वे सात से 16 नवंबर तक ऑनलाइन ही अपने विकल्प में सुधार कर सकते हैं।

स्पंज आयरन एवं स्टील सेक्टर के उद्योगों के लिए राज्य सरकार ने घोषित किया विशेष पैकेज

■ **क्षेत्रवार छूट की सीमा 60 प्रतिशत से 150 प्रतिशत तक की गई**

रायपुर (नव प्रदेश)। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लिए गए दूरदर्शितापूर्ण निर्णयों से कोरोना संकट काल में भी छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास को गति मिली है। छत्तीसगढ़ सरकार की नई औद्योगिक नीति के तहत अब इस्पात (स्पंज आयरन एण्ड स्टील) क्षेत्र के मेगा अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट में निवेश हेतु विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज देने का निर्णय लिया गया।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा मेगा निवेशकों के लिए घोषित किए गए पैकेज में अधितम 500 करोड़ रूपए तक का निवेश प्रोत्साहन (बस्तर संभाग हेतु 1000 करोड़ तक) मान्य होगा। इसके लिए प्रस्तावित इकाईयों को 31 अक्टूबर 2024 को अथवा उसके पूर्व व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ करना जरूरी होगा। इसी तरह 100 करोड़ रू. का ■ शेष पृष्ठ 6 पर

लुहरी जलविद्युत परियोजना के लिए 1810 करोड़ की मंजूरी

नई दिल्ली (वार्ता)। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर 210 मेगावाट की लुहरी जलविद्युत परियोजना के प्रथम चरण के लिए 1810 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि इस परियोजना से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और लोगों के जीवन स्तर पर सुधार होगा। स्थानीय स्तर पर दो हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने बताया कि यह परियोजना 62 महीनों में पूरी की जाएगी और इससे 6.1 लाख टन कार्बन डाईआक्साइड का उत्सर्जन घटाने में मदद मिलेगी।

आत्मनिर्भर बिहार बनाना हमारा लक्ष्य : मोदी

नई दिल्ली (वार्ता)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का लक्ष्य बिहार को आत्मनिर्भर बनाना, कानून का राज बनाये रखना और सभी को समान अवसर मुहैया कराना है। राज्य में हो रहे विधानसभा चुनाव का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए आज कहा, आत्मनिर्भर बिहार में...हमारा लक्ष्य है- कानून का राज बनाए रखना, हमारा उद्देश्य है- गरीबों का कल्याण,हमारा मिशन है - युवाओं को अवसर, महिलाओं की सुरक्षा, हमारा मंत्र है- सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वासजय बिहार, जय भारत! अगले ट्विट में उन्होंने कहा, विकास का सबसे बड़ा दुश्मन भ्रष्टाचार है। यह गरीबों से उनका अधिकार छीनता है। बैंक खातों, आधार और मोबाइल ■ शेष पृष्ठ 6 पर

प्रवासी मजदूरों के साथ मोदी-नीतीश सरकार की बर्बरता थी शर्मनाक : राहुल

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार विधानसभा के अंतिम चरण के चुनाव से पहले बुधवार को लॉकडाउन में प्रवासी श्रमिकों को हुई पीड़ा का वीडियो जारी कर मतदाताओं को आकर्षित करने का प्रयास करते हुए कहा कि मोदी-नीतीश सरकारों ने प्रवासी कामगारों के साथ जो बर्बरता की वह बेहद शर्मनाक थी।

अहमदाबाद : कपड़े के गोदाम में लगी आग, 9 की मौत

अहमदाबाद (वार्ता)। गुजरात में अहमदाबाद शहर के नारोल क्षेत्र में बुधवार को एक कपड़े के गोदाम में भीषण आग लग गयी जिसमें नौ लोगों की मौत हो गयी तथा चार अन्य झुलस गए जबकि चार और घायल हो गए। अग्निशमन अधिकारी मिथुन मिस्त्री ने बताया कि पिराणा रोड़ पर नानु काका के कपड़े के गोदाम में आज सुबह अचानक भीषण आग लग गयी। पौने बारह बजे सूचना मिलते ही 25 दमकलों के साथ दमकल कर्मी मौके पर पहुंच गए। करीब पांच घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन इस दौरान वहां केमिकल के ड्रम में हुए विस्फोट से आसपास की तीन से चार फैक्ट्रियों की छत गिर गयी जिससे गंभीर रूप से झुलसे और अन्य लोग मलबे में दब गये। इस हादसे में कुल 17 लोग घायल हो गए। सभी को एल जी अस्पताल भेजा गया। छत का मलबा हटाया जा रहा है। मलबा हटाने के बाद ही पता चल पाएगा कि अंदर और कितने लोग दबे हुए हैं।

कुशीनगर : पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से चार की मौत

कुशीनगर (वार्ता)। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के कप्तानगंज कस्बे में सुबह करीब 7 बजे एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में आग लग गयी जिसमें झुलस कर चार लोगों की मौत हो गई और बारह जख्मी हो गये। गोदाम में लगी आग के कारण पटाखों के विस्फोट से सुबह-सुबह ही पूरा कस्बा दहल उठा। सूचना पाकर दमकल की गाड़ियां भी आग बुझाने पहुंच गईं लेकिन तब तक आग और उससे होने वाले विस्फोट के कारण अगल-बगल के कई मकान भी इसकी चपेट में आ गए थे। आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड की टीम को तीन घण्टे लग गए।

जाको राखे साईंयां

तुर्की : भूकंप से अब तक 114 लोगों की मौत

अंकारा, (वार्ता)। तुर्की के इजमिर प्रांत में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 114 हो गयी है। तुर्की के आपदा एवं आपातकालीन प्रबंधन प्राधिकरण (एएफएडी) ने बुधवार को यह जानकारी दी। एएफएडी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में जानकारी दी, हालिया सूचना के अनुसार भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़ कर 114 हो गई है। भूकंप में 1,035 लोग घायल हुये हैं जिनमें से 137 लोग अभी भी अस्पतालों में भर्ती हैं। एएफएडी के अनुसार भूकंप के कारण ढह गई इमारतों के मलबे में तलाश एवं बचाव अभियान जारी है। गौरतलब है कि तुर्की के इजमिर प्रांत में शुक्रवार को रिक्टर पैमाने पर 6.6 तीव्रता का भूकंप आया था जिसमें कम से कम 20 इमारतें ढह गई थीं।

शिवास्त्र | भारत के दुश्मनों से लोहा लेने के लिए देश की रक्षा एजेंसियां लगातार कामयाब परीक्षण कर रही हैं

डीआरडीओ ने चांदीपुर में किया एडवांस पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण

नई दिल्ली ए.। गलवान घाटी में धोखेबाजी करने वाले चीन को सबक सिखाने के लिए भारत हर स्तर पर तैयार है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती से लेकर हिंद महासागर में नौसेना के बेड़े को बढ़ाने तक, जल-थल और नभ में भारत ने जिस तरह अपनी शक्ति को स्थापित किया है। उससे पार पाना भी चीन के लिए बिल्कुल आसान नहीं होगा। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से निर्मित पिनाका गाइडेड रॉकेट लांच सिस्टम के अपग्रेड संस्करण का ओडिशा के समुद्री तट पर शुक्रवार को भी सफल परीक्षण किया गया। इस दौरान परीक्षण के लिए तय किए गए सभी मानक सफलतापूर्वक हासिल किए गए।

भगवान शिव के धनुष की तर्ज पर रखा गया नाम

इस रॉकेट के इसी साल मार्च में राजस्थान की पोखरण टेस्ट रेंज में भी तीन सफल परीक्षण किए गए थे। अब यहां भी परीक्षण की सफलता को सेना की आर्टिलरी क्षमता बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। भगवान शिव के धनुष 'पिनाक' के नाम पर डेवलप किए गए इस मिसाइल सिस्टम को भारत और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर तैनात करने के मकसद से बनाया गया है।

दरअसल पिनाक सिस्टम की एक बैटरी में छह लॉन्च वेहिकल होते हैं, साथ ही लोडर सिस्टम, रडार और लिंक विद नेटवर्क सिस्टम और एक कमांड पोस्ट होती है। पिनाका के सफल परीक्षण के साथ, भारत ने अब तक दो महीनों से भी कम समय में 11 मिसाइलों का परीक्षण कर लिया है। इन मिसाइलों का परीक्षण ऐसे समय में किया जा रहा है जब पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच करीब पांच महीनों से भी ज्यादा समय से तनातनी जारी है। सभी उड़ान लेखों को टेलीमेट्री, रडार और इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम जैसे रेंज इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा ट्रैक किया गया था। पिनाका रॉकेट का ये अपग्रेडेड संस्करण मौजूदा पिनाका एमके- I रॉकेटों की जगह लेगा जो वर्तमान में उत्पादन में हैं।

अर्जी दिये जाने के दिन से ही गुजारा भत्ता निर्धारित किया जाएगा : सुको

नई दिल्ली (वार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को एक दूरगामी परिणाम वाले फैसले में कहा कि वैवाहिक विवाद के सभी मामलों में गुजारा भत्ता अर्जी दिये जाने के दिन से ही निर्धारित किया जायेगा। न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी की खंडपीठ ने वैवाहिक विवादों में पीड़िता के गुजारा भत्ता के भुगतान को लेकर विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये। न्यायालय ने कहा है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 सहित सभी मामलों में अर्जी दिये जाने की तारीख से ही गुजारा भत्ता मंजूर करना ही उचित होगा।

आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में अर्नब गिरफ्तार

मुंबई (वार्ता)। मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी को 53 वर्षीय इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नायक को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में बुधवार सुबह गिरफ्तार किया।

पुलिस ने इससे पहले अर्नब को आज सुबह उनके घर से हिरासत में लिया था। पुलिस ने अर्नब को आर्किटेक्ट अन्वय को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तार किया। आर्किटेक्ट अन्वय ने मई 2018 में आत्महत्या की थी। अन्वय ने अपने सुइसाइड में आरोप लगाया था कि वह आत्महत्या के लिए मजबूर हैं। उसने अर्णब पर 5.40 करोड़ रुपये की बकाया राशि का भुगतान नहीं करने का उल्लेख किया था।

कानून का पालन करती है महाराष्ट्र पुलिस : राउत

शिव सेना नेता संजय राउत ने अर्नब के हिरासत में लिये जाने पर कहा महाराष्ट्र पुलिस कानून का पालन करती है। पुलिस के पास यदि किसी के खिलाफ कोई सबूत है तो वह उस पर कार्रवाई कर सकती है। उन्होंने कहा कि जब से राज्य में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार आई है किसी के खिलाफ कोई बदले की कार्रवाई नहीं की गई है।

न्यूज गैलरी

निशुल्क शिविर

भिलाई। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य जांच के लिए शिविर अब दो की जगह एक ही पाली में लगातार लगाया जाएगा। कलेक्टर द्वारा मोबाइल मेडिकल यूनिट के समय में बदलाव किया गया है। अब 5 नवंबर से बदले हुए नये समय सारणी के तहत स्वास्थ्य शिविर सुबह 8 से 3 बजे तक निरंतर आयोजित होगा। भिलाई निगम क्षेत्र में आयोजित शिविर में अब तक 401 लोग स्वास्थ्य परीक्षण करा चुके है। महापौर एवं विधायक देवेंद्र यादव की पहल पर 3 मोबाइल मेडिकल यूनिट भिलाई निगम क्षेत्र के लिए प्राप्त हुई है जो क्रमशः अलग अलग वार्डों में पहुंचकर क्षेत्र के लोगों को निःशुल्क जांच एवं दवाईयां प्रदान कर रही हैं।

अधिकारी नियुक्त

रिसाली। आधार कार्ड में नाम, पता व जन्म तारीख बदलने पहले दस्तावेज परीक्षण कराना होगा। इस कार्य के लिए अपर कलेक्टर व आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे ने वेरिफायर अधिकारी नियुक्त किया है। अधिकारी द्वारा सत्यापन करने के बाद ही आधार कार्ड में संशोधन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि आधार कार्ड संशोधन में पारदर्शिता लाने के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। इस कार्य के सत्यापन हेतु राजस्व निरीक्षक अनिल मेश्राम को प्रभारी व शैलेश साहू को लिंक अधिकारी बनाया गया है।

7 घंटे लगेगा कैम्प

दुर्ग। निगम सीमा क्षेत्र के मलिन बस्तियों में रहने वाले गरीब परिवारों को स्वास्थ्य सुविधा निःशल्क प्रदाय किया जावेगा। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना अंतर्गत एमएम कैम्प को शहर क्षेत्र के निर्धारित क्षेत्र में पूरे 7 घंटा प्रातः 8 से शाम 3 बजे तक जारी रहेगा। निगम आयुक्त इंद्रजीत बर्मन ने आम जनता से अपील कर कहा है कि वे मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थय योजना का लाभ अवश्य उठायें।

सत्यापन 9 को

दुर्ग। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत जिला पंचायत में सहायक परियोजना अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी के लिए अभिलेखों का सत्यापन 9 नवम्बर को किया जाएगा।

भाजपा पार्षदों ने महापौर व सभापति को घेरा, दी चेतावनी

नवप्रदेश संवाददाता

दुर्ग। निगम ने सामान्य सभा बैठक हेतु जारी किए एजेंडा पत्रक में सांसदों का नाम उल्लेख नहीं किए जाने व उन्हें आमंत्रित नहीं किए जाने के मामले को लेकर भाजपा पार्षदों ने नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा के नेतृत्व में निगम पहुंचकर महापौर धीरज बाकलीवाल व सभापति राजेश यादव व आयुक्त इंद्रजीत बर्मन के समक्ष कड़ी आपत्ति दर्ज करायी और इसे राजनीति से प्रेरित बताकर भविष्य में इस प्रकार की कृत्य किए जाने पर बर्दाश्त नहीं किए जाने कि चेतावनी दी। इस दौरान निगम के पूर्व सभापति व जिला भाजयुमो अध्यक्ष दिनेश देवांगन, पार्षद चन्द्रशेखर चंद्राकर, नरेंद्र बंजारे, मनीष साहू, ओमप्रकाश सेन, अजित वैद्य, गुलाब वर्मा प्रमुख रूप ने उपस्थित थे।

इस अवसर पर श्री वर्मा सहित पार्षदों ने निगम चुनाव के बाद पहली बार हो रही साधारण सभा की पहली बैठक हेतु जारी किए गए सूचना पत्रक में सांसद विजय बघेल व राज्यसभा सांसद सरोज पाण्डेय का नाम नहीं होने पर घोर आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि निगम अधिनियम कि धारा 243 घ में प्रोटोकाल के तहत निगम में पदेन पार्षद होने के नाते सामान्य सभा कि प्रत्येक बैठक में अपेक्षित सदस्य होता है। जिन्हें सामान्य सभा में उपस्थित होने व जनहित में अपनी बात रखने का पूरा अधिकार होता है। इस आधार पर निगम द्वारा जारी किए जाने वाले प्रत्येक एजेंडा पत्रक में पूर्व के भी परिषद में स्थानीय सांसद व विधायक का नाम उल्लेखित किया जाता रहा है किंतु निगम में कांग्रेस की सत्ता आते ही अब भाजपा के बड़े जनप्रतिनिधियों को जानबूझकर अपमानित किया जा रहा है जो स्वीकार्य नहीं है इस मुद्दे पर महापौर व सभापति द्वारा लिपिकीय त्रुटी होने के हवाला देने पर भाजपा पार्षदों ने कहा कि सामान्य सभा बैठक की प्रत्येक एजेंडा दोनों के सहमति व उनकी देखरेख में ही जारी होता है ऐसे में इसे लिपिकीय गलती बताकर अपना पल्ला झाड़ना मामले पर लीपापोती जैसे है।

मिठाई के निर्माण के लिए सरकार ने लागू किए नियम

नवप्रदेश संवाददाता

दुर्ग। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशन व नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ के आदेश के अनुसार अब प्रत्येक मिठाई निर्माता, होटल संचालकों को बनाई गई मिठाईयों की निर्माण तिथि व उपयोग के लिए बेस्ट बिफोर डेट, मिठाईयों के बॉक्स, ट्रे या कंटेनर पर प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है। प्रशासन द्वारा मिठाई निर्माताओं की बैठक लेकर इस संबंध में आवश्यक दिशा.निर्देश जारी किये जा रहे हैं। मिठाईयों की गुणवत्ता को लेकर प्राप्त शिकायतों पर विभाग द्वारा निगरानी की जा रही है और विक्रेता व क्रेता दोनों को जागरूक किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा विभाग से जुड़े अफसरों ने बताया कि मिठाई व्यापारियों को मिठाईयों के सेल्फ लाईफ से संबंधित गाइडलाइन भी जारी किया जा रहा है। कलाकंद, केवल एक दिन उपयोग योग्य है जबकि दूध से बनी मिठाईयां जैसे रबड़ी, रसमलाई 2 दिन उपयोग योग्य है। लड्डू, खोया व बर्फी आदि 4 दिन उपयोग योग्य हैं जबकि ड्राई फुट लड्डू, काजू कतली, घेवर 7 दिन के लिए उपयोग योग्य हैं। आटा लड्डू, बेसन लड्डू, अंजीर बर्फी आदि लगभग 30 दिन उपयोग के योग्य हैं।

आवास व व्यवसाय प्रभावित होने की समस्या का सरोज ने लिया जायजा

नवप्रदेश संवाददाता

दुर्ग। सांसद सरोज पांडेय ने आज पुलगांव पहुंचकर नागरिकों की समस्याओं की जानकारी ली। यहां सड़क चौड़ीकरण कार्य के कारण मुख्य मार्ग पर कई परिवारों के मकान और दुकान प्रभावित हो रहे हैं। इससे उनके समक्ष आवास और रोजगार की समस्या खड़ी हो गई है। स्थानीय नागरिकों ने सांसद पांडेय से उनके कार्यालय में मुलाकात कर अपने क्षेत्र की समस्या से अवगत कराया था जिसके बाद आज पांडेय ने पुलगांव पहुंचकर नागरिकों से मुलाकात की। स्थानीय नागरिकों को आश्वस्त किया कि सड़क चौड़ीकरण के कारण किसी भी नागरिक का आवास और व्यवसाय प्रभावित न होने देने प्रशासनिक स्तर पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने राज्य सरकार से अपेक्षा करते हुए कहा कि मानवीय आधार पर संवेदनशीलता के साथ चौड़ीकरण कार्य किया जाएए ताकि आम लोगों की रोजी. रोटी पर आघात न हो। नागरिकों से संपर्क के दौरान नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा सहित अन्य भाजपा नेता मौजूद थे।

अवैध प्लाटिंग की जांच करने पहुंची निगम

नवप्रदेश संवाददाता

भिलाई। कोहका क्षेत्र अंतर्गत न्यू आर्यनगर में अवैध रूप से प्लाटिंग तैयार करने जमीन को समतल करने के साथ ही 50 से अधिक पेड़ों की कटाई करने का मामला सामने आया है। जमीन पर अवैध प्लाटिंग की सूचना मिलने पर जोन 01 के आयुक्त, तहसीलदार योगेन्द्र वर्मा तथा राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और भू स्वामी का पता लगाने जांच पड़ताल की लेकिन इस दौरान मौके पर कोई भी उपस्थित नहीं होने के कारण भूमि स्वामी की जानकारी नहीं मिल पाई। जोन आयुक्त ने एसडीएम और तहसीलदार को अवैध प्लाटिंग व पेड़ों की कटाई करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए पत्र लिखा है तथा पटवारी कार्यालय से प्राप्त नक्शा खसरा व दस्तावेजो के आधार पर भू स्वामी का पता लगाया जा रहा है। जोन 01 के आयुक्त सुनील अग्रहरि ने बताया कि पटवारी हल्का नं. 19 अंतर्गत आर्यनगर कोहका कृष्णा ग्रांड सिटी के बाजू में रिक्त भूमि पर कतिपय लोगो द्वारा पेड़ों को काटकर अवैध प्लाटिंग के उद्देश्य से कच्चा रास्ता बनाए जाने की जानकारी पर स्थल निरीक्षण किया गया। इस दौरान मौके पर भूमि स्वामी मौके पर नहीं पाया गया जिस पर भू राजस्व संहिता 1959 अंतर्गत कार्यवाही करने एसडीएम से अनुमति मांगी गई है। कोहका कृष्णा ग्रांड सिटी के बाजू में रिक्त भूमि का निरीक्षण किया गया।

बेजुबान पशुओं के लिए बना एनीमल सेवर्स ग्रुप

नवप्रदेश संवाददाता

भिलाई। आज के आधुनिक युग में नौजवान पीढ़ी जहाँ मोबाईल और कम्प्युटर में उलझ कर अपना कीमती समय व्यर्थ गंवा रहे हैंए वहीं कुछ ऐसे हैंए जो बेजुबान जानवरों को अपनापन देते हुए उनके जीवनकाल को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। अंजली सिंह और अमित चौधरी ऐसे ही लोगों में से है जो अपने लीक से हटकर काम करते हुए पशु प्रेम की मिसाल पेश कर रहे हैं। टाउनशिप के सेक्टर 1 में रहने वाली अंजली सिंह और अमित चौधरी ने साल भर पहले खुले में घूमने वाले पुशओं की सेवा के लिए एनीमल सेवर्स नामक एक ग्रुप का गठन किया। अंजली और अमित के कार्यों से प्रेरित होकर इस ग्रुप से एक के बाद एक पशु प्रेमी जुड़ते गये। आज इस ग्रुप में सदस्यों की संख्या 75 हो गई है। इस ग्रुप को सोशल मीडिया के फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी देखा जा सकता है। अंजली सिंह और अमित चौधरी दुर्घटना आदि में घायल बेजुबान जानवरों को जरूरत के मुताबिक उपचार दिलाते हैं। भूखे होने पर भोजन आदि की व्यवस्था भी जरूरत होने पर एनीमल सेवर्स ग्रुप के सदस्य करने से पीछे नहीं हटते। ग्रुप के सदस्यों आदर्श राय, आकाश साहू,अंकिता सहाय, तन्वी शुक्ला, निखिलेश, अभिषेक, सुभांगी झा, प्रेरणा नाग, जागृति का कहना है किए इंसान की जुबान होने से वह अपनी तकलीफ और जरूरत को किसी के सामने रख सकता है लेकिन बेजुबान जानवर ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए उनकी जरूरत और तकलीफ को एनीमल सेवर्स ग्रुप के सदस्य महसूस करते हुए उनकी सेवा में जुटे हुए हैं। एनीमल सेवर्स ग्रुप का पंजीयन की प्रक्रिया अंतिम चरणों में है।

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं JASPAL SINGH NARANG S/O GURPREET SINGH NAGRA निवासी H.NO- LIG 281, HOUSING BOARD COLONY, WARD NO -22, DEEN DAYAL NAGAR, BHILAI CHARODA, DURG (C.G) 490025 यह शपथ करता हूं कि मैने अपना यह पुराना नाम को त्याग कर नया नाम JASPAL SINGH NAGRA S/O GURPREET SINGH NAGRA रख लिया हूं। अत: आज से मुझे समस्त शासकीय, अर्धशासकीय व अन्य दस्तावेजों में मेरे नये नाम JASPAL SINGH NAGRA S/O GURPREET SINGH NAGRA से ही जाना पहचाना जावे।

JASPAL SINGH NAGRA
H.NO- LIG 281, HOUSING BOARD COLONY, WARD NO - 22, DEEN DAYAL NAGAR, BHILAI CHARODA, DURG (C.G.) 490025

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं GURPREET SINGH NARANG S/O MAHENDRA SINGH NAGRA निवासी H.NO- LIG 281, HOUSING BOARD COLONY, WARD NO -22, DEEN DAYAL NAGAR, BHILAI CHARODA, DURG (C.G.) 490025 यह शपथ करता हूं कि मैने अपना यह पुराना नाम को त्याग कर नया नाम GURPREET SINGH NAGRA S/O MAHENDRA SINGH NAGRA रख लिया हूं। अत: आज से मुझे समस्त शासकीय, अर्धशासकीय व अन्य दस्तावेजों में मेरे नये नाम GURPREET SINGH NAGRA S/O MAHENDRA SINGH NAGRA से ही जाना पहचाना जावे।

GURPREET SINGH NAGRA
H.NO- LIG 281, HOUSING BOARD COLONY, WARD NO - 22, DEEN DAYAL NAGAR, BHILAI CHARODA, DURG (C.G.) 490025

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं KULDEEP KAUR NARANG W/O GURPREET SINGH NAGRA निवासी H.NO- LIG 281, HOUSING BOARD COLONY, WARD NO - 22, DEEN DAYAL NAGAR, BHILAI CHARODA, DURG (C.G.) 490025 यह शपथ करती हूं कि मैने अपना यह पुराना नाम को त्याग कर नया नाम KULDEEP KAUR NAGRA W/O GURPREET SINGH NAGRA रख ली हूं। अत: आज से मुझे समस्त शासकीय, अर्धशासकीय व अन्य दस्तावेजों में मेरे नये नाम KULDEEP KAUR NAGRA W/O GURPREET SINGH NAGRA से ही जाना पहचाना जावे।

KULDEEP KAUR NAGRA
H.NO- LIG 281, HOUSING BOARD COLONY, WARD NO - 22, DEEN DAYAL NAGAR, BHILAI CHARODA, DURG (C.G.) 490025

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग-1 (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है आवेदक वेदराम आ./ पति स्व. फिरंता साकिन डुण्डेरा के द्वारा ग्राम डुण्डेरा प.ह.न. 41 रा.नि.मं. अण्डा तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि कुल खसरा नंबर 04 कुल रकबा 0.245 हे. भूमि हकत्यागकर्ता बिसनी बाई अन्य से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 15.10.2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को क्रेता के नाम पर प्रमाणीकरण किए जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर दावा हो तो व नियत पेशी दिनांक 09.11.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम ये इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा

आज दिनांक 28.10.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया है।

मुहर — नायब तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक पी. श्रीनिवास आ. स्व. पी. चिनैया साकिन भिलाई द्वारा ग्राम रिसाली प.ह.न. 22 रा.नि.मं. दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 457/42 रकबा 0.02 हे. को रजिस्टर्ड बैनामा के माध्यम से विक्रेता रेखा देउलकर आ. वाय.जी. देउलकर से क्रय किया गया है कि नामांतरण किए जाने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त भूमि को आवेदक के नाम पर नामांतरण किए किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 28.11.2020 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 31.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक सूरजा रजक ध.प. मदन रजक साकिन करंजा भिलाई द्वारा ग्राम करंजा भिलाई प.ह.न. 12 रा.नि.मं. दुर्ग 01 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 639/25 टु. रकबा 0.2200 हे. को रजिस्टर्ड बैनामा के माध्यम से विक्रेता भूषन साहू आ. समारुराम साहू से क्रय किया गया है कि नामांतरण किए जाने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त भूमि को आवेदक के नाम पर नामांतरण किए किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 23.11.2020 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 03.11.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक साहिर खान रहमानी पिता नवाब खान रहमानी निवासी ग्राम तकियापारा दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम कसारीडीह तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 687/224 कुल 1.6970 हे. मे से रकबा 0.022 हें. भूमि को विक्रेता परिक्षित सिंह गुप्ता अन्य 01 पिता अजय सिंह गुप्ता निवासी ग्राम गौरवपथ के सामने दुर्ग से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 27.10.2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 23.11.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 31.10.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक अमिर हमजा अली पिता मो. अली निवासी ग्राम केलाबाड़ी दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम कसारीडीह तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 687/224 कुल 1.6970 हे. मे से रकबा 0.022 हें. भूमि को विक्रेता परिक्षित सिंह गुप्ता अन्य 01 पिता अजय सिंह गुप्ता निवासी ग्राम गौरवपथ के सामने दुर्ग से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 27.10.2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 23.11.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 02.11.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती आलिया खान पति अतीक अहमद खान निवासी ग्राम तकियापारा दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम कसारीडीह तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 687/224 कुल 1.6970 हे. मे से रकबा 0.022 हें. भूमि को विक्रेता परिक्षित सिंह गुप्ता अन्य 01 पिता अजय सिंह गुप्ता निवासी ग्राम गौरवपथ के सामने दुर्ग से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 27.10.2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 23.11.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 31.10.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21
ई.पंजी.- 202010100700195

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती मधु सक्सेना पति राधे कृष्ण सक्सेना निवासी ग्राम शिक्षक नगर दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम कसारीडीह तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 768/276 रकबा 2760 वर्गफीट मे से 1265 वर्गफीट भूमि को विक्रेता शिवकली देवांगन पति जयनारायण देवांगन निवासी ग्राम सुभाषनगर कसारीडीह से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 19.10.2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 12.11.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 22.10.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21
ई.पंजी.- 202010100700225

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री प्रकाश दास पिता रघुदास निवासी ग्राम तमेरपारा दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 29/18 कुल 0.1720 हे. मे से रकबा 923.4 वर्गफीट भूमि को विक्रेता संतोष कुमार जायसवाल अन्य 03 पिता शिवशंकर जायसवाल निवासी ग्राम नयापारा दुर्ग से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 20.10.2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 19.11.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 29.10.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र. ई. पंजी. — पक्षकार का नाम: श्रीमती सायरा बानो — ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नं. 202010100400685

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती सायरा बानो पति श्री गयासुद्दीन सिद्दीकी निवासी फरीद नगर कोहका भिलाई तहसील व जिला दुर्ग छ.ग. द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन एवं पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59 (2)(5) तहत् प्रस्तुत किया गया हैं। जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
ग्राम कोहका प.ह.न. 19 तह.व जिला दुर्ग	3032	0.010 हें 1200 वर्गफीट	आवासीय

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 22.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया ।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग, जिला दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202010100400819

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री कुशाल सिंह आ. मेहत्तर लाल मेश्राम निवासी बैजनाथपारा दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम दुर्ग प.ह.न. तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 1/62 रकबा 0.020 हें/ 2200 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 31.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202010100400815

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती शिवरात्रि कुमारी सारथी जौ. अहिवरनलाल सारथी निवासी 22/बी सड़क 22 सेक्टर 05 भिलाई जिला दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 222/6 रकबा 0.028 हें/ 3076.25 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 31.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202110100400035

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका आराधना डेनियल मसीह जौ. डेनियल दीपक मसीह निवासी चन्द्रनगर उमरपोटी द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 792/15 रकबा 0.0300 हें/ 3100 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 31.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202110100400034

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक डेनियल दीपक मसीह आ. निसार मसीह निवासी चन्द्रनगर उमरपोटी द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 792/4 रकबा 0.020 हें/ 1620 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 31.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202010100400820

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती रानी स्वामी जौ. गणेश स्वामी निवासी अम्बेडकर चौक रेल्वे कालोनी रायपुर द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम डुण्डेरा प.ह.न. 41 अ/57 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 1292/16 रकबा 0.0650 हें/ 7000 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 31.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202001010040064[1]

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री दिलेश कुमार आ. रामदास निवासी राखी तहसील पाटन जिला दुर्ग द्वारा अपने भूमि स्वामित्व की ग्राम उतई प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 674/15 रकबा 0.021 हें/ 2260.50 वर्गफीट भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 21.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202011100400045

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री रामसिंग साहू आ. श्री भगेलाराम साहू निवासी उतई तहसील व जिला दुर्ग द्वारा अपने भूमि स्वामित्व की ग्राम उतई प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 982/48 रकबा 0.040 हें/ 4270 वर्गफीट भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 03.11.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करें : उइके

■ राज्यपाल छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित वेबीनार में शामिल हुई

नव प्रदेश संवाददाता

रायपुर। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके आज राजभवन में छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई द्वारा महिला सशक्तिकरण विषय पर आयोजित वेबिनार में शामिल हुई। उन्होंने वेबीनार को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जो महिला सशक्त होकर समाज में जगह बना चुकी हैं उन्हें हमारी बेटियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी चाहिए।

राज्यपाल ने कहा कि भारत वह देश है, जहां पर माता हमेशा पूज्यनीय रही हैं, समय के साथ कई कुरीतियां भी भारतीय समाज में आ गई। लेकिन जब भारत स्वतंत्रत हुआ तो शिक्षा के प्रसार के साथ जागरूकता आई और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया जाने लगा। महिलाओं के कल्याण के लिए शासन द्वारा अलग विभाग बनाया गया, जिसके माध्यम से कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाने लगी। फलस्वरूप कई महिलाएं स्वप्रेरणा से सामने आने लगी। आज महिलाएं सभी क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं।

हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो बस्तर से लेकर सरगुजा तक महिलाएं आगे आ रही हैं और स्वयंसहायता समूह बनाकर अच्छा कार्य कर रही हैं तथा अपने पैरों पर खड़ी हैं। जहां दंतेवाड़ा के बालूद ग्राम की महिलाएं नई दिशा स्वयंसहायता समूह के माध्यम से आर्थिक सहायता प्राप्त कर छोटे-छोटे व्यवसाय कर रही हैं और जैविक खेती भी कर रही हैं।

इधर सरगुजा के अंबिकापुर शहर में स्वयंसहायता समूह के माध्यम से महिलाएं डोर-टू-डोर जाकर कचरा एकत्रित कर रही हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा प्रारंभ किए गए स्वच्छता मिशन में योगदान दे रही हैं। साथ ही उत्तरी छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर के बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के ग्राम चांगरो की महिलाएं स्वयंसहायता समूह के माध्यम से जीरा फूल धान की खेती कर रही हैं और मिनी राईस मिल का संचालन भी कर रही हैं। इन समूह द्वारा उत्पादित जीरा फूल चावल की मांग दूर-दूर तक है। यह हमारी महिला सशक्तिकरण की पहचान है कि फुलबासन यादव को टीवी शो कौन करोड़पति में शामिल होने का अवसर मिला। राज्यपाल ने महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध पर समाज को जागृत होने का आग्रह करते हुए कहा कि सबसे पहले परिवार में बच्चों को महिलाओं के प्रति सम्मान की शिक्षा देनी चाहिए। यदि उसके मन में बचपन से ऐसी भावनाएं आ जाए तो महिलाओं के प्रति अपराध में काफी कमी आ सकती है।

■ न्यूज गैलरी

युवक की अधजली लाश मिली

रायपुर। राजधानी रायपुर के मंदिर हसौद क्षेत्र के नारा-पिपरहट्ठा गांव में आज तड़के एक युवक की अधजली लाश और जल चुकी दोपहिया वाहन मिलने से इलाके में सनसनी फैल गयी। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गांव के लोगों ने आज सुबह इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्ती किशन गिलहरे 24 वर्ष निवासी चटोद के रूप में की है। मृतक का शव करीब आधा जल चुका है, वहीं थोड़ी दूर पर उसकी दोपहिया वाहन भी जली अवस्था में मिली है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में इसे हत्या माना जा रहा है।

मोबाईल शॉप का टूटा ताला, फोन चोरी

रायपुर। मोबाईल दुकान का ताला तोड़कर नया व पुराना मोबाईल चोरी कर लेने की रिपोर्ट आजाद चौक थाने में दर्ज की गई है। संकल्प वाटिका के सामने समता कालोनी निवासी महेश तिवारी 33 वर्ष रिपोर्ट दर्ज करायी है कि प्रार्थी का मोबाईल दीप मोबाईल शांप महोवाबाजार सरकारी स्कूल के सामने है, किसी 2 से 3 नवंबर की दरमियान मोबाईल शांप का ताला तोड़कर अंदर रखे नये व पुराना मोबाईल अनुमानित कीमत 18 हजार 782 रुपयें को चोरी कर लिया।

स्कूटी में गांजा तस्करी करते तीन गिरफ्तार

रायपुर। गांजा तस्करी की सूचना पर पुलिस ने एक बाईक सवार की घेराबंदी कर मोटरसाइकिल की डिक्की से 2 किलों गांजा मादक पदार्थ जब्त की है। खमतराई पुलिस ने मंगलवार को मुखबिर की सूचना मिली की तीन लड़के मादक पदार्थ गांजा स्कूटी डीयो क्रमांक सीजी 04 एनडी 8609 से लेकर गंगा नगर से ट्रांसपोर्ट नगर की तरफ जाने की सूचना पर घेराबंदी कर तीनों को गिरफ्तार करने पर स्कूटी की डिक्की में 2 किलों मादक पदार्थ गांजा मिला। पुछने पर आरोपियों ने बेचने के लिये ले जाना बताया। तीनों आरोपियों को बग्गा मशीनरी के सामने भनपुरी के पास मौके पर घेराबंदी कर पकड़ा गया। नाम पता पुछने पर उन्होंने अपना नाम सूरज साहु उम्र 20 वर्ष पिता भीम साहु निवासी गंगा नगर सरकारी स्कूल के पास थाना खमतराई रायपुर व रोहन दास मानिकपुरी उम्र 18 वर्ष पिता संतोष दास मानिकपुरी निवासी गंगा नगर सरकारी स्कूल के पास थाना खमतराई रायपुर एवं छगन निषाद उम्र 21 वर्ष पिता बजरंग निषाद निवासी बडा अशोकनगर थाना गुढ़ियारी के पास से मादक पदार्थ गांजा 02 किलों एवं एक होण्डा डियो स्कूटी जब्त की गई है।

अर्नब की गिरफ्तारी पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की प्रतिक्रिया

महाराष्ट्र सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का गला घोंट रही : साय

नवप्रदेश संवादाता

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर महाराष्ट्र सरकार व कांग्रेस पर हमला बोला हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जहां भी सत्ता में होती हैं या सत्ता में भागीदार होती हैं सबसे पहले पत्रकार और पत्रकारिता पर हमला करवाती हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के कांकेर में पत्रकार के साथ मारपीट की घटना हो, कवर्धा की घटना हो या लगातार मीडिया पर प्रेस पर दबाव की बात या फिर लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाने वाले पत्रकार के तबादले की बात हो या महाराष्ट्र में एबीपी न्यूज़ के पत्रकार की गिरफ्तारी हो, अर्णव गोस्वमी की गिरफ्तारी या रिपब्लिक के खिलाफ कार्रवाही कांग्रेस के आपातकाल से कम नहीं है बल्कि अघोषित आपातकाल ही हैं।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि पूरा देश देख रहा है महाराष्ट्र में कांग्रेस की गठबंधन सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का गला घोंट रही हैं। छत्तीसगढ़ में भी लोकतंत्र को कुचला जा रहा हैं यही कांग्रेस का असली चेहरा और चरित्र हैं।

गिरफ्तारी पर सीएम भूपेश का पलटवार-

मैं अर्नब को पत्रकार नहीं मानता, उनकी भाषा, एजेंडा पत्रकारिता नहीं : भूपेश

बिहार में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार में गए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर बेबाक बयान दिया है। उन्हों ने दो टूक शब्दों में कहा है कि उनकी नजर में अर्नब गोस्वामी जैसे लोग पत्रकार नहीं हो सकते। उन्हों ने कहा मैं अर्नब को पत्रकार नहीं मानता हूं। सीएम श्री बघेल ने यह भी कहा कि उनकी भाषा और जिस एजेंडा को वे लेकर चल रहे हैं उसे बढ़ा रहे हैं वह पत्रकारिता भी नहीं हो सकती। पत्रकारों के प्रदर्शन पर कहा अपनी बातों को रखने और कहने का सब को हक है और उसका हनन नहीं किया जा सकता, लेकिन यह भी आवश्यक है कि आप की कही बातों से दूसरों का भी चरित्र हनन नहीं हो। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बिहार में चुनावी सभा लगातार तीन हैं। वे कांग्रेस गठबंधन वाले प्रत्याशियों के प्रचार के लिए बिहार प्रवास पर हैं।

निगम की सामान्य सभा की बैठक कल

सभापति दुबे ने सत्ता पक्ष, विपक्ष एवं निर्दलीय पार्षदों की अलग-अलग बैठक लेकर सभा संचालन के लिए मांगा सहयोग

रायपुर। बुधवार को नगर पालिक निगम रायपुर के सभापति प्रमोद दुबे ने निगम मुख्यालय भवन के प्रथम तल पर निगम सभापति चेम्बर में नगर निगम रायपुर के सचिवालय के माध्यम से दिनांक 6 नवंबर 2020 शुक्रवार को प्रातः 11 बजे निगम मुख्यालय भवन के चतुर्थ तल पर स्थित निगम सामान्य सभा सभागार में आयोजित वर्तमान नगर पालिक निगम परिषद की पहली सामान्य सभा की बैठक को लेकर नगर निगम रायपुर के सत्ता पक्ष कांग्रेस, विपक्ष भारतीय जनता पार्टी एवं निर्दलीय पार्षदों की पृथक-पृथक बैठक लेकर उनसे राजधानी रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक के संचालन हेतु सभी पार्षदों से सहयोग मांगा।

सभापति प्रमोद दुबे ने महापौर एजाज ढेबर, सभी एमआईसी सदस्यों, जोन अध्यक्षों, एल्डरमेनों, सत्ता पक्ष कांग्रेस के पार्षदों, विपक्ष भाजपा के पार्षदों, निर्दलीय पार्षदों के पृथक -पृथक बैठक लेकर उनसे कहा कि रायपुर नगर निगम राजधानी का नगर निगम है एवं यहां की सामान्य सभा की गतिविधि व कार्यवाही का संदेष न सिर्फ राजधानी रायपुर बल्कि पूरे छत्तीसगढ प्रदेष एवं देष में पहुंचता है। इसलिए नगर निगम के सभी पार्षदों का दायित्व है कि वे सभा संचालन में सहयोग करें। सभापति श्री दुबे ने पार्षदों से अनुरोध किया कि वे सामान्य सभा की बैठक के दौरान अनावष्यक व्यवधान बैठक की कार्यवाही में न डाले एवं एमआईसी द्वारा नियमानुसार प्रक्रिया के तहत निर्धारित सामान्य सभा की बैठक के एजेण्डे से हटकर विषय में अपने विचार न रखे। सभापति श्री दुबे ने सत्ता पक्ष विपक्ष एवं निर्दलीय पार्षदों को बताया कि नगर निगम की सामान्य सभा की वर्तमान परिषद की पहली बैठक में वर्तमान के नोवल कोरोना वायरस संक्रमण की अवधि को देखते हुए कोविड 19 के वायरस संक्रमण से सुरक्षा व बचाव हेतु सामान्य सभा हाल में सभी जनप्रतिनिधि पार्षदों से उपस्थित जनों के लिए मास्क, हैण्ड सेनेटाईजर, फेस शील्ड की व्यवस्था करवाने संबंधित अधिकारियों को प्रषासनिक तौर पर निर्देषित किया गया है।

रायपुर। विधानसभा उप निर्वाचन मरवाही 2020 के अंतर्गत 3 नवंबर को हुए मतदान के पश्चात स्ट्रांग रूम में मतदान ईवीएम मशीनें तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ गौरेला के गुरुकुल विद्यालय परिसर मैं स्थापित स्ट्रांग रूम में सील कर दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शी बिंदुओं के अनुरूप मरवाही विधानसभा क्षेत्र के उप निर्वाचन के अंतर्गत हुए मतदान के बाद यहां आगामी 10 नवंबर 2020 को मतगणना होगी।

जोन 3 में 4 करोड की लागत से 48 नये विकास कार्यों का भूमिपूजन

महापौर एजाज ढेबर, विधायक सत्यनारायण शर्मा, विधायक कुलदीप जुनेजा और पार्षद भूमिपूजन कार्यक्रम में हुए शामिल

रायपुर। नगर पालिक निगम रायपुर के जोन 3 के वार्डो में 4 करोड़ से अधिक की लागत के विविध 48 नये विकास कार्य जनहित में जनसुविधा हेतु शीघ्र निगम जोन 3 लोककर्म विभाग के माध्यम से करवाये जायेंगे। आज 4 करोड से अधिक के विकास कार्यो का भूमिपूजन श्रीफल फोडकर कुदाल चलाकर नगर निगम के महापौर श्री एजाज ढेबर ने रायपुर ग्रामीण विधायक श्री सत्यनारायण शर्मा, रायपुर उत्तर विधायक एवं छ.ग. गृह निर्माण मंडल अध्यक्ष श्री कुलदीप जुनेजा, निगम लोककर्म विभाग अध्यक्ष श्री ज्ञानेष शर्मा, जोन 3 अध्यक्ष डॉ. प्रमोद साहू, जोन 9 अध्यक्ष प्रमोद मिश्रा, पार्षद श्रीमती विष्वदिनी पाण्डेय, अमितेष भारद्वाज, कामरान अंसारी, पुरूषोत्तम बेहरा, एल्डरमेन इंद्रजीत गहलोत, देव दीवान कुर्रे, जोन 3 के जोन कमिष्नर प्रवीण सिंह गहलोत, जोन कार्यपालन अभियंता चित्रसेन प्रधान सहित गणमान्यजनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, महिलाओं, नवयुवकों की उपस्थिति में कार्यारंभ किया। इस अवसर पर महिला स्वसहायता समूह की महिलाओं ने महापौर श्री एजाज ढेबर, ग्रामीण विधायक श्री सत्यनारायण शर्मा, उत्तर विधायक एवं गृहनिर्माण मंडल अध्यक्ष श्री जुनेजा को गोबर से निर्मित ईकोफ्रेण्डली दीये प्रदत्त कर उनका सम्मान किया। महापौर, ग्रामीण विधायक, उत्तर विधायक ने नगर निगम रायपुर की ओर से नागरिको का महिला स्वसहायता समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित गोधन के ईकोफ्रेण्डली दीयो को अधिकाधिक संख्या में दीपावली पर्व पर क्रय करके पर्यावरण संरक्षण एवं स्वास्थ्य सुरक्षा के शासन के अभियान में पर्व अवसर पर सहभागी बनने का अनुरोध किया।

प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री-परिवहन पर पुलिस महानिदेशक की दो टूक

चूक हुई तो एसपी, डीएसपी, टीआई नपेंगे

■ **डीजीपी दुर्गेश माधव अवस्थी ने ली वर्चुअल मीटिंग, कानून व्यवस्था पर समीक्षा बैठक में ली सभी की क्लास**

नवप्रदेश संवादाता

रायपुर। प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री और परिवहन को लेकर राज्य के पुलिस प्रमुख ने वीसी के जरिए पुलिस अधीक्षको की क्लास ली। डीजीपी ने अवैध शराब की बिक्री और परिवहन पर सख्ती से रोक लगाने पुलिस अधीक्षको को कड़े शब्दों में कहा है। इसके बाद भी अगर राज्य के किसी जिले से शिकायत आई तो डीजीपी ने स्पष्ट कहा है कि इसकी जवाबदेही एसपी की होगी और राजपत्रित अधिकारी की विभागीय जांच कर क्षेत्र के थानेदार को निलंबित किया जाएगा। वही महिला संबंधी अपराध की जांच कार्यवाई में तेजी लाने के साथ डीजीपी ने विभाग में अपराधिक प्रवित्ति के पुलिस कर्मियों की कोई जगह नही होने की बात वीडियो कांफ्रेंसिंग में कही है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा अनुरूप अवैध शराब पर रोक लगाने के लिये डीजीपी डीएम अवस्थी ने सभी आईजी और एसपी को कड़े निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि अवैध शराब की बिक्री और परिवहन पर सख्त कार्रवाई करें। अवैध शराब मिलने पर संबंधित टीआई का निलंबन और राजपत्रित अधिकारी के विरूद्ध विभागीय जांच की जायेगी। सीमावर्ती जिलों राजनांदगांव, कर्वधा, मुंगेली शराब के अवैध परिवहन पर विशेष निगरानी रखें। सूचना मिलने पर पुलिस मुख्यालय से भी उड़नदस्ता भेजकर कार्रवाई की जायेगी। जिस जिले में अवैध शराब पर कार्रवाई हो इसकी सूचना तत्काल पुलिस मुख्यालय को दी जाये। डीजीपी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी आईजी और एसपी के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा की।

ताकीद, अनुशासनहीन, अपराधी नहीं चलेंगे

डीजीपी श्री अवस्थी ने सभी एसपी से कहा कि पुलिस विभाग में अनुशासनहीन और अपराधिक प्रवृत्ति के पुलिसकर्मियों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ पुलिस अपराधिक प्रवृत्ति के पुलिसकर्मियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनायेगी। बालोद में पुलिसकर्मी द्वारा बच्ची के साथ अमानवीय व्यवहार के मामले में दुर्ग आईजी और एसपी ने तत्काल बर्खास्तगी की कार्रवाई करके उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि विभागीय जांच में जिन पुलिसकर्मियों के विरूद्ध आरोप सिद्व हो चुके हैं उन पर आईजी और एसपी तत्काल कार्रवाई करें।

महिला विरूद्ध अपराधों पर निर्देश

समीक्षा बैठक में डीजीपी ने कहा कि महिला विरूद्ध अपराधों पर सभी जिले त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं। सूरजपुर, बस्तर, रायगढ़ और बिलासपुर जिलों ने दुष्कर्म के मामलों में बहुत ही कम समय में आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान प्रस्तुत किया है। महिला विरूद्ध अपराधों में शीघ्र चालान प्रस्तुत करने के साथ ही सबूत भी तत्काल एकत्रित करें जिससे अपराधियों को सजा दिलाई जा सके।

चरित्र संदेह पर पत्नी को उतारा मौत के घाट

नव प्रदेश संवाददाता

रायपुर। राजधानी रायपुर के आरंग थाना अंतर्गत ग्राम अमेठी में चरित्र संदेश के चलते एक युवक ने अपनी पत्नी की हत्या कर शव को आत्महत्या का रूप देने फांसी के फंदे पर लटकाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

आरंग के अमेठी गांव में आज सुबह एक पेड़ पर एक युवती का शव लटका हुआ मिला, जिसकी जानकारी आसपास के लोगों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस को शव के शरीर में चोट के कई निशान मिले थे। इस आधार पर घटना को हत्या से जोड़कर इसकी जांच शुरू की गयी। जांच के दौरान मृतिका की पहचान भूरी उर्फरीवा धर्मा के रूप में की गयी। पुलिस पूछताछ में पता चला कि मृतिका की शादी कुछ सालों पहले ही हुई थी और उसके पति का नाम हरिवंश धर्मा है। मृतिका एक ब्यूटीशियन थी और ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। पुलिस ने संदेह के आधार पर मृतिका के पति हरिवंश धर्मा को पकड़कर जब उससे पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल लिया। आरोपी ने बताया कि उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह था, जिसके चलते दोनों में अक्सर विवाद भी होता रहता था। आज सुबह भी इसी बात को लेकर विवाद हुआ जिसके बाद उसने अपनी पत्नी को अमेठी गांव के जंगल ले गया और वहां पर उसकी हत्या कर दी। पुलिस से बचने के लिये उसने अपनी पत्नी के शव को फंदे पर लटका दिया था, ताकि ये आत्महत्या का मामला लगे।

पेड़ पर लटके मिला महिला की लाश

रायपुर। अज्ञात महिला की शव बबूल के पेड़ में लटके होने की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा व शॉट पीएम में मृतिका का गला घोटने की वजह से मौत होने की पुष्टि के बाद धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज कर मर्ग कायम कर लिया है। मृतिका के परिजनों को संदेह है कि पति द्वारा आये दिन उसके साथ लड़ाई झगड़ा होता था,इसी कारण महिला की पति ने गला दबाकर हत्या कर दिया होगा। आरंग पुलिस को 3 नवंबर को हेमन्तदास मानिकपुरी 40 वर्ष ने जानकारी दी की बेनीडीह जाने वाली कच्ची सड़क किनारे बबूल के पेड़ में एक महिला की लाश दुपट्टा में टंगी हुई है। घटना स्थल पर जाकर मुवायना व आस-पास के लोगों से महिला के संबंध में जानकारी जुटायी गई। घटना स्थल पर एक दवाई की पर्ची मिलने के बाद महिला की पहचान श्रीमती रीवा उर्फ भूरी 22 वर्ष पति हरिवंश धर्मा निवासी पुरैना राजेन्द्रनगर रायपुर का होने का पता चलने पर महिला के पिता केवल चंद बारले एवं चाचा फागलाल बारले के द्वारा चीरघर पहुंचकर श्रीमती रीवा उर्फ भूरी 22 वर्ष पति हरिवंश धर्मा ग्राम पिरदा के रुप में पहचान करने के बाद शॉट पीएम रिपोर्ट में महिला का दम घूटने से मौत होने का रिपोर्ट मिलने पर मृतिका के परिवार वाले पिता,चाचा व मामा से पुछताछ करने पर उन्होंने आरोप लगाया कि मृतिका व पति हरिवंश के बीच आये दिन झगड़ा लड़ाई होता था।

संपादकीय

बदले की कार्रवाई उचित नहीं

महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार एक खबरिया चैनल के खिलाफ बदले की कारवाई पर उतारू हो गई है। वह कतई उचित नहीं है। उक्त चैनल द्वारा चलाई जाने वाली खबरों से कोई सरकार या व्यक्ति असहमत हो सकता है लेकिन इसका ये मतलब नहीं की। उसके खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई की जाए। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के पालघर में दो साधुओं की हत्या और उसके बाद फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपुत की संदिग्ध मौत और बॉलीवुड की ड्रग्स कनेक्शन को लेकर उक्त खबरिया चैनल ने मुखर होकर आवाज उठाई। अन्य खबरिया चैनलों में भी ऐसी खबरें चली लेकिन उद्धव ठाकरे सरकार ने एक खबरिया चैनल को ही निशाने पर लिया और उसके खिलाफ पहले तो टीआरपी चोरी करने का झूठा आरोप लगाकर उसे बदनाम करने की कोशिश की गई लेकिन जल्द ही हकिकत सामने आ गई और मुंबई पुलिस की चौरतरफा भृत्सना होने लगी। इसके बाद मुंबई पुलिस ने उद्धव ठाकरे सरकार के इशारे पर उक्त चैनल के एक हजार पत्रकारों के खिलाफ सौ साल पुराने कानून का उपयोग करते हुए उन्हें समन भेजे और अब उक्त चैनल के एडिटर एंड चीफ को एक ऐसे मामले में गिरफ्तार किया गया जो दो साल पहले ही खत्म कर दिया था। उक्त पत्रकार की गिरफ्तारी के लिए भारी भरकम पुलिस बल पहुंचा था। मानों वो कोई आतंकवादी हो। पुलिस ने ना सिर्फ उक्त पत्रकार से मारपीट की बल्कि उनके परिजनों के साथ भी बदसलुकी की। निश्चित रूप से मुंबई पुलिस की यह बर्बाता निंदनिय है। यदि उसने कोई अपराध किया है तो उसकी गिरफ्तारी का विरोध नहीं किया जा सकता लेकिन मुंबई पुलिस ने जिस गलत तरीके से उसकी गिरफ्तारी की है और उनके साथ मारपीट की है उसका कोई भी समर्थन नहीं करेगा। यही वजह है कि आज मुंबई पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ राजधानी नई दिल्ली में बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए और मशाल जुलुस निकालकर मीडिया पर हुए इस हमले का विरोध किया। संत समाज और पूर्व सैनिक भी महाराष्ट्र सरकार की इस दमन कारी नीति की आलोचना कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार की इस कार्रवाई की अनेक केन्द्रीय मंत्रियों ने भी कड़ी निंदा की है और इसे लोकतंत्र के चौथे पाए पर हमला बताया है। कई पत्रकार संगठन भी सामने आए है और आरोप लगाया है कि ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में आपातकाल लग गया है। आपातकाल के दौरान ही विपक्षी दल के नेताओं और पत्रकारों को इसी तरह घर से जबरन उठाकर गिरफ्तार किया गया था। बेहतर होगा कि महाराष्ट्र सरकार बदले की भावना से कार्रवाई करना बंद करे, ताकि लोकतंत्र शर्मसार ना हो।

विचार

क्या चाहता है रूस

रूसी राष्ट्रपति पूतिन ने पिछले दिनों एक दिलचस्प बयान में कहा कि मास्को और पेइचिंग के बीच सैन्य गठबंधन की जरूरत दोनों में से किसी देश को नहीं है, फिर भी यह संभव है। हालांकि चीन ने इस बयान पर कोई खास उत्साह नहीं दिखाया और रूसी विशेषज्ञों ने भी मौजूदा हालात में सैन्य गठबंधन जैसी किसी संभावना को अपने तईं खारिज ही कर दिया। बावजूद इसके, पूतिन ने अगर इसे सैद्धांतिक तौर पर संभव कहा है तो इसके गहरे मायने हैं। दिनोंदिन यह साफहोता जा रहा है कि चीन और अमेरिका के संबंधों में आई गिरावट न तो किसी एक नेता की सनक का परिणाम है और न ही चुनावों के जरिए अमेरिकी नेतृत्व बदलने से इसमें कोई बड़ा बदलाव आने जा रहा है। ऐसे में रूसी राष्ट्रपति का यह बयान भविष्य के शक्ति संतुलन का एक सुचिंतित संकेत हो सकता है, जिसमें चीन से ज्यादा जरूरी संदेश अमेरिका के लिए मौजूद है। इस संदर्भ में ध्यान देने लायक बात यह है कि रूस और चीन के बीच सीमा संबंधी सारे विवाद सुलझाए जा चुके हैं। पूतिन ने अपने उसी बयान में यह स्पष्ट किया कि चीन की सैन्य क्षमता बढ़ाने में रूसी सहयोग की अहम भूमिका पहले से ही चली आ रही है। फिर भी अगर सैन्य गठबंधन को लेकर दोनों पक्ष सावधानी बरत रहे हैं तो उसकी वजह यह है कि ऐसे गठबंधन अक्सर व्यापारिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। मसलन, रूस से फौजी गठबंधन होते ही चीन को यूरोपीय बाजार के बड़े हिस्से से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती दूरी और एशिया प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका की बढ़ती दिलचस्पी को रूस नजरअंदाज नहीं कर सकता। इसी तरह भारत भी पूतिन के बयान में मौजूद संकेतों की अनदेखी नहीं कर सकता। चीन के साथ मौजूदा तनाव को देखते हुए विभिन्न देशों का सहयोग और समर्थन हासिल करना जरूरी है, लेकिन ऐसा करते हुए हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि अमेरिका से हमारी नजदीकी रूस को हमसे दूर न लेती जाए। भारत के बहुत अच्छे संबंध रूस के साथ बहुत पहले से रहे हैं। हथियारों की खरीद से लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी समिति में स्टैंड लेने तक यह दोस्ती दोनों देशों के लिए हितकर रही है। कोई कारण नहीं कि आगे इसमें कोई बाधा आने दी जाए। सभी संबंधित देशों को अपनी समझ साफरखनी चाहिए कि दोस्ती हो या दुश्मनी, भारत अपना हर रिश्ता अपने दम पर ही निभाता आया है। इसके लिए किसी तीसरे देश की छत्रछाया की जरूरत न हमें पहले कभी पड़ी है, न आगे पड़ने वाली है। रूस का सैन्य गठबंधन चीन से बने या न बने, भारत और रूस के रिश्तों में बिगाड़ आने का कोई सूत्र इसमें न मौजूद हो, यह हमें सुनिश्चित करना होगा।

समाज में मीडिया की भूमिका

कुमार अभिनव

यह दर्शाता है कि मीडिया राजनीति में कितना शक्तिशाली है, इसका उपयोग बहुत अच्छे कारणों से किया जा सकता है। भले ही लोगों को गलत जानकारी दी जाए, इसका दुरुपयोग होता है। हम जिस समाज में रहते हैं, उसमें बहुत नुकसान और समस्याएं हो सकती हैं। सोशल मीडिया को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि कुछ स्रोत इसे सार्वजनिक करने से पहले उनकी खबरों को सत्यापित करते हैं। जिससे चीजें कम समस्याग्रस्त हो जाती हैं। विभिन्न समाचार स्रोत मंच से खुद को साबित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, ट्विटर और फेसबुक के पास एक निश्चित प्रमाणीकरण आइकन है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि सूचना के स्रोत की नकल नहीं की गई है। यह सूचना के प्रवाह को कम अनिश्चित बनाता है।

मीडिया सूचना, प्रकृति, विचारों का आधार है, और यह विश्वास का एक साझा आकार देता है। इस तरह, यह समाज की अगली पीढ़ी के लिए एक खाका है। उपदेश की शक्ति से मीडिया को दुनिया की सबसे प्रभावशाली ताकत बनाता है। इसका उपयोग आश्चर्यजनक चीजें करने या भयानक बुराइयों को लाने के लिए किया जा सकता है। सरकार के चौथे स्तंभ के रूप में प्रस्तुत, मीडिया भी दोनों देशों के संबंधों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर किसी को किसी भी देश में सरकार के कार्यों पर सवाल उठाने का अधिकार है, चाहे वह विपक्ष हो या मीडिया। मीडिया क्या है? यह सरकार और लोगों के मुद्दों को सरकार तक पहुंचाने के लिए सरकार के विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम है।

समाज में मीडिया की जरूरत :-

मीडिया संस्कृति को प्रभावित करता है। यह समाज की सोच को आकार दे सकता है। मीडिया द्वारा दी गई जानकारी सरकार को सामाजिक मुद्दों को हल करने के लिए उचित कार्रवाई करने में मदद करती है। एक लोकतांत्रिक समाज में जहां अधिकारियों का चुनाव किया जाता है और जनता की राय के आधार पर कानून बनाए जाते हैं, मीडिया सार्वजनिक नीति पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभावों में से एक है। सरकारें अपने मामलों को नियंत्रित करने के लिए मीडिया का उपयोग करती हैं।

व्यवसाय अपने उत्पादों को बेचने के लिए मीडिया का उपयोग करते हैं। प्रसिद्धि और भाग्य पाने के लिए नियमित लोग मीडिया उपयोग। मीडिया लोगों को सत्ताधारी सरकार की गलतियों, त्रुटियों और भ्रष्टाचार को समझने में मदद करता है। विपक्षी दलों को इतनी जानकारी नहीं मिल सकती है, लेकिन कभी-कभी विपक्षी दलों को भी मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रही है। यह सभी साधनों के उपयोग के माध्यम से, गुलामी के उन्मूलन से लेकर हिटलर के उत्थान तक प्राप्त किया गया था। संक्षेप में, हेड़ा मीडिया महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति को प्रभावित करने की क्षमता है। इसीलिए मीडिया लोकतंत्र को मजबूत करने में मदद करता है।

मीडिया का महत्व

जानकारी इकट्ठा करने के लिए मीडिया महत्वपूर्ण है। मीडिया महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें कुछ अस्तित्व की भावना देता है। हमारे जीवन को आसान और सरल बनाने के लिए मीडिया का उपयोग किया जाना चाहिए। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि हम मीडिया द्वारा हमें दी गई जानकारी का उपयोग और प्रसंस्करण कैसे करते हैं, जिसका अर्थ है कि यह हम ही हैं जो यह तय करते हैं कि मीडिया धन्य है या नहीं। मीडिया के महत्व को समझा जा सकता है क्योंकि इसने समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।यह नहीं भूलना चाहिए कि मीडिया ने भी इस कोविद -19 महामारी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

समाज में मुद्दों के खिलाफआवाज उठाता है

मीडिया बार-बार समाज में चल रही हिंसा, हत्याओं आदि पर ध्यान आकर्षित कर रहा है। उदाहरण के लिए, मुंबईमें हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत मामला में मीडिया ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और यह बार-बार सरकार और सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। मीडिया सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में भी रचनात्मक भूमिका निभाता है। सामाजिक मुद्दों जैसे भेदभाव आदि के कई उदाहरण हैं, जो आजकल मीडिया द्वारा उठाए जा रहे हैं। जब मीडिया ऐसे मुद्दों को प्रस्तुत करता है और उसका खुलासा करता है, तो जनता जागरूक हो जाती है और समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। मीडिया आम जनता की आवाज को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने में भी मदद करता है।

विभिन्न घटनाओं के लिए सच्ची तस्वीरें और लाइव टेलीकास्ट प्रदान करता है

कोविद -19 महामारी के दौरान, कोई भीड़ नहीं है और कोई व्यक्तिगत बैठक नहीं है। मीडिया को अब इस महामारी के दौरान सरकार के कार्यों पर रिपोर्ट करने के लिए एकमात्र उपकरण के रूप में देखा जा सकता है। अब होने वाली कोई भी प्रत्यक्ष घटना कहीं भी देखी जा सकती है। उदाहरण के लिए, एक प्रधानमंत्री द्वारा संबोधित राष्ट्र के नाम पर, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों या किसी अन्य घटना का लाइव कवरेज, मीडिया हमें लगभग सभी महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए लाइव या रिकॉर्ड किए गए टेलीकास्ट प्रदान करके सही तस्वीर प्राप्त करने में मदद करता है।

राजनीति में मीडिया

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के युग में, शायद ही कोई ऐसी जगह है जहाँ मीडिया नहीं पहुँचा है। राजनीति में आज मीडिया के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। समाचार अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक सेकंड में फैलता है। फेसबुक और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया पर राजनीतिक अभियान चलते हैं। कोविद -19 महामारी के दौरान भी, कई राजनेतऔ और प्रचारकों ने फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से घर पर अपने विचार साझा किए हैं। किसी पार्टी या संबद्ध समूह के समर्थक अपने नेताओं के साथ अपने राजनीतिक पदों को साझा करके एकजुटता दिखाते हैं।

यह दर्शाता है कि मीडिया राजनीति में कितना शक्तिशाली है, इसका उपयोग बहुत अच्छे कारणों से किया जा सकता है। भले ही लोगों को गलत जानकारी दी जाए, इसका दुरुपयोग होता है। हम जिस समाज में रहते हैं, उसमें बहुत नुकसान और समस्याएं हो सकती हैं। सोशल मीडिया को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि कुछ स्रोत इसे सार्वजनिक करने से पहले उनकी खबरों को सत्यापित करते हैं। जिससे चीजें कम समस्याग्रस्त हो जाती हैं। विभिन्न समाचार स्रोत मंच से खुद को साबित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, ट्विटर और फेसबुक के पास एक निश्चित प्रमाणीकरण आइकन है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि सूचना के स्रोत की नकल नहीं की गई है। यह सूचना के प्रवाह को कम अनिश्चित बनाता है।

निष्कर्ष

मीडिया की मूल्यवान संपत्ति लोगों तक सही खबर पहुँचाना है। 21 वीं सदी में मीडिया का तेजी से विकास हुआ है। इंटरनेट की उम्र ने दुनिया को तूफान से घेर लिया है। सूचना आज दुनिया में एक विशाल समुद्र है, लेकिन हमें गलत सूचना में डूबने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। हमें वही साबित करना होगा जो हम मीडिया में देखते और सुनते हैं। मीडिया मनुष्यों के लिए एक आशीर्वाद है क्योंकि यह हमारे व्यक्तिगत जीवन और हमारे जीवन के कई अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

(लेखक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.टी), रायपुर के पूर्व छात्र हैं। लेखक भारत के प्रख्यात हस्तियों द्वारा सम्मानित भी किया गया है। लेखक का लेख नेपाल का राष्ट्रिय पत्रिकामा मे भी प्रकाशित होता है। यह उनके अपने अपने विचार है।)

फारूख अब्दुल्ला के राष्ट्रविरोधी बोल

डॉ. श्रीनाथ सहाय

ये पहला मौका नहीं है जब फारूख अब्दुल्ला के बोल बिगड़े हों। वर्ष 2019 में पाकिस्तान स्थित आतंकी शिविरों को नष्ट करने के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा की गई एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाते हुए जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला ने कहा कि चुनाव को देखते हुए पाकिस्तान में बम गिराए गए। उन्होंने कहा था कि मैं पहले से ही कहता आ रहा हूं कि चुनाव नजदीक आते ही पाकिस्तान से युद्ध या झड़प हो सकती है। चुनाव के नजदीक आते ही पाकिस्तान पर बम गिराए गए। इसमें हमारा एक एयरक्राफ्ट भी बर्बाद हुआ जो करोड़ों का था। मार्च 2019 में फारूख अब्दुलला ने कहा था, वो मिसाइले जो मोदी सरकार ने सैटेलाईट को मारने के लिए छोड़ी, वो मनमोहन सिंह ने बनवाईं थीं। आज चुनाव था, दिखाने के लिए श्हनुमान जी तशरीफलाए हैंश् उन्होंने बटन दबाया। एक बटन गलत दबा और हेलिकोप्टर गिर गया और हमारे 6 जवान शहीद हो गए।

जम्मू-कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला हमेशा अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। फारूख अब्दुल्ला ने फिर एक बार जानबूझकर विवादित और राष्ट्रविरोधी बयान दिया है। विवादित बयान देने का फारूख अब्दुल्ला का पुराना इतिहास है। ऐसे में अहम सवाल यह है कि आखिरकार फारूख अब्दुल्ला देशविरोधी बयान देते क्यूं हैं। क्या वो देशविरोधी ताकतों के आवाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। क्या फारूख अब्दुल्ला की आस्था अपने देश के संविधान की बजाय किसी और देश से जुड़ी है। भारत से बेहद तनावपूर्ण रिशतों वाले देशों के प्रति फारूख अब्दुल्ला की नरमी और भारत को कोसना देशद्रोह की श्रेणी में शामिल करने योग्य है। फारूक मुख्यमंत्री के अलावा भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे और आज भी लोकसभा सांसद हैं, तो ये संवैधानिक और अतिविशिष्ट पद किस देश ने दिए? जाहिर है कि नमक भारत का खाते है और गुणगान कभी पाकिस्तान का, तो अब चीन का ही करते हैं।

एक लंबे वक्त से फारूख अपनी सियासत को बचाने के लिये प्रयासरत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जमीन सच्चाई यह है कि उनकी सियासी जमीन कब की खिसक चुकी है। और अब वो और उनका बेटा उसी खोई हुई जमीन को वापिस पाने की उम्मीद पाल बैठे थे। दरअसल जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य के दर्जे और कानूनी पेचीदगियां होने की वजह से फारूख और उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी इस लूप होल का फॉयदा आजादी के बाद से उठा रहे थे लेकिन मोदी सरकार के क्रांतिकारी निर्णय (धारा 370 हटाने) की वजह से घाटी के अन्य अलगाववादी नेताओं के साथ-साथ फारूख की सियासत का किला धड़ाम हो चुका है। फारूख अब्दुल्ला ने हर बार अपने विवादित बयानों से यह साबित किया है कि वो भले ही रहते हिंदुस्तान में हैं और रोटी हिंदुस्तान की खाते हैं लेकिन उनका दिल हमेशा पाकिस्तान के लिए ही धड़कता है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब-जब बात भारत और पाकिस्तान को लेकर होती है

फारूख साहब के मुंह से भारत के खिलाफपाकिस्तान वाली बोली ही सुनने को मिलती है। अब तो वो चीन के हिमायती बने नजर आ रहे रहे हैं। ये जगजाहिर है कि चीन से भारत के संबंध बेहद तनावपूर्ण हैं, लेकिन डा. फारूख अब्दुल्ला चीन के जरिए ही जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35-ए की बहाली का सपना देख रहे हैं। फारूख पहले पाकिस्तान का राग अलापते थे। अब वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर भारत-चीन की सेनाएं आमने-सामने तैनात हैं, युद्ध कभी भी हो सकता है, तो फारूख चीन को हमारे अंदरूनी मामले में खींच रहे हैं। कश्मीरी नेता ने यहां तक धमकी दी थी कि यदि अनुच्छेद 370 और 35-ए को हाथ लगाया गया, तो कश्मीर के भारत के साथ रिश्ते खत्म हो जाएंगे। बीते सितंबर में फारूक अब्दुल्ला ने एक वेबसाइट को दिए साक्षात्कार में कहा कि कश्मीरी भारतीय होना नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि चीन उन पर शासन करे। उन्होंने कहा कि मुझे हैरानी होगी यदि सरकार को कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो खुद को भारतीय कहे। आप वहां किसी से भी बात कीजिए, कोई भी खुद को न तो भारतीय मानता है न ही पाकिस्तानी। दरअसल, बंटवारे के समय घाटी के लोगों को पाकिस्तान जाना था, लेकिन तब उन्होंने गांधी के भारत को चुना था, मोदी के भारत को नहीं। उन्होंने अनुच्छेद 370 को हटाए जाने को भी गलत बताया। अब्दुल्ला ने ये दावा किया कि अगर वे कश्मीर में कहीं भी भारत के बारे में कुछ बोलते हैं तो कोई सुनने वाला कोई नहीं होता है। उन्होंने कहा कि घाटी में हर गली में एके 47 लिए हुए सुरक्षाकर्मी खड़े हुए हैं। ऐसे में आजादी कहां है?

जमीनी हकीकत यह है कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 समाप्त हुए एक साल से अधिक का समय बीत चुका है। संसद ने तीन दिनों तक इस आशय के बिल पर चर्चा की और फिर पारित कर देश की ऐतिहासिक गलती को सुधारा है। अनुच्छेद 370 और 35-ए के जरिए कश्मीर का 'विशेष दर्जा' भी समाप्त कर दिया गया है। संविधान में वह व्यवस्था 'अस्थायी' थी। फारूक कहते हैं कि यदि 370 और 35-ए 'अस्थायी' थे, तो जम्मू-कश्मीर का भारत में विलय भी 'अस्थायी' है। यह भी दस्तावेजी सच्चाई को नकारने का बयान है। हम लगातार सवाल करते रहे हैं कि जम्मू-कश्मीर को 'विशेष दर्जा' क्यों दिया गया था? डा. अब्दुल्ला कश्मीर में सक्रिय रहे पत्थरबाजों को 'वतनपरस्त' करार दे चुके हैं। आतंकवाद और अलगाववाद के भी वह 'प्रोमोटर' रहे, क्योंकि उन्हीं की हुकूमत के दौरान कश्मीरी पंडितों पर जानलेवा हमले किए गए। *(लेखक राज्य मुख्यालय पर मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं।)*

पाठकों की बात | पत्र, प्रतिक्रियाएं, सोशल मीडिया

सताओ ना हमे लोगों सहा हमसे नही

सताओ ना हमे लोगों सहा हमसे नही जाता । लगी जो चोट है दिल पे दिखाया है नही जाता । बसाया था जिसे दिल मे हमे मारा उसी ने है। जुबाँ पे नाम है उस का बताया है नही जाता।

अजय मिश्रा

अक्षरो को बना के मोती बस यूँ ही

अक्षरो को बना के मोती बस यूँ ही पिरो जाता हूँ कभी हंसा कर तो, कभी रुला जाता हूँ बिखरे बिखरे है सब के अरमां यहाँ उन्हे शब्दों में सज़ा देता हूँ निराशा के सागर में डुबे लोग यहाँ उनको भी खुश कर जाता हूँ। कुछ नही है यारो, बस तुम्हारे ही शब्दों को चुपके से चुरा जाता हूँ। अक्षरों को बना के मोती बस यूँ ही पिरो जाता हूँ।

शत्रुंजय तिवारी

खास पाती | अल्ल सुबह, उनींदी पलकों पर

अल्ल सुबह, उनींदी पलकों पर झिलमिलाते ख्वाब ताक पर रखते हुए। झुरमुट में छुपे चाँद को साँझ तक विदा देते हुए। किरणों के रथ पर सवार नन्हे रुपहले गोले को सुस्वागतम कहते हुए। निंद्रा रानी की गोद में स्वप्न-नगर की सैर करते बाल-गोपालों को अपलक निहारते हुए। खेत-खलिहानों से उड़ आई धूल को आँचल से उड़ाते हुए घर-आँगन के कोने-कोने में नेह की धूप-बत्ती जलाते हुए। खिलती महकती फुलवारी में तुलसी चौरे पर दीप जलाते हुए एक पल दरपन में खुद को निरख बेबाक झूलती लट को कानों की ओट में छुपाते हुए। दमकती टिकुली को तर्जनी से स्थिर करते हुए सुबह होती है हमारी, हाँ, इस तरह सुबह होती है हमारी। **डिम्पल गौड़**

जिस इंसान से एक बार प्यार हो

जिस इंसान से एक बार प्यार हो जाता फिर उस'से प्यार के बाद दोस्ती संभव नहीं..अगर फिर भी हम उस व्यक्ति के साथ दोस्ती के रूप में टच में रहते हैं तो वो महज एक ढोंग कर रहे हैं उसके दोस्त के रूप में मानने का,जबकि वास्तविकता पूर्ववत ही रहती है और हम अपनी भावनाओं की हत्या करते रहते हैं..! **राज मालपाणी**

क्या लिखूँ उलझे मेरे लफ्ज़ आज

क्या लिखूँ उलझे मेरे लफ्ज़ आज क्यों इसकदर बातों के बवंडर में लिपटे वक़्त के साथ कुछ सिमटे कोई अपना भी होकर नहीं गैरों से तो कोई चाहत नहीं बेरंग हर एहसास.. नीला अम्बर सूने से जज़्बात चाँद भी पूरे फ़लक पर फिर भी वो ख़ामोश है.. एक वक़्त मैं और मेरी रुह क़ैद है वक़्त में.. कि कभी चुभ जाए कोई बात मन के आंगन में.. फिर इन आंखों में ... सुलझ जाए..एक वक़्त दे जाए गहरे-ठहरे शब्दों को आवाज़... !! **नंदिता तनूजा**

हसरतों के दरख्तों पर खिल पड़े

हसरतों के दरख्तों पर खिल पड़े गुल गुलोफाम, कांटे बिखर पड़े सरेराह राहेगुजर आसां नहीं फकत रोजमर्रे की जिदंगी दुश्वरियों में इतनी ही आसां न यहां सुबह होती सुकूं से शाम हैरां ओ परेशान खामोशी में भी दस्तखत है ठहरी मुस्कुराहटें लबों की हवा बेरूखी सख्त नादांन है एक हम हैं कि बिखरते है टूट कर संभलते हैं खड़े हो चल पड़ते हैं छू लेनें मंजिले अपनी आसमा। **प्रतिमा शर्मा**

दुःख में स्वयं की एक अंगुली

दुःख में स्वयं की एक अंगुली आंसू पोंछती है । और सुख में दसो अंगुलियाँ ताली बजाती है । जब स्वयं का शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से गिला-शिकवा क्या करना दुनियाँ की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं । खुद को समझ लीजिए सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। **अरूणा राव**

हम करते मतदान वे करते निज

हम करते मतदान; वे, करते निज कल्याण। सत्ता सुख पा जीमते, जनता का गुड़ धान। जनता का गुड़ धान, पशु का चारा लीला, सड़क नदी तालाब, सभी कुछ सूखा गीला। होते मालामाल, लाल होते सब चरते। हुए पांच जब साल, विनय फिर मत की करते। **हरिवल्लभ शर्मा 'हरि'**

ज़िन्दगी जैसे नीर है....जैसा रंग

ज़िन्दगी जैसे नीर है....जैसा रंग हम इसमें मिलायेंगे ये वैसी ही प्रतीत होती है तो फिर क्यों ना ज़िन्दगी में हम आशा का..विश्वास का सकारात्मकता का रंग घोल दें सुबह सुबह ही ज़िन्दगी ने सुनी थी मेरी बात... उसी ने समझाया है ये रहस्य। **निरंजन 'नीर'**

QUIZ TIME

1) 'गोठान का विकास' किससे संबंधित है? (नरूवा / गरूवा / घुरूवा / बाड़ी)

2) 'कहां बिलागे मोर धान के कटोरा' के लेखक कौन है?

3) छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब हुई?

4) अवर्गीकृत वनों का विस्तार सर्वाधिक किस जिले में है?

5) व्यक्ति का नाम बताइए?

Ramaquiz

उत्तरमाला (1) नरूवा (2) केयूर भूषण (3) अप्रैल 2001 (4) दंतेवाड़ा (5) मनोज मंडावी, विधानसभा उपाध्यक्ष

आज का इतिहास

नई दिल्ली (वार्ता)। भारतीय एवं विश्व इतिहास में 5 नवंबर की प्रमुख घटनाएं इस प्रकार हैं-

1556 - पानीपत के दूसरे युद्ध में मुग़ल शासक अकबर ने हेमू को हराया। 1630 - स्पेन और इंग्लैंड के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर। 1678 - जर्मनी की विशेष सेना ब्रैंडनबर्गर्स ने स्वीडन में ग्रीफ्सवाल्ड शहर पर कब्जा जमाया। 1811 - स्पेन के खिलाफ मध्य अमेरिकी देश अल सल्वाडोर का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष। 1854 - क्रीमिया के युद्ध में ब्रिटिश और फ्रांस की संयुक्त सेना ने इकेरमान में रूसी सेना को पराजित किया। 1870 - महान स्वतंत्रता सेनानी चित्तरंजन दास का जन्म। 1914 - इंग्लैंड और फ्रांस ने तुर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। 1917 - स्वतंत्रता सेनानी एवं हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता का जन्म। 1920 - इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी की स्थापना। 1930 - अमेरिका के महान साहित्यकार सिन्क्लेयर लेविस को उनकी कृति बाबित्त के लिए साहित्य का नोबल पुरस्कार मिला। 1950 - ध्रूपद तथा खयाल गायन शैली के श्रेष्ठतम गायक फैयाज खां का निधन। 1951 - अमेरिका ने नेवादा में परमाणु परीक्षण किया। 1976 - सोवियत संघ ने परमाणु परीक्षण किया। 1985 - तंजानिया के राष्ट्रपति जूलियस न्येरेरे ने 24 वर्ष तक शासन करने के बाद पद छोड़ा। 1995 - इजरायल के प्रधानमंत्री यित्जाक रॉबिन की गोली मारकर हत्या। 1998 - प्रगतिशील लेखक एवं कवि नागार्जुन का निधन। 1999 - वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज़ मैल्कम मार्शल का निधन।

■ न्यूज गैलरी

ग्राम पंचायत तुलसी में गौठान और बाड़ी का निरीक्षण

खरोरा। आज ग्राम पंचायत तुलसी में गौठान और बाड़ी का निरीक्षण किया । जिसमें जिला पंचायत सदस्य सोना वर्मा और सरपंच दौपति देव कुमार वर्मा और उपसरपंच नंदिनी वर्मा ने जायजा लिया ।और हकदर्शिका विशु वर्मा, संजना कुर्रे ने इनकी जानकारी दी।

गांव में हुड़दंग करने वाला गिरफ्तार

खरोरा। खरोरा थाना अंतर्गत ग्राम गैतरा व बरौंदा के युवक को गाँव मे हुडदंग करना महंगा पडा जहाँ

खरोरा पुलिस ने हुडदंग फैलाने दोनो युवको पकड़ जेल भेजा खरोरा पुलिस आने वाले दिनो मे त्यौहार के मद्देनजर हुडदंग करने वालो के खिलाफ कार्यवाही करने की बात कही जिससे थाना क्षेत्र के गाँव मे शांति रहे । प्राप्त जानकारी अनुसार अशांति फैला रहे क्रमशः मनाराम पिता लसेल आयु 31 वर्ष निवासी गैतरा व सतीश धीवर पिता नरेश धीवर आयु 19 वर्ष निवासी बरौंदा के विरुद्ध जाफौ की धारा 151, 107, 116 (3) की प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही कर एस डी एम न्यायालय पेश किया गया।

कठिया में जुआ खेलते हुए गिरफ्तार

खरोरा। थाना कठिया मे जुआ खेलते जुआरी पुलिस के हत्थे चढा ।खरोरा थाना प्रभारी नितेश सिंह ठाकुर ने बताया अंतर्गत ग्राम कठिया में कल रात्रि ताशपत्ति जुआ खेल रहे दीपक कुमार पिता प्रकाश यादव, लोकेश कुमार पिता मिलाप महिलांग एवं महेंद्र कुमार पिता संतोष बंजारे सभी निवासी ग्राम कठिया को पकड़ा गया। आरोपियों के पास से 52 पत्ति ताश व 3500/ रूपये जुआ रकम बरामद किया गया। आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 354/2020 धारा 13 जुआ एक्ट कायम कर कार्यवाही किया गया।

महिला समुह के सदस्यों को दी अश्लील गाली, उपसरपंच को दी जान से मारने की धमकी

महासमुंद। स्वच्छता अभियान के तहत ग्राम लाफिंनकला में गाँव की महामाया समुह की महिलाएं भ्रमण कर रहे थी. तब उन्हें गांव के पूरन साहू के घर के पास शराब के गंध आने लगी. जिसे महिला समुह सदस्यों द्वारा बोलते हुए आगे निकल गयी. लेकिन पूरन साहू समूह के सदस्यों की बात सूनकर उनके पीछे-पीछे आ गया और सभी महिला समुह के सदस्यों को अश्लील शब्द बोलने लगा। अश्लील शब्द बोलने पर जब महिलाएं इसका विरोध की तो मां बहन की गालिया देने लगा. तब महामाया समिति की अध्यक्ष सुखम पटेल ने सरपंच हेमीन पटेल को फोन से सूचना दिया. जिसपर नेतन पटेल, उप सरपंच डूमन लाल साहू के साथ आया और पूरन साहू को समझाइस देने लगा. तो वह उन्हे भी मां बहन की बुरी बुरी गालियां देते जान से मारने की धमकी दिया. जिसपर पुलिस ने आरोपी पूरन के विरुद्ध धारा 294-IPC, 506-IPC पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।

राजपूत क्षत्रिय युवा महासभा का आयोजन

खरोरा। राजपूत क्षत्रिय युवा महासभा छ ग 38271 के तत्वाधान मे रायपुर धनेली मे क्षत्रिय युवाओ द्वारा दशहरा शस्त्र पूजन व युवा महोत्सव का आयोजन किया गया।। जिसमे भारी संख्या मे युवाओ ने पहुँचकर विधि विधान से शस्त्र पूजन किया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि क्षत्राणी नीरू सिंह बिष्ठ जी ने बताया की क्षत्रियो मे शस्त्र पूजन हमारी पुरानी परंपरा है जिसको बचाए रखना अत्यन्त आवश्यक है। आज क्षत्रिय आधुनिकता की चकाचौंध मे अपनी संस्कृति परंपरा को खोते जा रहा है। एक क्षत्रिय को शस्त्र के साथ साथ अपने शास्त्र का भी बोध होना अत्यन्त आवश्यक है।

शासकीय अधिकारी - कर्मचारी फेडरेशन छत्तीसगढ़ का धरना जारी

गरियाबंद। शासकीय अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन, छत्तीसगढ़ के बैनर तले अपनी 11 मांगों को लेकर नगर मुख्यालय के गांधी मैदान में दो दिवसीय धरना प्रदर्शन जारी रखा गया।

फेडरेशन ने अपनी मांगों में कहा है कि छत्तीसगढ़ शासन में कोरोनावायरस संक्रमण काल में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वित्तीय मितव्ययता एवं अनुशासन के नाम पर कर्मचारियों को मिलने वाली नियमित वेतन वृद्धि,महंगाई भत्ता,अनुकंपा नियुक्ति,सातवां वेतनमान के एरियर पर रोक लगाकर कर्मचारियों की जायज मांगों को लंबित रखा गया है । जबकि राज्य शासन द्वारा वह सभी तरह के कार्य किए जा रहे हैं जिन्हें कर्मचारियों की जायज मांगों को पूर्ण करने के उपरांत किया जाना राज्य के हित में है । फेडरेशन द्वारा मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के नाम ज्ञापन में लिखा गया है। कि शासकीय अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के निम्नलिखित मांगों पर उदारता एवं न्याय प्रियता के साथ प्रतिनिधिमंडल से सार्थक चर्चा करते हुए मांगों पर शीघ्र घोषणा करने मांग की गई है ।

11 मांगों में फेडरेशन की मांग

- प्रदेश के लिपिकों सहित समस्त कर्मचारियों के वेतनमान की विसंगति का तत्काल निराकरण किया जावे ।
- कोरोना संक्रमण से मृतक कर्मचारी के आश्रित परिवार को 50 लाख रुपए का अनुदान एवं परिवार के सदस्य को योग्यता अनुसार निश्चित विशेष अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए ।
- कोरोना वारिस के रूप में स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक,नर्स एवं पैरामेडिकल स्टाफको प्रोत्साहन राशि के रूप में एक माह का अतिरिक्त वेतन प्रदान किया जाए ।
- जुलाई 2020 में मिलने वाली वेतन वृद्धि को तत्काल बाहर किया जाए।
- कोरोना संक्रमण काल के पहले देय सातवें वेतनमान की एरियर्स की तृतीय किस्त एवं जुलाई 2019 में 5% देय महंगाई भत्ता समस्त कर्मचारियों एवं पेंशनरों को प्रदान किया जावे ।
- तृतीय श्रेणी के पदों पर विगत 2 वर्षों से अनुकंपा नियुक्ति के 10% के बंधन को शिथिल किया जावे एवं अनुकंपा नियुक्ति के सभी लंबित प्रकरणों का एक माह की समय सीमा में निराकरण किया जाए ।
- समस्त विभागों में लंबित पदोन्नत शीघ्र प्रारंभ किया जावे एवं एक समान रूप से सभी सवर्गों को क्रमोन्नत एवं समय मान वेतनमान का लाभ दिया जाए।
- चतुर्थ श्रेणी के कार्यभारित एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित पदस्थापना में नियुक्त कर नियमित कर्मचारियों के समान समस्त लाभ दिया जावे।
- कोरोना में पीड़ित शासकीय कर्मचारी एवं उसके आश्रित सदस्यों के इलाज में खर्च राशि के चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु समस्त विभागों में विशेष आवंटन राशि प्रदान किया जावे ।
- नई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना छत्तीसगढ़ राज्य में लागू की जाए।
- समस्त विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के बराबर वेतन दिया जाएगा एवं जिला तथा जनपद पंचायत सहित समस्त विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को मूल विभाग में संविलियन किया जाने जैसे मांगों को लेकर लगातार दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी रखा गया बाद में सभी ने मोटरसाइकिल से रैली निकाला गया जिसमें जिलाध्यक्ष लखन लाल साहू,सुदामा ठाकुर, पन्ना लाल, बसंत मिश्रा, बसंत त्रिवेदी, लक्ष्मी वर्मा, छवि सिंह राजपूत, प्रकाश गीधौड़े, सुविनय बोस, टिकेश्वर यादव, राकेश शर्मा, दुर्गा ध्रुव, भगवती ध्रुव, शत्रुघ्न मिश्रा, अमृत ठाकुर, लखन सिन्हा, सतीश साहू, रजनीश रामटेके, रोहित तिवारी, सोमेश्वर ठाकुर, तीरथ देवदास, देवेंद्र वर्मा सहित आदि उपस्थित रहे ।

गरियाबन्द लैम्पस सोसायटी में वार्षिक आमसभा का आयोजन सम्पन्न

गरियाबन्द। आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित पंजीयन क्रमांक 1650, गरियाबन्द का वार्षिक आमसभा समिति अध्यक्ष सेवकराम पुजारी के अध्यक्ष में सम्पन्न हुआ ।

पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 का वार्षिक आमसभा समय पर कराया जाना था किन्तु कोरोना महामारी के चलते लॉकडाऊन के कारण नहीं कराया गया था जिसे 31 अक्टूबर 2020 को संचालक बोर्ड और किसानों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ, किन्तु बैंक पक्ष और सहकारिता विभाग से कोई नहीं उपस्थित हुआ जिससे मार्गरदर्शन नहीं मिल पाया, जबकि इन्हें विधिवत प्रभारी समिति प्रबन्धक ने सूचना दिए थे ।

आम जलसा की शुरूवात करते हुए संस्था के वरिष्ठ डायरेक्टर मुरलीधर सिन्हा ने कहा कि समिति ने किसानों को खाद-बीज एवं नगद ऋण का वितरण सुव्यवस्थित ढंग किया है और पिछले सीजन में किसानों का पूरा उपज धान तीनों खरीदी केंद्र के माध्यम से 136972 क्विंटल धान की खरीदी किया गया किन्तु अव्यवस्था के चलते समिति को 1839 क्विंटल की शार्टेज (कमी) हुई है जिससे समिति को 55 लाख से भी अधिक नुकसान हुआ है जो किसानों की जमापूँजी है । समिति के अध्यक्ष सेवकराम पुजारी ने अपने उद्बोधन में कहा कि आगामी समय यह सब अव्यवस्था को दूर करने प्रयास किया जावे यह घोर लापरवाही का परिणाम है । प्रभारी प्रबन्धक के स्वास्थ्य ठीक नहीं के कारण लिपिक आनंद यादव ने समिति का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया । इस अवसर उपाध्यक्ष श्रीमति मनटोरा साहू, संचालकगण चन्द्रभूषण चौहान, पुन्नूलाल कुटारे, राधेलाल ध्रुव, हेमलाल सिन्हा, त्रिलोक सिन्हा, श्रीमति कमलाबाई नेताम सहित किसानों की उपस्थिति रही है ।

धान उपार्जन की प्रारंभिक तैयारियों के संबंध मे ली जानकारी

साजा । कलेक्टर शिव अनंत तायल ने आज यहां समय सीमा की बैठक लेकर लंबित आवेदनों के शीध्र निराकरण के निर्देश दिये। बैठक के दौरान उन्होने रबी सीजन मे किसानों को खाद-बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। किसानों को किसी तरह की दिक्कत न होने पाए। कलेक्टर ने समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की प्रारंभिक तैयारियों, बारदानों की उपलब्धता आदि के संबंध मे जानकारी ली। जिला विपणन अधिकारी ने बताया कि बेमेतरा जिले मे पर्याप्त मात्रा मे जुट का बारदाना प्राप्त हो गया है। इसके अलावा शासकीय उचित मूल्य के दुकानों (पीडीएस) के बारदानों का उपयोग विपणन वर्ष 2020-21 मे धान खरीदी मे किया जायेगा। बेमेतरा जिले मे 54 सहकारी समितियां है, इसके अन्तर्गत गत वर्ष 91 धान खरीदी केन्द्र बनाये गये थे। राज्य शासन द्वारा समर्थन मुल्य पर धान खरीदी के पंजीयन कार्य 10 नवम्बर तक बढ़ा दी गई है। जो किसान पंजीयन नही करा पाये हो वे निर्धारित तिथि के पूर्व पंजीयन करवा सकते हैं। कलेक्टर ने विभिन्न निर्माण कार्यों को शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिये। बेमेतरा जिले के 07 स्थानों मे 33/11 के.व्ही. विद्युत उपकेन्द्र प्रस्तावित है। इनमें बेमेतरा विकासखण्ड के अन्तर्गत ग्राम-डंगनिया, जाता, अर्जुनी, गुनरबोड़, लोलेसरा, साजा के अन्तर्गत ग्राम लुक एवं नवागढ़ के अन्तर्गत ग्राम-कटई शामिल है।

सीसी रोड निर्माण के लिए भूमिपूजन

महासमुंद। नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्राकर ने वार्ड पार्षद देवीचंद राठी की मौजूदगी में 2.50 लाख की लागत से निर्माणाधीन कांक्रीटीकरण हेतु भूमिपूजन किया। वार्ड 10 के नागरिकों के लंबे अरसे से सड़क निर्माण की मांग रही है, जिस पर पालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्राकर ने 2.50 लाख रुपए की स्वीकृति दी थी, जिसके लिए भूमिपूजन किया गया। इस दौरान पालिका अध्यक्ष ने कहा, लोगों को मूलभूत सुविधाओं में कोई कमी नहीं होगी। सभी पार्षद वार्डों के विकास के लिए संकल्पित हैं। इस अवसर पर सभापति एवं उपाध्यक्ष कृष्णा चंद्राकर, देवीचंद राठी, गोलू मदनकार, हनिश बग्गा, महेन्द्र सिक्का सहित वार्डवासी उपस्थित थे।

10 लीटर महुआ शराब बरामद

महासमुंद। महुआ शराब की बिक्री करते हुए ग्राम डूमरपाली में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि यशवंत ठाकुर पिता बाबूलाल (30) व एक अन्य को शराब बिक्री करते हुए पकड़ा। दोनों के पास से 10 लीटर महुआ शराब कीमती 2 हजार रुपए जब्त कर आबकारी एक्ट 34 (2) के तहत कार्रवाई की।

होटल में फांसी लगाई

महासमुंद। मंगलवार को खल्लारी थाना क्षेत्र के ग्राम मोहगांव में एक युवक ने अज्ञात कारणों से होटल में फांसी लगा ली। जानकारी के मुताबिक कोल्दा निवासी फिलेश्वर पिता पीलू दीवान (30) ने लक्ष्मीनाथ साहू के होटल में फांसी लगा ली। परिजनों की सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच में लिया है।

खेत और व्यायाम शाला से चोरी, एक गिरफ्तार

महासमुंद। बागबाहरा और साइबर सेल की टीम ने मंगलवार को पंप और केबल चोरी के आरोपी युवक को धर दबोचा। आरोपी से पुलिस ने चोरी का सामान बरामद की है। ग्राम कोटनपाली से बीते 21 जुलाई को खेत में लगे पांच सौ फीट केबल चोरी होने की शिकायत किसान सुखनलाल साहू ने थाने में दर्ज कराई थी। इसी तरह 26 अगस्त को बागबाहरा सीएमओ ने वार्ड 12 तेन्दूलोथा व्यायाम शाला में लगे ट्यूबवेल 2 एचपी के मोटर पम्प कीमती 17300 एवं केबल वायर 100 फिट चोरी होने की शिकायत थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने संदेह के आधार पर वार्ड 15 पुराना रावण भाठा निवासी जोहन देवार पिता घासीराम (30) को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने चोरी करना स्वीकार किया। आरोपी से पुलिस ने चोरी का सामान 100 फ़ीट केबल कीमती 12000 रूपये, 2 एचपी का मोटर पंप कीमती 17300 और काले रंग का केबल वायर 2550 रूपये और घटना में प्रयुक्त वाहन सीजी 06 जीपी 5357 कीमती 15000 रूपये कुल जुमला 46850 रूपये जब्त कर आरोपी को जेल भेज दिया। कार्रवाई में थाना प्रभारी उनि स्वराज त्रिपाठी, प्रआर भोलेन्द्रा ठाकुर आर. हेमलाल निषाद, भूपेन्द्रि चंद्राकर, साइबर सेल से आरक्षक दिनेश साहू का विशेष योगदान रहा।

पूर्व विधायक ने 100 राजस्व प्रकरणों का कराया मौके पर निराकरण

महासमुंद। भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य व पूर्व विधायक डा विमल चोपड़ा ने अपने कार्यकताओं के साथ अनुविभागीय राजस्व कार्यालय परिसर में 12 से 2 बजे तक बैठकर 100 आवेदनों का तहसीलदार से मिलकर तत्काल निवारण कराया। पूर्व विधायक डॉ चोपड़ा के पास आवेदन लेकर पहुंचे ग्राम भोरिंग के पुन्नी साहू ने बताया कि वे बहुत परेशान हैं, जमीन 32 सालों से हमारे नाम से थी, जिसमें हमने पिछले वर्ष ही पंजीयन कराकर धान बेचा था। लेकिन इस वर्ष नाम किसी और का दिखा रहा है। जिसके कारण पंजीयन कराने की समस्या आ रही है। पूरी जानकारी लेने के बाद डा चोपड़ा ने नायब तहसीलदार के साथ चर्चा कर आवेदन पर त्वरित कार्यवाही कराया। डॉ चोपड़ा ने बताया कि ऐसे अनेक प्रकरण सामने आए हैं जिसमें जिनकी जमीन वर्षों से उनके नाम से थी अचानक ही दूसरे के नाम दिखाने से सभी बहुत परेशान हैं। जिसमें पटवारी की मिलीभगत है। डॉ चोपड़ा ने कहा कि तहसीलदार व नायब तहसीलदार कार्य के लिए तत्पर हैं, लेकिन पटवारी व छोटे कर्मचारी कार्य में उनकी रूचि दिखाई नहीं देती। डॉ चोपड़ा ने नायब तहसीलदार से कहा कि पटवारियों पर काम करने अपना नियंत्रण रखें, लोगों को परेशान करना बंद करें अन्यथा आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। डॉ चोपड़ा ने आगे कहा कि बैंकों से बंधक हटाने के भी अधिक आवेदन प्राप्त होने पर कहा कि जो लोग बैंकों से कर्ज लेते हैं और कर्ज चुकाने के बाद भी कम्प्यूटर से उन्हें एनओसी नहीं दिया जा रहा है। जिसके कारण किसान तहसील कार्यालय व बैंकों का चक्कर काट रहे हैं। चोपड़ा ने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी की जनता अदालत में आवेदन किए हैं और उनके आवेदन में आगे कार्यवाही नहीं हुई हो तो वे पुनः तहसील कार्यालय में आकर मिल सकते हैं। नायब तहसीलदार से चर्चा के दौरान सांसद प्रतिनिधि पवन साहू, भाजपा नेता प्रेम चन्द्राकर, जितेन्द्र साहू, जगन्नाथ छुरा प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

26 लोगों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजीटिव

महासमुंद। महासमुंद जिले में 3 नवम्बर को 591 कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों की जाँच की गई। जिसमें 26 लोगों की कोरोना जाँच रिपोर्ट पॉज़िटिव आयी है। आरटीपीसीआर से 8, ट्रू-नाट से 6 और एंटीजन से 577 टेस्ट किए गए। सर्वाधिक सरायपाली विकासखण्ड 9, महासमुंद और बसना विकासखण्ड में 6-6, बागबहारा में 4 जाँच रिपोर्ट में कोरोना पॉज़ीटिव पाए गए। वही पिथौरा विकासखण्ड से केवल एक कोरोना पॉजीटिव आया है। ज़िला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन में बताया गया कि जिले में अब तक कुल 4842 कोरोना पॉजीटिव आए।

बकाया मजदूरी की मांग को लेकर सभापति के नेतृत्व में सरदा रायपुर मार्ग पर मजदूरों ने किया चक्काजाम

साजा। बेमेतरा जिले के बेरला ब्लाक के सरदा-लेंजवारा धान संग्रहण केंद्र के 180 मजदूरों की 15 लाख रुपए से अधिक मजदूरी भुगतान बकाया है। जिसको लेकर मजदूर आज सड़क पर बैठने मजबूर हो गये और लिखित समय सीमा आश्वासन की मांग करने लगे उनके आक्रोश को देखते हुए विभाग लिखित आश्वासन देने मजबूर हुई और सप्ताह भर के भीतर मजदूरी भुगतान की बात स्वीकार की। आपको बता दे पूर्व इस सम्बंध में फड़ प्रभारी व जिला विपणन अधिकारी से संतोजनक जवाब नहीं मिलने, व लगातार आश्वासन से मजदूरों में खासी नाराजगी थी और उन्होंने बीते 20 दिनों से काम बंद कर दिया है। मजदूरों ने इसकी शिकायत जिला पंचायत सभापति राहुल टिकरिहा से कर, मजदूरी दिलाने की मांग की थी। इसके बाद राहुल टिकरिहा ने बेरला एसडीएम संदीप ठाकुर को मजदूरी भुगतान नही होने के कारण धरना प्रदर्शन व चक्काजाम हेतु पत्र प्रेषित किया था जिसके अनुसार आज उनके नेतृत्व में मजदूर सड़क पर बैठ धरना प्रदर्शन करने लगे और सड़क पर चक्काजाम कर दिया।

मजदूरों ने बताया कि मजदूरी के लिए अधिकारियों से गुहार लगा लगाकर थक चुके हैं, लेकिन कही से भी राहत नही मिल रही है। अधिकारी राज्य से राशि नही मिलने की बात कहकर गोलमोल जवाब दे रहे हैं। इसीलिए आज हम सभी मुह पर काली पट्टी बांध कर बैठे है।

ग्राम बिरकोनी में 24 लाख के विकास कार्यों की सौगात

■ **संसदीय सचिव ने किया विकास कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन**

महासमुंद। ग्राम पंचायत बिरकोनी में संसदीय सचिव विनोद सेवनलाल चन्द्राकर ने 24 लाख के विकास कार्यों का भूमिपूजन व लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के मुखिया भूपेश बघेल के नेतृत्व में शहर व गांवों का सर्वांगीण विकास हो रहा है।

आज मंगलवार को ग्राम पंचायत बिरकोनी में 11.38 लाख की लागत से शौचालय निर्माण व 3 लाख की लागत से सीसी रोड निर्माण का भूमिपूजन तथा 9.61 लाख की लागत से चबूतरा निर्माण का लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संसदीय सचिव विनोद सेवनलाल चन्द्राकर थे। अध्यक्षता जिला पंचायत सदस्य अमर चन्द्राकर ने की। विशेष अतिथि के रूप में जनपद सदस्य यतेंद्र साहू, अरुण चन्द्राकर, चंदन चन्द्राकर, बलराम पटेल, कुलेश्वर ठाकुर, माणिक साहू थे। मुख्य अतिथि संसदीय सचिव श्री चन्द्राकर ने उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र में ग्राम विकास की नई तस्वीर उभर कर सामने आई है। जो विकास कार्य हुए हैं, उसे गिनाने की जरुरत नहीं है।

न्यायालय तहसीलदार भाटापारा
जिला-बलौदाबाजार- भाटापारा (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र./अ-6/वर्ष 2020-21
ग्राम- खपराडीह प.ह.नं. 42

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्री महेश पुंजी पिता लेखराज पुंजी निवासी बजरंग वार्ड भाटापारा, तहसील भाटापारा जिला बलौदाबाजार-भाटापारा छ.ग. के द्वारा ग्राम खपराडीह प.ह.नं. 42 रा.नि.मं. वो तहसील भाटापारा में स्थित भूस्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 65/1 का टु. रकबा 0.2750 हे. में से 0.0150 हे. अर्थात 1638 वर्गफुट परि. लगान 1672 रुपए में से आवासीय खुला भूखण्ड को ई पंजीयन विक्रय विलेख क्रमांक 60 दिनांक 15/05/2020 को आवासीय प्रयोजन हेतु अनावेदक अनिल कुमार रोचलानी पिता फेरूमल रोचलानी से क्रय करने के कारण अपने नाम पर नामांतरण किए जाने हेतु पंजीकृत विक्रय विलेख की छायाप्रति, बी.-1, खसरा की नकल सहित आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसके संबंध में प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है तथा दिनांक 04.11.2020 को सुनवाई हेतु नियत है।

उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति/संस्था को दावा/ आपत्ति प्रस्तुत करना है तो सुनवाई हेतु नियत दिनांक 04.11.2020 तक स्वयं या अपने वैध अभिभाषक के माध्यम से नियत समय व स्थान में दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा /आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार आज दिनांक 16.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर सहित जारी किया गया।

सील
तहसीलदार
भाटापारा (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार भाटापारा
जिला-बलौदाबाजार- भाटापारा (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र./अ-6/वर्ष 2020-21
ग्राम- खैरी प.ह.नं. 16

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदकगण अशोक कुमार साहू पिता रामसिंह साहू अन्य 02 निवासी ग्राम खैरी तहसील भाटापारा के द्वारा ग्राम खैरी प.ह.नं. 16 रा.नि.मं. वो तहसील भाटापारा में स्थित भूमि खसरा नंबर 87/1, 87/2 रकबा 2.8610, 1.8620 हे. कुल खसरा नं. 02 योग रकबा 4.7230 हे. लगान 6.00 रुपए भूमि जो राजस्व अभिलेखों में श्रीमती जन्तोबाई पति रामसिंह साहू के नाम पर दर्ज है। जन्तोबाई पति रामसिंह साहू की मृत्यु दिनांक 29.09.2020 को हो चुकी है। आवेदकगण द्वारा उक्त भूमि को पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 26.08.2020 के आधार पर अपने नाम पर नामांतरण किए जाने हेतु पंजीकृत वसीयतनामा की छायाप्रति, बी-1, खसरा, मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति सहित आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसके संबंध में प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है तथा दिनांक 11.11.2020 को सुनवाई हेतु नियत है।

उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति/संस्था को दावा/ आपत्ति प्रस्तुत करना है तो सुनवाई हेतु नियत दिनांक 11.11.2020 तक स्वयं या अपने वैध अभिभाषक के माध्यम से नियत समय व स्थान में दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा /आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार आज दिनांक 20.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर सहित जारी किया गया।

सील
तहसीलदार
भाटापारा (छ.ग.)

कार्यालय, नगर पालिक निगम
जोन क्र. 7, रायपुर
मंगलम काम्पलेक्स, अग्रसेन चौक के पास, रायपुर (छ.ग.)

//ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना //

नामांतरण प्र.क्र. 104/2020-2021
वार्ड का नाम- श.मनमोहन सिंह बक्शी-23

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि मनमोहन सिंह बक्शी वार्ड स्थित मकान/ भूमि/ 23/ 2097 (मस्जिद के पीछे) जो कि निगम अभिलेख में श्री/श्रीमती तारणी त्रिपाठी के नाम से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती मुमताज बेगम पति रियाज खान ने मृत्यु प्रमाणपत्र/ सहमति पत्र/ शपथ पत्र/ रजिस्ट्री के अनुसार/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर दस्तावेजों के साथ प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी, जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

सूचना जाने।
जोन कमिश्नर
जोन क्र.-07
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, नगर पालिक निगम
जोन क्र. 7, रायपुर
मंगलम काम्पलेक्स, अग्रसेन चौक के पास, रायपुर (छ.ग.)

//ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना //

नामांतरण प्र.क्र. 105/2020-2021
वार्ड का नाम- तात्यापारा-37

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि तात्यापारा वार्ड स्थित मकान/ भूमि/ 23/ 2097 (मस्जिद के पीछे) जो कि निगम अभिलेख में श्री/श्रीमती रामलखन, रामचन्द्र वो शिवलाल शर्मा पिता सत्यनारायण शर्मा के नाम से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती रौशन विश्वकर्मा पिता स्व. किशोर कुमार ने मृत्यु प्रमाणपत्र/ सहमति पत्र/ शपथ पत्र/ रजिस्ट्री के अनुसार/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर दस्तावेजों के साथ प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी, जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

सूचना जाने।
जोन कमिश्नर
जोन क्र.-07
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी आरंग, जिला- रायपुर (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र. 202011112400061
अ/2 वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्रीमती देवकी वर्मा पति श्री चिंताराम वर्मा निवासी खम्हारिया, तहसील आरंग जिला रायपुर द्वारा ग्राम मुनगेसर प.ह.नं. 03 रा.नि.मं. चंदखुरी, में स्थित भूमि खसरा नंबर 31/20 रकबा 0.024 हे. भूमि का व्यपवर्तन/ पुर्ननिर्धारण किए जाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। वादभूमि आवेदक के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदक द्वारा वादभूमि का रकबी 0.024 हे. भूमि का पुर्ननिर्धारण व्यपवर्तन आवासीय प्रयोजन में करने का निवेदन किया है। उक्त संबंध में किसी को दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वे स्वतः या अपने अधिवक्ता के माध्यम से नियत तिथि दिनांक 10/11/2020 तक मेरे न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत अवधि के पश्चात प्रस्तुत दावा आपत्ति पर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 02/11/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की सील मुहर से जारी किया गया है।

सील
सक्षम प्राधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
आरंग, जिला-रायपुर छ.ग.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी आरंग, जिला- रायपुर (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र. 202011112400006
अ/2 वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्रीमती रूपेन्द्र पति श्री प्रमोद तिवारी निवासी रायपुर छ.ग. द्वारा ग्राम जुगेशर प.ह.नं. 12 रा.नि.मं. मंदिर हसौद में स्थित भूमि खसरा नंबर 2/1 का रकबा 0.7200 हे. का भाग रकबा 0.12 हे. भूमि का व्यपवर्तन/ पुर्ननिर्धारण किए जाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। वादभूमि आवेदक के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदक द्वारा वादभूमि का रकबी 0.12 हे. भूमि का पुर्ननिर्धारण व्यपवर्तन आवासीय प्रयोजन में करने का निवेदन किया है। उक्त संबंध में किसी को दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वे स्वतः या अपने अधिवक्ता के माध्यम से नियत तिथि दिनांक 17/11/2020 तक मेरे न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत अवधि के पश्चात प्रस्तुत दावा आपत्ति पर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 03/11/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की सील मुहर से जारी किया गया है।

सील
सक्षम प्राधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
आरंग, जिला-रायपुर छ.ग.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी आरंग, जिला- रायपुर (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र. 202011112400002
अ/2 वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्रीमती शीतल अग्रवाल पति श्री विमल अग्रवाल निवासी शक्तिनाला आरंग द्वारा ग्राम निषदा प.ह.नं. 57 में स्थित भूमि खसरा नंबर 974/1 रकबा 0.220 हे. तथा 974/2 रकबा 0.200 हे. कुल रकबा 0.4200 हे. का व्यपवर्तन/ पुर्ननिर्धारण किए जाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। वाद भूमि आवेदक के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदक द्वारा वादभूमि का कुल रकबा 0.4200 हे. भूमि का पुर्ननिर्धारण व्यपवर्तन आमोद-प्रमोद (सम्मेलन हाल) प्रयोजन में करने का निवेदन किया है। उक्त संबंध में किसी को दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वे स्वतः या अपने अधिवक्ता के माध्यम से नियत तिथि दिनांक 18/11/2020 तक मेरे न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत अवधि के पश्चात प्रस्तुत दावा आपत्ति पर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 04/11/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की सील मुहर से जारी किया गया है।

सील
सक्षम प्राधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
आरंग, जिला-रायपुर छ.ग.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, आरंग के न्यायालय में मामला क्रमांक 202010112400058

विषय-अ-2 मामले की श्रेणी- राजस्व सन् 2020-21
कुकरा प.ह.नं. 00024 (473 (0.3000 हे.)
पक्षकारों का विवरण-
आवेदक पक्षकार - जगेसर साहू
अनावेदक पक्षकार -

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि आवेदक जगेसर साहू पिता स्व. रामचरण साहू निवासी कुकरा द्वारा ग्राम कुकरा प.ह.नं. 24 रा.नि.मं. आरंग में स्थित भूमि खसरा नंबर 473 का भाग रकबा 0.12 हे. भूमि का व्यपवर्तन/ पुर्ननिर्धारण किए जाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। वादभूमि आवेदक के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदक द्वारा वादभूमि का रकबा 0.12 हे. भूमि का पुर्ननिर्धारण व्यपवर्तन आवासीय प्रयोजन में करने का निवेदन किया है। उक्त संबंध में किसी को दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वे स्वत: या अपने अधिवक्ता के माध्यम से नियत तिथि दिनांक 13/11/2020 तक मेरे न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत अवधि के पश्चात प्रस्तुत दावा आपत्ति पर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से आज दिनांक 28/10/2020 को जारी किया जाता हैं।

सील
VINAYAK SHARMA
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
आरंग, जिला-रायपुर (छ.ग.)

45 करोड़ की लागत से बनेगा आरंग विधानसभा क्षेत्र के गुल्लू में 132 के.वी.पॉवर सब-स्टेशन

डॉ. शिवकुमार डहरिया की अनुशंसा पर क्षेत्र की जनता को मिलेगा लो-वोल्टेज की समस्या से निजात

- 15 वर्षों के बाद आरंग क्षेत्र को कैबिनेट मंत्री मिलने से हो रहा है लाभ
- लगभग 40 वर्षों से पॉवर लाईन के लिये महासमुंद के उपर निर्भर था आरंग

अर्जुनी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगा हुआ विधान सभा क्षेत्र आरंग में लगभग 15 वर्षो से व्याप्त लो-वोल्टेज की समस्या से क्षेत्रवासी काफी परेशान थे, कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा तत्कालीन शासन से मांग करने पर भी इस दिशा में कोई सार्थक पहल नही हुआ था। वर्ष 2018 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद आरंग विधान सभा क्षेत्र के विधायक व कैबिनेट मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया को क्षेत्र की जनता व स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा लो-वोल्टेज की समस्या से अवगत कराने पर उन्होंने तत्काल विद्युत् विभाग के उच्च अधिकारियों से चर्चा कर लो-वोल्टेज की समस्या का स्थायी समाधान निकालने के लिये निर्देशित किया। उच्च अधिकारियों ने आरंग क्षेत्र में 132 के. वी. पॉवर सब-स्टेशन निर्माण की आवश्यकता से मंत्री जी को अवगत कराया गया। जिसके बाद कैबिनेट मंत्री, डॉ. डहरिया की अनुशंसा पर आरंग विधान सभा क्षेत्र के ग्राम गुल्लू में 10 एकड़ भूमि का चिन्हांकन कर विद्युत् विभाग के ट्रांसमिशन कम्पनी को भूमि आवंटित किया गया और लगभग 45 करोड़ की लागत से 132 के. वी. पॉवर सब-स्टेशन निर्माण की स्वीकृति प्रदान किया गया। विदित हो कि आरंग क्षेत्र पॉवर लाइन के लिए विगत 40 वर्षो से महासमुंद पॉवर सब-स्टेशन पर निर्भर है, जबकि आरंग, रायपुर राजधानी क्षेत्र से लगा हुआ है। गुल्लू में सब

स्टेशन के निर्माण होने पर पॉवर लाईन के लिए महासमुंद के उपर आरंग की निर्भरता खत्म हो जायेगी और आगामी कई वर्षो तक आरंग क्षेत्र को लो-वोल्टेज की समस्या नही रहेगी। आरंग विधान सभा क्षेत्र के ग्राम गुल्लू में 132 के. वी. पॉवर सब-स्टेशन निर्माण की स्वीकृति मिलने पर क्षेत्रवासियों ने डॉ. शिवकुमार डहरिया के प्रति आभार एवं हर्ष व्यक्त किया । जिसमें प्रमुख रूप से ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष कोमल सिह साहू, शहर कांग्रेस अध्यक्ष अब्दूल कादिर गोरी, जिला पंचायत सदस्या माखन कुर्रे, अनिता थानसिंग साहू, केशरी मोहन साहू, दुर्गा राय, जनपद अध्यक्ष खिलेश्वर देवांगन, उपाध्यक्ष हेमलता डुमेन्द्र साहू, नगरपालिका अध्यक्ष चन्द्रशेखर चन्द्राकर, उपाध्यक्ष नरसिंग साहू , पार्षद दीपक चन्द्रकार, शरद गुप्ता, गौरी बाई देवांगन, राममोहन लोधी, समीर गोरी, धनेश्वरी खिलावन निषाद, दिक्षा सूरज सोनकर, एल्डरमेन मंगलमूर्ति अग्रवाल, गणेश बांधे, बिजेन्द्र लोधी, सदाराम जलक्षत्री, राजेश्वरी साहू, पूर्व जनपद अध्यक्ष दिनेश ठाकुर, जनपद सदस्य वतन चन्द्राकर, लक्ष्मी हिरादास जांगड़े, योगेन्द्र साहू, संजय चेलक, धोनी डहरिया, दिव्या अनिल सोनवानी, मधु विकास टंडन, गोविन्द साहू, प्रिति चन्द्रशेखर साहू, पुष्पा पिंटु कुर्रे, रानी पवन धीवर, हृदय लाल जांगड़े, तारणी पिंटु निर्मकलकर, दिनेश्वरी यशवंत टंडन, देवकी ध्रुव, देवराज जांगड़े, इंदिरा टीकाराम पटेल, सरपंच गुल्लू कुमारी नारायण देवदास, उपसरपंच हेमप्रकाश ढीढी, पूर्व सरपंच लक्ष्मीनाराण साहू, जोन अध्यक्ष गौरव चन्द्राकर, भगवती धुरंधर, शिव साहू, मन्नू साहू, शोभित साहू, रामचंद वर्मा, देवशरण साहू, बलदाऊ चन्द्राकर, हरी बंजारे, गणेश राम बंदे, चन्द्रकला साहू, उपेन्द्र साहू, राजमहंत डॉ. घनश्याम टंडन, मनीष चन्द्राकर, अनिल गुप्ता, ललित चन्द्राकर, सतीश चन्द्राकर, तुलसी भाई पटेल, डॉ. लक्ष्मीनारायण लोधी, विनोद साहू, सादिक बैलम, सईद रजा चैहान, प्रदुम्न शर्मा, भरत लोधी हैं।

बिजनेस न्यूज

वंदना बजाज ने पुलिस विभाग को बजाज टू व्हीलर की 20 प्लेटिना की गाड़ी सौंपी

रायपुर। वंदना बजाज के द्वारा पुलिस विभाग को बजाज टू व्हीलर की 20 प्लेटिना की गाड़ी सौंपी गई। छग पुलिस विभाग द्वारा वंदना बजाज को 40 गाड़ियों का आर्डर दिया गया था, जिसे वंदना बजाज द्वारा 3 नवंबर 2020 को गुरु सर छग पुलिस को सौंपी गई। यह बंदना बजाज के लिए गर्व का अनुभव रहा कि छग पुलिस विभाग का सेवा करने का शुभ अवसर मिला।

राज्य के 21वें स्थापना दिवस पर यूट्यूब चैनल दासवानी म्यूज़िक पर रिलीज हुआ छत्तीसगढ़ी मल्टी स्टारर गीत

रायपुर। छत्तीसगढ़ी फिल्मों, वीडियो एलबम और गीतों का सफर वैसे तो लंबे समय से चला आ रहा है। लेकिन पिछले 20 सालों से जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है, तभी से इसमें नित नए प्रयोग और नए-नए कलाकारों के एंट्री से छॉलीवुड की रौनकता में काफी निखार आया है। और लगातार फिल्मों के सफलता से निर्माता-निर्देशकों के साथ ही कलाकार भी काफी उत्साहित हैं। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पर एक ऐसा गीत रिलीज़ हो रहा है, जिसमें आप एक ही गाने में छत्तीसगढ़ी फिल्मों के सारे सितारों को एक साथ एक ही मंच पर देख सकेंगे। जी हां, ये बेहतरीन और सराहनीय प्रयास किया है छत्तीसगढ़ी फिल्मों के निर्माता और निर्देशक राकी दासवानी ने। उनका ये प्रयास दर्शकों को भी खूब पसंद आएगा, क्योंकि इसमें दर्शक अपने मनपसंद निर्माता, निर्देशक और कलाकारों को एक साथ ही देख सकेंगे। वैसे आपको बता दें कि इस गीत को कोरियोग्राफकिया है निशांत उपाध्याय ने, इसके डीओपी हैं प्रदेश के चुनिंदा फोटोग्राफरों में से एक संतोष सोनू, गीतकार और संगीतकार घनश्याम महानन्द, और गायक है पद्मश्री अनुज शर्मा, सुनील सोनी, अनुराग शर्मा, गरिमा दिवाकर और घनश्याम महानन्द । इस गीत में आपको दिखएँगे छत्तीसगढ़ी फ़िल्म इंडस्ट्र के सभी चर्चित चेहरे, जिसमे हीरो, हीरोइन और चरित्र कलाकारों के अलावा गायक, निर्माता और निर्देशके भी शामिल है। पद्मश्री अनुज शर्मा, पद्मश्री ममता चन्द्राकर, मन कुरैशी, प्रकाश अवस्थी, करण खान, मोना सेन, आकाश सोनी, सुनील तिवारी, गरिमा दिवाकर, दिलेश साहू, अनिकृति चौहान, रुना शर्मा, मनीषा वर्मा, अनुपमा मनहर, सोनाली सहारे और अशरफ अली के अलावा सतीश जैन, क्षमानिधि मिश्रा, मनोज वर्मा, संतोष जैन, मोहन सुंदरानी, प्रेम चन्द्राकर, अलक राय, रॉकी दासवानी, प्रदीप शर्मा, सुनील सोनी, घनश्याम महानंद, दिलीप षडंगी और जोशी सिस्टर्स के साथ ही अनुराधा दुबे, उर्वशी साहू, उपासना वैष्णव, छाया चंद्राकर, अनुराग शर्मा और योगेश अग्रवाल,क्रांति दीक्षित, पुष्पेंद्र सिंह, रवि साहू, संजय महानन्द और विक्रम राज प्रमुख रूप से शामिल हुए।

दुर्गा, कुमकुम और राधारानी करेंगी मधुमक्खी पालन

- हर माह 500 किलो होगा शहद का उत्पादन, मिलेंगे ढाई लाख रुपए

भाटापारा। दुर्गा, कुमकुम, राधारानी व साईराम के साथ 40 महिलाओं का समूह अब शहद उत्पादन से जुड़ने जा रहा है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत आजीविका संवर्धन की यह गतिविधि जब बाजार तक पहुंचेगी उसके बाद मिलने वाला प्रतिफल शहद सरीखा मीठा होगा।

कवर्धा के भोरमदेव आजीविका परिसर में पहली बार मधुमक्खी पालन व्यावसायिक गतिविधियां चलती हुई दिखाई देगी। अभी तक यह क्षेत्र प्रचुर गन्ना और शक्कर उत्पादन के रूप में मशहूर था। अब मिठास की इस कड़ी में शहद का नाम भी जुड़ने जा रहा है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत कृषि विज्ञान केंद्र और जिला पंचायत की संयुक्त पहल से आकार ले रही इस कोशिश से स्व सहायता समूह की 40 महिलाएं सीधे तौर पर जुड़ चुकी हैं जिनमें खुद का व्यवसाय करने की ललक है।

दिया गया प्रशिक्षण

मां दुर्गा कुमकुम राधारानी और साईंराम स्व सहायता समूह से जुड़ी 40 महिलाओं को मधुमक्खी पालन के लिए कृषि विज्ञान केंद्र की मदद से प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इस में मधुमक्खी पालन ,शहद उत्पादन, प्रसंस्करण के सैद्धांतिक और प्रायोगिक प्रशिक्षण के बाद जरूरी सामान दिए जा चुके हैं। जिनकी मदद से शहद उत्पादन किया जा सकेगा।

दी गई मधुमक्खी पेटी

जिला पंचायत के द्वारा अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए चारों स्व सहायता समूह को मधुमक्खी पालन के लिए जरूरी 100 पेटी दी जा चुकी है। इसमें मानक संख्या में मधुमक्खियों का पालन और बाद में शहद उत्पादन किया जा सकेगा। देखरेख व मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन का सहयोग एवं मार्गदर्शन हर समय मिलता रहे इसकी पक्की व्यवस्था भी जिला पंचायत ने कर दी है।

हर माह 25.सौ रुपए की आमदनी

प्रशिक्षण और जरूरी सामग्रियों की व्यवस्था किए जाने के बाद इन चारों स्व सहायता समूह द्वारा हर माह 500 किलो शहद उत्पादन का लक्ष्य लेकर चला जा रहा है। प्रसंस्करण के बाद बाजार में बेचे जाने पर प्रति पेटी 25 सौ रुपए की आय का अनुमान और लक्ष्य लेकर चला जा रहा है। राजा नवागांव में चालू हुई यह योजना इस समय पूरे जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है।

यह काम पहले से ही

यह चारों स्व सहायता समूह इसके पहले भी सब्जी उत्पादन, पैकेजिंग ,थैला निर्माण ,हर्बल सोप ,फिनायल उत्पादन और दोना पत्तल निर्माण के बाद अपनी सफल आर्थिक गतिविधियों में पहचान बना चुकी है। नए काम से जुड़ने के बाद अब पहचान का दायरा और भी ज्यादा फैलने का लाभ सीधे तौर पर व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करेगा क्योंकि अब उनको प्रतिस्पर्धी बाजार में उतरने का अवसर मिल रहा है।

> शहद उत्पादन से समूहों को जोड़ने के पीछे एक ही उद्देश्य है वह है व्यावसायिक और आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाना। ग्लूकोज, मिनरल्स और जीवाणु रोधी क्षमता होने से शहद का बाजार लगातार बढ़त की ओर है। इस पहल का फायदा समूह को मिलेगा।
>
> **– बी पी त्रिपाठी,** वरिष्ठ वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र, कवर्धा

युवाओं को मिल रहा है रोजगार का अवसर

- पी.एम.ई.जी.पी.व मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना से युवा हो रहें लाभांवित

भाटापारा। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, बलौदाबाजार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पी.एम.ई.जी.पी. अंतर्गत जिले के 10 हितग्राहियों को उद्योग एवं सेवा उद्योग हेतु कुल राशि 68 लाख 81हजार रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया है। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक सत्येन्द्र सिंह बघेल ने बताया की इनमें सामान्य वर्ग के 3, अन्य पिछड़ा वर्ग के 5, अनुसूचित जाति का 1 व अनुसूचित जनजाति का 1 हितग्राही शामिल है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग 1 हितग्राही को राशि 1 लाख रुपये का ऋण स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया है। उसी तरह मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार अंतर्गत 5 हितग्राहियों को कुल 10 लाख रुपये की राशि का ऋण वितरण किया गया जिनमें अनुसूचित जनजाति वर्ग के 3 व ओबीसी 1 सामान्य वर्ग का 1 हितग्राही शामिल है। ग्रामीण बैंक लिमतरा द्वारा सिमगा तहसील के अंतर्गत गाँव नवागांव निवासी मुकेश कुमार ध्रुव को 2 लाख रुपये का ऋण दिया गया है। मुकेश कुमार ध्रुव ने बताया उन्होंने 9वीं तक की पढ़ाई किया हु। ट्रेनिंग के माध्यम से मैने कूलर बॉडी रिपेयरिंग का काम सीखा है। मैं इसी को ही व्यवसाय के रूप में बदलना चाहता हूं। पर व्यवसाय के लिए पैसों की आवश्यकता थी। तब मुझे जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के बारे में पता चला। मैने वहाँ आवेदन किया और मेरा इंटरव्यू एवं चयन प्रक्रिया द्वारा चयनित कर योजना का लाभ मिला।

दुर्ग अंबिकापुर दुर्ग स्पेशल ट्रेन अब दिसम्बर तक चलेगी

भाटापारा। यात्रियों की सुविधा एवं मांग को ध्यान रखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने वाली 08241/ 08242 दुर्ग - अंबिकापुर- दुर्ग स्पेशल ट्रेन का परिचालन दिसम्बर तक बढ़ा दिया गया हैं।

अंबिकापुर दुर्ग स्पेशल ट्रेन का परिचालन दुर्ग से 30 दिसम्बर, 2020 तक एवं अम्बिकापुर से 31 दिसम्बर, 2020 तक जारी रहेगा।

गाड़ी संख्या 08242 दुर्ग - अंबिकापुर स्पेशल प्रतिदिन दुर्ग से 20:45 बजे रवाना होकर 21:30 बजे रायपुर, 23.58 बजे उसलापुर, 01.25 बजे पेंड्रारोड़, 02.40 बजे अनूपपुर, 03.45 बजे बिजुरी, 06.00 बजे विश्रामपुर होते हुए अंबिकापुर 07:00 बजे पहुंचेगी ।

गाड़ी संख्या 08242 अंबिकापुर -दुर्ग स्पेशल अंबिकापुर से 22:30 बजे रवाना होकर 22.48 बजे विश्रामपुर, 00.55 बजे बिजुरी, 02.00 बजे अनूपपुर, 03.00 बजे पेंड्रारोड़, 06:35 बजे उसलापुर, रायपुर 08:40 बजे तथा दुर्ग 09:55 बजे पहुंचेगी ।

प्रथम पृष्ठ का शेष...

बीते विस चुनाव से 3% कम...

करीब तीन फ़ीसदी कम है, जबकि लोकसभा में हुए मतदान से तीन फ़ीसदी ज्यादा मतदान दर्ज हुआ है। इस उप चुनाव में सबसे ज्यादा मतदान खमली खुर्द में हुआ है। यह मतदान केंद्र मरवाही विधानसभा के सबसे कम मतदाताओं का मतदान केंद्र हैं, यहां कुल 130 मतदाता है। यहां 93.84 फीसदी मतदान हुआ है।जबकि सबसे कम मतदान डाही मतदान केंद्र पर हुआ है जहाँ 58 फीसदी मतदान दर्ज किया गया है। सबसे ज्यादा मतदाता वाले मतदान केंद्र जोगीसार जिसे स्व. अजीत जोगी के पैतृक गाँव के रुप में जाना जाता है वहाँ 72.89 फीसदी मतदान हुआ है।

स्पंज आयरन एवं स्टील सेक्टर..

स्थाई पूंजी निवेश मद में निवेश कर व्यावसायिक उत्पादन आरंभ करने वाली नवीन इकाईयों को आर्थिक निवेश प्रोत्साहन दिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा कोर सेक्टर के उद्योगों को पूरे राज्य में विद्युत शुल्क छूट की पात्रता भी प्रदान की गई। बिजली में सब्सिडी मिलने से इस्पात सहित कोर सेक्टर के उद्योगों को नई संजीवनी मिली है। इससे इन कोर सेक्टर के उद्योगों को देश भर के मार्केट का लाभ मिलेगा। स्पंज आयरन एवं स्टील सेक्टर के उद्योगों के लिए बी-स्पोक पालिसी के तहत विशेष पैकेज घोषित करते हुए, क्षेत्रवार छूट की सीमा 60 प्रतिशत से 150 प्रतिशत तक कर दी गई है। लॉकडाउन की अवधि में राज्य के द्वारा 27 लाख टन का स्टील उत्पादन किया गया, जो भारत के अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक उत्पादन है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा उद्योगों को बिजली दर में रियायत, अनुदान सहायता, विभिन्न स्वीकृतियां प्रदान करने की सरल और सुविधाजनक व्यवस्था के साथ स्थानीय उद्योगों के उत्पादों को प्राथमिकता देने जैसे अनेक संवेदनशील फैसलों ने छत्तीसगढ़ के उद्योग जगत के लिए संजीवनी का काम किया है। कोरोना के दौर में जब पूरे देश में औद्योगिक गतिविधियां थमी हुई थी, तब छत्तीसगढ़ के कोर सेक्टर के उद्योगों में उत्पादन जारी रहा। चालू वित्तीय वर्ष में माह अप्रैल के आखरी सप्ताह में कोर सेक्टर के अलावा अन्य उद्योगों में भी उत्पादन की गतिविधियां प्रारंभ हो चुकी थी।

आत्मनिर्भर बिहार बनाना हमारा लक्ष्य...

को जोड़कर एनडीए सरकार ने गरीबों को उनका अधिकार दिया है और काली कमाई के अनेक रास्ते बंद कर दिए हैं। अब अधिकांश योजनाओं का पैसा गरीबों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर हो रहा है। बिहार का गरीब आज आश्वस्त है कि उनके ही जैसा गरीबी में पैदा हुआ पिछड़े समाज का उनका सेवक आज दिल्ली में काम कर रहा है और यह सुनिश्चित कर रहा है कि एक भी गरीब भूखा न सोए। कोरोना के इस कठिन समय में उन्हें मुफ्त राशन और सहायता सुनिश्चित की जा रही है।

चुनाव प्रचार के दौरान अपनी रैलियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, पिछले दिनों मुझे बिहार के अपने भाइयों-बहनों से मिलकर उनका आशीर्वाद लेने का अवसर मिला। सासाराम में पहली रैली से लेकर सहरसा में आखिरी रैली तक जनता ने हमेशा की तरह ढेर सारा प्यार दिया। एक जनसेवक के रूप में बिहार की भूमि का चरण स्पर्श मुझे जनसेवा के लिए और प्रतिबद्ध करता है। बिहार ने हमेशा लोकतंत्र के मूल्यों को ही सर्वोच्च माना है। इसलिए बिहार के लोग सुशासन की राजनीति ही पसंद करते हैं। राजनीतिक चेतना से लेकर सामाजिक मंथन तक, तीज-त्योहार से लेकर खान-पान तक बिहार अद्भुत है। यही बिहार की प्राणवायु है। यही आत्मनिर्भर बिहार की नींव है।

उन्होंने कहा, मुझे बिहार में एनडीए की सभी रैलियों में एक समानता दिखी- युवाशक्ति और नारीशक्ति की बढ़चढ़ कर भागीदारी। अगर एनडीए यहां लगातार जीत हासिल कर रहा है तो ये इनका ही आशीर्वाद है। हमें इस आशीर्वाद से ही लगातार काम करने की ऊर्जा मिलती है।

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्रं./अ-06/वर्ष 2020-21

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका शामर बाई पति ताराचंद जैन निवासी गवलीपारा दुर्ग मौजा बघेरा प.ह.न 48 रा.नि.मं. दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित रिक्त भूमि खसरा नंबर 250/8 रकबा 0.0180 हें भूमि मृतक भूमिस्वामी ताराचंद के नाम पर दर्ज है। भूमि स्वामी की मृत्यु होने के कारण फौती दर्ज करने आवेदन पेश किया गया है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/ आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 18.11.2020 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् होने पर आपत्ति/ दावा पर विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 29.10.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

ईश्तहार

(धारा 178 प्रारुप)

रा.प्र.क्र./अ-27/वर्ष 2019-20

क्योंकि मौजा रिसाली तहसील व जिला दुर्ग के सहभूमिस्वामी श्रीमती सुरेखा स्वर्णकार पति स्व. ओमप्रकाश साकिन बेमेतरा तहसील व जिला बेमेतरा ने निम्नकित अनुसूची में निर्दिष्ट खाते के अपने भाग के विभाजन के लिए आवेदन किया है एवं क्योंकि उक्त खाते का बंटवारा किया जाना प्रस्तावित हुआ है। एवं सुनवाई का दिनांक 27.11.2020 स्थान तहसील दुर्ग पर दिन 11:00 बजे नियत किया गया है। उक्त खाते में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को एद्त द्वारा सूचित किया जाता है कि वे निश्वित दिनांक को या तो स्वतः अथवा किसी अभिभाषक अथवा प्रतिनिधि द्वारा हाजिर हो एवं अपनी आश्रेपों यदि कोई हो तो पेश करें

उपरोक्त तिथि एवं स्थान पर हाजिर नहीं होने पर एवं आक्षेपों को पेश नही कर पाने की स्थिति में किसी आक्षेप पर विचार नही किया जावेगा।

खाते का विवरण

खसरा नंबर 257/3, 257/4, 431/3, 680/1, 907/5, 1059/2/2

रकबा 0.990, 0.080, 0.060, 0.370, 0.030, 0.003 हे.

आज दिनांक 27.10.2020 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया गया है।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./अ-06/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती सुरेखा स्वर्णकार पिता/ पति ओमप्रकाश निवासी बेमेतरा मौजा उरला प.ह.नं. 07 रा.नि.मं. दुर्ग तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि ख.न. 642/2 का टु. में पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर विक्रय किया गया था। विक्रय पत्र को व्यवहार न्यायालय के द्वारा निर्णय दिनांक 29.02.2020 अवैध एवं शून्य घोषित किए जाने के कारण मूल खसरा 642/2 को रकबा में समायोजित करने आवेदन पेश किया है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 18.11.2020 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्व्यं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 27.10.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता हैं कि मेरे पक्षकार कु. गुनेश्वरी आ. श्री कोमल राम उम्र 28 वर्ष जाति सतनामी निवासी क्वा. नं. 14 बी सड़क नं. 33 सेक्टर 10 भिलाई तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.) की है। जिसकी कक्षा 12 वीं का शाला स्थानांतरण प्रमाण-पत्र जो सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल सेक्टर 06 भिलाई तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.) द्वारा जारी किया गया था, जिसकी मूल प्रति दिनांक 15.10.2020 को तहसील कार्यालय दुर्ग के सामने फोटो कापी दुकान के पास कहीं गुम गयी है, जिस किसी सज्जन को मिलें मेरे मो. नं. 9165159351 में संपर्क कर वापस करने का प्रयास करेंगे।

स्थान : दुर्ग

दिनांक : 04.11.2020

के.के. बांधे
अधिवक्ता
बार रुम नं. 07 के पास
जिला न्यायालय दुर्ग (छ.ग.)
मो. नं. 9165159351

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग उतई सर्किल (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र.//अ-06/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका धर्मावती साहू पति लक्ष्मीनारायण साहू जाति तेली पता आदर्श नगर दुर्ग तह. व जिला दुर्ग के द्वारा पति लक्ष्मीनारायण पिता जसवंत कुमार के नाम से मौजा बोरीगारका प.ह.न. 43 स्थित भूमि खसरा नंबर 758/15 रकबा 0.02 हे. पटवारी अभिलेख में दर्ज है। पति लक्ष्मीनारायण पिता जसवंत कुमार का निधन दिनांक 23.09.2020 को हो चुकी है। मृतक भूस्वामी के मृत्यु पश्चात राजस्व अभिलेख से नाम विलोपित कर उनके वारिसानों का नाम दर्ज किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत दिनांक 06.11.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 20.10.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्रं./अ-06/वर्ष 2019-20

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक देवनाथ साहू आ. सुदेराम निवासी डुण्डेरा तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम डुण्डेरा तह. व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 865, 895, 1203 रकबा 0.01, 0.02, 0.04 हें भूमि जो कि सुदेराम पिता नन्दू के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उक्त भूमि के भूमिस्वामी की मृत्यु 23.05.2020 को हो जाने पर फौती दर्ज कर विधिक वारिसानों का नाम वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज किए जाने बाबत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 09.11.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 28.10.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

मा.क्र./41/अ-06/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका कुमारी बाई पति रुपेन्द्र कुमार निवासी मंगलतराई तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा अपने हक की क्रया शुदा भूमि ग्राम जुनवानी प.ह.नं. 53 तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नं. 1064/527 रकबा 0.010 हे. भूमि विक्रय पत्र के आधार पर विक्रेता हीना टांक पति जगदीश टांक के नाम से पृथक कर आवेदक का नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन पेश किया है। जिसका प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध को उक्त भूमि के संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो पेशी दिनांक 18.11.2020 तक स्वयं अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नही किया जावेगा।

आज दिनांक 26.10.2020 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया जाता है।

मुहर — नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग-1 (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है आवेदिका श्रीमती चन्द्रिका बाई आ./पति मोहन लाल साहू साकिन रायपुर के द्वारा ग्राम चिरपोटी प.ह.न. 46 रा.नि.मं. अण्डा तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर .. रकबा ..हे. भूमि से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 06.10.2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को क्रेता के नाम पर प्रमाणीकरण किए जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर दावा हो तो व नियत पेशी दिनांक 10.11.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम ये इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा

आज दिनांक 27.10.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया है।

मुहर — नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग-1 (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है आवेदक नंद कुमार आ. श्री भरतलाल साकिन भिलाई के द्वारा ग्राम उतई प.ह.न. 42 रा.नि.मं. अण्डा तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 1139/8 रकबा 5000 वर्गफीट हे. भूमि हेमंत देवांगन आ. उमरचंद से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 28.10.2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को क्रेता के नाम पर प्रमाणीकरण किए जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर दावा हो तो व नियत पेशी दिनांक 18.11.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम ये इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा

आज दिनांक 02.11.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया है।

मुहर — नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व संपादक यशवंत धोटे* द्वारा बंसल स्कूल कैम्पस, अशोक विहार कॉलोनी, पण्डरी से मुद्रित कर ब्रिस्टल चौक छोटापारा रायपुर से प्रकाशित,
फोन व फैक्स : 0771-4035602, RNI NO.CHHHIN/2012/41806/ डाक पंजीयन क्रमांक सी.जी./आर.वाई.पी. डीएन/40/2019-2021

सतनाम संदेश यात्रा का नवागढ़ में हुआ भव्य स्वागत

नवागढ़। सतनाम संदेश यात्रा विशाल बाइक रैली रायपुर से मुंगेली जगत गुरु रुद्र कुमार गुरु गद्दी नशीन गिरौदपुरी धाम केबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़ शासन के नेतृत्व में निकली, जिसका नवागढ़ विधानसभा के ग्राम चारभाठा, ग्राम पंचायत खपरी(एंन) एवं नवागढ़ चौक में राज महंत विजय बघेल सचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़ सहित सर्व समाज द्वारा इस विशाल रैली का भव्य स्वागत किया गया। जिसमे प्रमुख रूप से डॉक्टर सौरभ निर्वाणी ,श्रीमती प्रज्ञा निर्वाणी, लूपेश कुमार मारकडे, अरुण, दुर्गा प्रसाद कुर्रे ,खुमान कौशल, जागेश्वर, ईश्वर प्रसाद बंजारे ,योगेश बघेल ,हेमचंद कुर्रे, हिमांशु मानिकपुरी, होमेश्वर कुर्रे सहित सर्व समाज उपस्थित रहे।

आज 10 विकास कार्यों का भूमिपूजन करेंगे संसदीय सचिव गुरुदयाल

नवागढ़। नगर पंचायत नवागढ़ में नवपदस्थ सीएमओ डीएल बर्मन और उपअभियंता उमाशंकर सिंह ने संसदीय सचिव एवं नवागढ़ विधायक गुरुदयाल सिंह बंजारे से सौजन्य मुलाकात कर गुरुवार को नगर पंचायत अंतर्गत 10 विभिन्न विकास कार्यों के भूमिपूजन कार्यक्रम के लिए आमन्त्रण दिया। इस मुलाकात के अवसर पर एल्डरमैन अमित जैन भी मौजूद रहे। इन कार्यों में मानाबंद तालाब सौंदर्यकरण, पौनी पसारी योजना बाजार निर्माण एवं कांजी हाउस निर्माण सहित 10 कार्य शामिल है।

साई मंदिर में जमा करें जीवित प्रमाण पत्र

कवर्धा(नवप्रदेष)। जिन पेंशनरों ने अपना जीवन प्रमाण पत्र अभी तक नहीं भरा है। वह सभी अपना जीवित प्रमाण पत्र भरकर कलेक्ट्रेट के पास साईं मंदिर में सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक प्रतिदिन जमा कर सकते हैं। वे इस कार्य हेतु बैंक या अन्य स्थान पर ना जाकर सीधे साईं मंदिर में ही मूलचंद देवांगन से संपर्क करें वहां पर ही सभी के फार्म एकत्रित कर भारतीय स्टेट बैंक के शाखा के अधिकारी को उसका प्रमाणित कराकर सौंपा जाएगा।

सुतियापाट नहर विस्तारीकरण की मांग को लेकर हजारों की संख्या में उतरे किसान

■ **ट्रैक्टर रैली एवं पदयात्रा कर राजयपाल के नाम सौंपा ज्ञापन**

कवर्धा(नवप्रदेश)। जिले के सहसपुर लोहरा ब्लॉक में पूर्व घोषित सुतियापाट जलाशय के नहर विस्तारीकरण कार्य को जल्द पूरा करने की मांग तेज हो गई है। इसी के तहत आज जिले भर के हजारों की संख्या में किसानों और ग्रामीणों ने ग्राम रणवीरपुर से कवर्धा तक किसान अधिकार रैली के माध्यम से ट्रैक्टर रैली एवं पदयात्रा निकाली और राज्यपाल के नाम से व कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।

विदित हो कि सहसपुर लोहारा क्षेत्र के सुतियापाट बांध से बने दाहिने नहर लाइन की लंबाई 16 किलोमीटर और बढ़ाना है। इससे 23 गांव के 3250 हेक्टेयर खेतों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। इसे लेकर 16.50 करोड़ रुपये स्वीकृत हुआ है, लेकिन दो साल बाद भी जल संसाधन विभाग ने काम शुरु नहीं किया है। इसे लेकर क्षेत्र के किसानों में नाराजगी है। वर्ष 2017 में नहर विस्तारीकरण कार्य को पूर्व सांसद अभिषेक सिंह के अथक प्रयासों से स्वीकृति तत्कालीन भाजपा सरकार ने दे दी थी लेकिन 2018 में सत्ता परिवर्तन के बाद कांग्रेस सरकार आने के बाद इस परियोजना को रोक दिया गया। इस सन्दर्भ में 4 नवम्बर को पूर्व सांसद अभिषेक सिंह के नेतृत्व में व कबीरधाम जिला भाजपा के सहयोग से किसानों व ग्रामीणों ने किसान अधिकार रैली निकालकर कवर्धा कलेक्टर को राज्यपाल के नाम से ज्ञापन सौंपते हुए कार्य को जल्द पूर्ण करने की मांग की है।

भावना बोहरा ने बताया कि नहर विस्तारीकरण कार्य की स्वीकृति मिलने के बाद भी अब तक कार्य शुरू नहीं हुआ है जिससे क्षेत्र के किसानों और ग्रामीणों की पेयजल एवं सिंचाई के लिए पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। आज हमने शासन व प्रशासन को अपनी मांगो को लेकर एवं रणवीरपुर से वाया सिल्हाटी, सहसपुर लोहरा से उड़िया सालिया पड़ाव तक ट्रैक्टर रैली निकाली गई जिसके बाद उड़िया सालिया पड़ाव से कवर्धा तक पदयात्रा निकालकर कलेक्टर को राज्यपाल के नाम से ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही मेरे कार्यक्षेत्र क्रमांक 12 के विकासखंड सहसपुर लोहरा में सूरजपूरा जल्दा से पेंड्रातराई डबरी तालाब तक नहर नाली का निर्माण किया गया था जो क्षतिग्रस्त हो गया है। क्षेत्र के किसानों व ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से 30 लाख रुपये की राशि जुटाकर इस नाहर का निर्माण कराया था जिसे वे शासन को सौंपने के लिए तैयार हैं ताकि उसका जीर्णोद्धार कराया जाता है तो लगभग एक हजार कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके लिए सूरजपुर जल्दा तलब से पिरचाटोला एवं पेंड्रातराई तलब तक पुराना नहर नाली को जोड़ते हुए उसके जीर्णोद्धार की मांग को लेकर भी ज्ञापन सौंपा गया। भावना बोहरा ने आगे बताया कि राज्य सरकार द्वारा किसानों की धान खरीदी को लेकर जिले समेत पूरे प्रदेशभर में अनियमितता देखी जा रही है। जिससे किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फसल कटने के बाद भी मंडियों में धान पड़े हुए हैं लेकिन राज्य सरकार उन्हें खरीदने में विलम्ब कर रही है। राज्य सरकार द्वारा किसानों को पिछले 2 वर्षों का धान बोनस की राशि अब तक वितरित नहीं की गई है। ऐसे में कबीरधाम जिले के किसानों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है।जिसके संबंध में इस रैली के माध्यम से हमने नवम्बर से राज्य सरकार द्वारा धान खरीदी प्रारंभ करने, धान खरीदी की राशि का सम्पूर्ण भुगतान एकमुश्त एवं नगद प्रदान करने, सरकार द्वारा कम से कम प्रति एकड़ 20 क्विन्टल धान खरीदी करने, 2 वर्ष का पिछला बकाया बोनस का शीघ्र भुगतान किया जाने और ओला वृष्टि एवं अचानक वर्षा से पीड़ित किसानों को मुआवजा अथवा क्षतिपूर्ति प्रदान किये जाने के संबंध में भी ज्ञापन राज्यपाल के नाम से सौंपा गया है।

इस अवसर पर किसान अधिकार रैली एवं पदयात्रा में कवर्धा जिला भाजपा अध्यक्ष अनिल ठाकुर, पूर्व कवर्धा विधायक अशोक साहू, रघुराज सिंह, विनोद बैस, जिला पंचायत सदस्य रामकुमार भट्ट, जिला पंचायत सदस्य रामकृष्णा, जिला पंचायत सदस्य रामचरण साहू, रणवीरपुर भाजपा मंडल अध्यक्ष राघवेन्द्र वर्मा, लोहरा मंडल अध्यक्ष संतोष मिश्रा, जनपद सदस्य रोशन दुबे, जनपद सदस्य तिलक सेन, महामंत्री राजेन्द्र साहू, महामंत्री धरम कौशिक, महामंत्री योगेश साहू सहित, लगभग एक हजार से अधिक की संख्या में क्षेत्र के किसान एवं ग्रामीण तथा भाजपा महिला व युवा मोर्चा के पदाधिकारी, कार्यकर्त्ता सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने रैली में शामिल होकर सुतियापाट नहर विस्तारीकरण कार्य को जल्द पूर्ण करने की मांग को समर्थन दिया।

भारती स्टेट बैंक के ब्रांच मैनेजर के व्यवहार से गुंडरदेही व्यापारी संघ में आक्रोश

■ **व्यापारियों ने किया बैठक, बड़े व्यापारियों ने खाता बंद करने का लिया निर्णय,**

गुंडरदेही। नगर के भारतीय स्टेट बैंक के ब्रांच मैनेजर जॉर्ज मेनन ने एक व्यापारी को मकान बनाने लगभग 18 लाख का लोन दिया था ,पर पूरा देश भर में कोरोनावायरस के चलते भवन निर्माण कार्य बंद था ,पर गुंडरदेही नगर के प्रतिष्ठित व्यापारी प्रकाश चावड़ा के द्वारा कोरोना से परेशान और तंग आकर उस भवन निर्माण में आर्थिक तंगी से जूझ रहा था ,सामने दीपावली पर्व को देखते हुए उन्होंने अपना मकान कार्य रोक कर कमर्शियल के लिए कुछ राशि लोन को उपयोग किया गया है, जिसकी जांच में 31 अक्टूबर को ब्रांच मैनेजर जॉर्ज मेनन ने व्यापारी का निर्माणाधीन मकान पहुंचे जहां पर प्रकाश चावड़ा का निर्माणाधीन मकान कुछ अधूरा रह गया है ,जबकि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दिया गया लोन का तीसरा किस्त अभी तक उपभोक्ता को 15 लाख रुपया प्राप्त हुआ है, ब्रांच मैनेजर मकान का नक्शा देखकर जबरदस्ती उन पर आक्रोश हो गए और कहने लगे कि तुम मकान हमारे हिसाब से नहीं बना रहे हो हमारा बैंक पैसा वापस करो इसी बीच ब्रांच मैनेजर व व्यापारी प्रकाश चावड़ा के बीच कना सुनी बात हो गई ,बात कोई बहुत बड़ी नहीं थी पर व्यापारी को पैसा वापस करने दबाव बनाकर गुंडरदेही थाना में लिखित शिकायत कर उनके खिलाफ धारा 186, 294 के तहत मामला पंजीबद्ध करवा दिया गया, स्टेट बैंक के मैनेजर जॉर्ज मेनन स्थल निरीक्षण करने गया, वहां पर व्यापारी प्रकाश चावडा के बीच कुछ हल्की कन सुनी बात हो गई ,प्रबंधक ने व्यापारी पर बैंक से दिए गए लोन को पटाने दबाव बनाया गया ,व्यापारी ने कोरोना कब से अब तक हुई समस्या के बारे में उनको अवगत करा रहे थे,, पर व्यापारी का एक भी नहीं सुना कहा लोन का पैसा पूरा पटा दो इसी बात में व्यापारी नाराज हो गए, देखते देख मामला थाना पहुंच गया ,यह पूरा मामला 31 अक्टूबर को शाम 4:00 बजे का है ,जबकि व्यापारी लिखित रूप में थाना में शिकायत घटना के बाद तुरंत दिया गया ,पर थाना प्रभारी रोहित कुमार मालेकर से प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना की जानकारी भारतीय स्टेट बैंक के मैनेजर ने उनके द्वारा घटनास्थल से ही मोबाइल से घटना की जानकारी दी इसलिए उनकी रिपोर्ट व्यापारी के खिलाफ दर्ज कर लिया गया।

अकाशीय बिजली से मृत्यु होने पर 26 गौपालक किसानों को 3 लाख 38 हजार रूपए की आर्थिक सहायता राशि का चेक वितरित

कवर्धा(नवप्रदेष)। प्रदेश के वन, परिवहन, आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री मोहम्मद अकबर आज मंगलवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र कवर्धा विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और वनांचल ग्राम छितपुरीखुर्द, ग्राम भिंभौरी, ग्राम बोईरकछरा के आयोजनों में शामिल हुए। मंत्री अकबर वनांचल ग्राम छितपुरीखुर्द में श्रीमती सुकलिया बाई खुसरों के निवास में भेंटकर उन्हें राज्य शासन द्वारा चार लाख रूपए का चेक भेंट किया। कार्यक्रम के पश्चात बोईरकछरा निवासी दिनेश के घर पहुंचकर उनके परिवारजनों से भेंट मुलाकात कर उनकी पत्नी राधिका बाई की आकस्मिक निधन होने पर चार लाख रूपए का आर्थिक सहायता राशि की चेक प्रदान किया। अकबर ने दुखसंतप्त परिजनों से भेंटकर श्री शैलसिंह खुसरों, श्रीमती राधिका बाई की आकस्मिक निधन होने पर श्रंद्वाजलि अर्पित की।

मंत्री अकबर कार्यक्रम की शुरूआत में ग्राम भिंभौरी के 26 पशुपालकों से भेंट मुलाकात कर किसानों से चर्चा की। उन्होंने 26 पशुपालकों को प्राकृतिक आपदा के तहत स्वीकृत 3 लाख 38 हजार रूपए का चेक पशुपालकों को वितरण किया। उल्लेखनीय है कि अकाशीय बिजली गिरने के कारण ग्राम भिंभौरी में 25 गाय एवं बैल व ग्राम उसरवाही में एक गाय की मृत्यु हुई थी। मंत्री अकबर ने भिंभौरी निवासी श्री बुधराम की एक गाय व एक बैल की मृत्यु होने पर 27 हजार रूपए की चेक प्रदान किया। उसरवाही निवासी श्री महेन्द्र को 15 हजार का चेक वितरण किया।

कार्यालय नगर पालिका परिषद बालोद, जिला-बालोद (छ.ग.)

क्र./2263/राजस्व विभाग/2010
बालोद दिनांक 31/10/2020

छत्तीसगढ़ नगर पालिका विधान 1961 की धारा 150 के तहत

ईश्तहार

सर्व साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है कि वार्ड नंबर 07 जवाहर पारा स्थित मकान नंबर 63 में श्री रमेश आत्मज मनराखन लाल गाड़ा का नाम दर्ज है। घर अपना नाम दर्ज करने हेतु श्री मो. साहिल आत्मज बशीर खान ने आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतः जिस किसी भी दावेदार को इस संबंध में आपत्ति हो तो वह मूल प्रमाण सहित इस सूचना प्रकाशित के 30 दिन में निम्न हस्ताक्षरकर्ता को लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। अवधि समाप्त होने पर या अवधि के पश्चात एवं बिना प्रमाण पत्र प्रस्तुत आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा तथा नामांतरण का नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

सूचना हो
दिनांक 31/10/2020
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद बोलोद

नाम सुधार

मैं अनिल कुमार सलाम पिता श्री स्व. चन्दन सिंह सलाम (सेवा मुक्त सेना संख्या 4272081 के. पद हवलदार नाम अनिल कुमार सलाम) निवासी ग्राम सिंगनपुर पो.आ. सरोना, तहसील नरहरपुर जिला कांकेर (छ.ग.) का स्थायी निवासी हूं, निम्न कथन शपथपूर्वक कथन करता हूं कि :-

1. मेरे सर्विस डिस्चार्ज बुक में पुत्र प्रदीप कुमार सलाम की जगह प्रदीप सलाम है मध्य नाम कुमार अंकित नहीं है अन्य सभी दस्तावेज सही है। 2. यह कि उपरोक्त नाम जिनका जन्मतिथि 31/05/2001 है में मात्र कुमार मध्य नाम छूट गया है। जिसे सुधार करने की आवश्यकता है। 3. यह कि मेरे दस्तावेज दर्शित/ प्रयोजित नाम एक ही व्यक्ति से संबंधित है। 4. यह कि डिस्चार्ज बुक में मध्य नाम (इंट्री) सुधार प्रयोजन हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत है।

सत्यापन :- उपरोक्त कथन सभी कंडिकाओं की जानकारी सर्वसत्य है सत्यापित करता हूं। उक्ताशय हस्ताक्षर करता हूं।

दिनांक 03/11/2020
अनिल कुमार सलाम
(शपथकर्ता)

CHHATTISGARH STATE MINOR FOREST PRODUCE
(Trading and Development)
CO-OPERATIVE FEDERATION LTD
Van Dhan Bhawan, Sector 24, Atal Nagar, Raipur (C.G.)
Phone : 0771-2513100 to 2513110

Notification no. Est./Rec./2020/I Dated 04.11.2020

Notice Inviting Request for Proposal

Chhattisgarh State Minor Forest Produce (Trading & Development) Co-operative Federation Ltd. (CGMFPFED) with its objective for "Supervision & Monitoring of Accounting & Finance System (SMAFS)" intends to appoint CA Firm for providing Qualified Chartered Accountant & Support Staff.

The Interested firm fulfilling the criteria may download the Request for Proposal (RFP) documents from the website www.cgmfpfed.org and application fees of INR 5000/- shall be payable on submission with RFP in the form of Demand Draft of any Nationalized/ Scheduled Indian Bank of INR 5000/- (Non Refundable) in favor of CHHATTISGARH RAJYA LAGHU VANOPAJ SAH. SANGH MARYADIT, RAIPUR C.G. payable at Raipur.

Completed tender documents (including EMD of INR 100000/- in the name CHHATTISGARH RAJYA LAGHU VANOPAJ SAH. SANGH MARYADIT, RAIPUR C.G. for the same being invited as follows.

Sr.	Event Description	Deadline
1.	Bid Start date	5th Nov' 2020
2.	Clarifications by the Corporation	18th Nov'2020 up to 17.00 hrs
3.	Proposal/Bid Due Date and Time	27th Nov'2020 up to 15.00 hrs

S.-26898/1 **Managing Director**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी आरंग, जिला- रायपुर (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र. 202011112400008
अ/2 वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्रीमती रत्ना तिवारी पति श्री ससीम तिवारी निवासी ईमलीडीह रायपुर छ.ग. द्वारा ग्राम जुगेशर प.ह.नं. 12 रा.नि.मं. मंदिर हसौद में स्थित भूमि खसरा नंबर 2/2 का रकबा 1.1600 हे. का भाग रकबा 0.12 हे. भूमि का व्यपवर्तन/ पुर्ननिर्धारण किए जाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। वादभूमि आवेदक के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदक द्वारा वादभूमि का रकबी 0.12 हे. भूमि का पुर्ननिर्धारण व्यवपर्तन आवासीय प्रयोजन में करने का निवेदन किया है। उक्त संबंध में किसी को दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वे स्वतः या अपने अधिवक्ता के माध्यम से नियत तिथि दिनांक 17/11/2020 तक मेरे न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत अवधि के पश्चात प्रस्तुत दावा आपत्ति पर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 03/11/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की सील मुहर से जारी किया गया है।

सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
आरंग, जिला-रायपुर छ.ग.
सील

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी आरंग, जिला- रायपुर (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र. 202011112400007
अ/2 वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री प्रमोद तिवारी पिता स्व. हरेन्द्र तिवारी निवासी रायपुर छ.ग. द्वारा ग्राम जुगेशर प.ह.नं. 12 रा.नि.मं. मंदिर हसौद में स्थित भूमि खसरा नंबर 3/4 का रकबा 0.4100 हे. का भाग रकबा 0.12 हे. भूमि का व्यपवर्तन/ पुर्ननिर्धारण किए जाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। वादभूमि आवेदक के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदक द्वारा वादभूमि का रकबी 0.12 हे. भूमि का पुर्ननिर्धारण व्यवपर्तन आवासीय प्रयोजन में करने का निवेदन किया है। उक्त संबंध में किसी को दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वे स्वतः या अपने अधिवक्ता के माध्यम से नियत तिथि दिनांक 17/11/2020 तक मेरे न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत अवधि के पश्चात प्रस्तुत दावा आपत्ति पर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 03/11/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की सील मुहर से जारी किया गया है।

सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
आरंग, जिला-रायपुर छ.ग.
सील

न्यायालय तहसीलदार भाटापारा जिला-बलौदाबाजार- भाटापारा (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र./अ-6/वर्ष 2020-21
ग्राम- खपराडीह प.ह.नं. 42

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती दिनेश्वरी ध्रुव पति ज्ञानेश्वर ध्रुव निवासी बरडीह तहसील सिमगा के द्वारा ग्राम खपराडीह प.ह.नं. 42 रा.नि.मं. वो तहसील भाटापारा में स्थित भूस्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 65/1 का टु. रकबा 0.2750 हे. में से 0.0140 हे. अर्थात 1518 वर्गफुट परि. लगान 1672.00 रुपए में से आवासीय खुला भूखण्ड को ई पंजीयन विक्रय विलेख क्रमांक 59 दिनांक 15/05/2020 को आवासीय प्रयोजन हेतु अनावेदक अनिल कुमार रोचलानी पिता फेरूमल रोचलानी से क्रय करने के कारण अपने नाम पर नामांतरण किए जाने हेतु पंजीकृत विक्रय विलेख की छायाप्रति, बी.-1, खसरा की नकल सहित आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसके संबंध में प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है तथा दिनांक 04.11.2020 को सुनवाई हेतु नियत है।

उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति/संस्था को दावा/ आपत्ति प्रस्तुत करना है तो सुनवाई हेतु नियत दिनांक 04.11.2020 तक स्वयं या अपने वैध अभिभाषक के माध्यम से नियत समय व स्थान में दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा /आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार आज दिनांक 16.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर सहित जारी किया गया।

सील
तहसीलदार
भाटापारा (छ.ग.)

कार्यालय अधीक्षण अभियंता,
लोक निर्माण विभाग, दुर्ग मण्डल दुर्ग (छत्तीसगढ़)

दुर्ग, दिनांक 29.10.2020

(ई-प्रोक्योरमेंट निविदा सूचना)
द्वितीय आमंत्रण

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की ओर से ऑनलाईन निविदाएं प्रपत्र अ में प्रतिशत दर पर दिनांक 17.11.2020 तक आमंत्रित की जाती है :-

निविदा आमंत्रण सू.क्र.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (राशि लाख में)
176/दुर्ग (दुर्ग)/ 2020	उपसंभाग पाटन के अंतर्गत उपखण्ड जामगांव (आर) एवं मुख्यालय क्र. 4 के अंतर्गत विभिन्न मार्गों में सड़क मरम्मत एवं मार्किंग कार्य	71.63
177/दुर्ग (दुर्ग)/ 2020	उपसंभाग पाटन के अंतर्गत उपखण्ड जामगांव (एम) के अंतर्गत विभिन्न मार्गों में सड़क मरम्मत एवं मार्किंग कार्य	56.72
178/दुर्ग (राज.)/ 2020	जिला राजनांदगांव वि.खं. अ. चौकी के करमतरा में हाई स्कूल भवन का निर्माण कार्य	68.64
179 दुर्ग (दुर्ग)/ 2020	उपसंभाग क्र. 3 दुर्ग के अंतर्गत कुम्हारी-2 सेक्शन के आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों में एम.ओ.डब्लू., विशेष मरम्मत, डिपोजिट कार्य, साधारण मरम्मत एवं समय-समय पर स्वीकृत विभिन्न कार्य	70.00
180/दुर्ग (दुर्ग)/ 2020	उपसंभाग क्रं. 3 दुर्ग के अंतर्गत पावर हाऊस सेक्शन के आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों में एम.ओ.डब्लू. विशेष मरम्मत, डिपोजिट कार्य, साधारण मरम्मत एवं समय-समय पर स्वीकृत विभिन्न कार्य	79.50
181/दुर्ग (राज.)/ 2020	दिग्विजय स्टेडियम जिला राजनांदगांव में बाउण्ड्रीवाल का शेष निर्माण कार्य।	36.54

टीप
1. उपरोक्त निर्माण कार्यों की निविदा की सामान्य शर्तें, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी ई-प्रोक्योरमेंट वेब portal एवं विभागी वेबसाइट http://eproc.cgstate.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है।
2. पंजीकृत डाक द्वारा कार्यालय में भेजे जाने वाले लिफाफे के ऊपर एन.आई.टी. क्रमांक एवं कार्य का नाम अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएं।

जी-84714/4
अधीक्षण अभियंता
लोक निर्माण विभाग, दुर्ग मण्डल दुर्ग
दूरभाष- 0788-2210876

कार्यालय नगर पालिक निगम, रिसाली (छ.ग.)
// निविदा सूचना //

क्र./लो.क.वि./2020/741 रिसाली, दिनांक 2/11/2020

आयुक्त नगर पालिक निगम, रिसाली की ओर से एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु मैन्युवल निविदा आमंत्रित की जाती है :-

क्र.	कार्य का नाम	निविदा लागत (रु. लाख में)	निविदा कार्यालय में प्राप्त करने की अंतिम तिथि
1	रिसाली अंतर्गत विभिन्न वार्डों में स्थापित समस्त पॉवर पम्पों का संधारण कार्य	10.94	16.12.2020
2	वार्ड क्र. 60 एवं 61 प्रगति नगर अंतर्गत डी.आई. पाईप लाईन लिकेज संधारण कार्य	8.36	16.12.2020
3	रिसाली के सर्वमांगलिक भवन एवं मेन बिल्डिंग में विद्युतीकरण कार्य	10.96	16.12.2020
4	वार्ड क्रं. 24 आजाद मार्केट रिसाली प्रगति नगर होरी आटो लाईन के सी.सी. रोड निर्माण कार्य	10.00	16.12.2020
5	जोरातराई में पुलिया निर्माण व आर.सी.सी. कल्वर्ट मरम्मत कार्य	7.38	16.12.2020
6	रिसाली में नाली व सीमेंटीकरण निर्माण कार्य	11.00	16.12.2020
7	वार्ड क्रं. 33 नेवई बस्ती पूर्व सुरेश यादव के घर से तिरंगा चौक तक सी.सी. रोड निर्माण	15.67	16.12.2020
8	वार्ड क्रं. अवधपुरी रिसाली ट्रांसफार्मर से रेलो बाउण्ड्रीवाल तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य	9.00	16.12.2020
9	पुरैना में सेप्टीक टैंक, रोड मरम्मत व जिम भवन निर्माण	5.36	16.12.2020
10	वार्ड क्रं. 27 व 28 उद्यान उन्नयन कार्य	10.00	16.12.2020
11	वार्ड क्रं. 44 महौरी मरोदा मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय हेतु भवन संधारण एवं मरम्मत कार्य	0.91	16.12.2020
12	डुण्डेरा में खेल सामग्री झूला सेट प्रदाय व स्थापना कार्य	4.00	16.12.2020
13	डुण्डेरा में मुक्तिधाम का रि-पेंटीग तथा अन्य स्थान में पेवर ब्लाक लगाने का कार्य	7.17	16.12.2020
14	वार्ड क्रं. 4 व 8 रूआबांधा में नाली एवं पुलिया निर्माण कार्य	9.00	16.12.2020

निविदा स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक से स्वीकृत किए जावेंगे। उपरोक्त निर्माण कार्यों की निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञाप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है साथ ही यह संचालनालय की वेबसाईट www.uad.cg.gov.in एवं विभागीय वेबसाइड www.risali.urbanecg.gov.in से भी डाउनलोड की जा सकती है।

कार्यपालन अभियंता
लोक कर्म विभाग

कार्यालय संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र- 03 सड्डू रायपुर
कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 08, द्वितीय तल सड्डू रायपुर
PH No.9865585693, Email Id- emzoneii@yahoo.com

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के आवासीय भू-खण्डों/आवासीय भवनों को फ्री-होल्ड के रूप में परिवर्तन करने के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 1-100/2009/32 रायपुर दिनांक 30.12.2011 एवं सम संख्यक आदेश दिनांक 13.03.2012 के परिपालन में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मण्डल के निम्नलिखित हितग्राहियों के द्वारा जिनके नाम व कालोनीका नाम एवं आवासीय भू-खण्ड क्रमांक छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा आबंटित है को फ्री-होल्ड करने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस आम सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के अंदर यदि कोई आपत्ति हो तो मय दस्तावेज अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालयीन दिवस में प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि के पश्चात कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।

क्रमांक	आबंटी का नाम	पिता/पति का नाम	भवन क्रमांक	कॉलोनी का नाम
1	श्री राजेश कुमार ठाकुर	स्व. श्री बिसराम सिंग	एल.आई.जी-490 ए	सड्डू रायपुर
2	श्रीमती शोभिता अग्रवाल	श्री नंदकिशोर अग्रवाल	एल.आई.जी-1287	सड्डू रायपुर
3	श्री सत्य भगवान अग्रवाल	स्व. श्री चैतराम अग्रवाल	एल.आई.जी-653	सड्डू रायपुर
4	श्री इन्दीवर शंकर मनु	स्व. श्री रामसिंह मनु	एल.आई.जी.-215	सड्डू रायपुर
5	श्री इन्दीवर शंकर मनु	स्व. श्री रामसिंह मनु	एल.आई.जी-216	सड्डू रायपुर
6	श्री दौलत राम टिकरिहा	श्री अमरनाथ टिकरिहा	एल.आई.जी-15	बलौदाबाजार
7	श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव	श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव	एल.आई.जी.-141	धनसुली रायपुर
8	श्रीमती रत्ना शर्मा	श्री शिव शंकर शर्मा अटल	आवास-256	मुनगी फेस-1

संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-03 सड्डू रायपुर

कार्यालय कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग.)
(जिला निर्माण समिति
// मैनुअल पद्धति निविदा सूचना प्रथम बार //
-: निविदा क्रमांक- 01 :-

01. एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु मैनुअल निविदा आमंत्रित की जाती है :-

कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रु. लाख में)	निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि
1	2	3
(1) स्वास्थ्य कर्मियों हेतु (4 नग) जी टाईप आवासगृह का अहाता सहित निर्माण कार्य सूरनार वि.खं.- कटेकल्याण	38.00 लाख	20/11/2020
(2) स्वास्थ्य कर्मियों हेतु (4 नग) जी टाईप आवासगृह का अहाता सहित निर्माण कार्य समेली वि.खं.- कुआकोण्डा	38.00 लाख	20/11/2020
(3) माध्यमिक शाला-चन्देनार का जीर्णोद्धार, चबुतरा एवं शेड निर्माण कार्य वि.खं.- दंतेवाड़ा	16.33 लाख	20/11/2020

2. उपरोक्त निर्माण कार्यों की निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि में नोडल अधिकारी/कार्यपालन अभियंता, (जिला निर्माण समिति) ग्रा.यां.सेवा संभाग दन्तेवाड़ा में उपस्थित होकर दिनांक 6/11/2020 से 12/11/2020 समय शाम 5.00 बजे तक लिया जा सकता है।

जी-84731/5
नोडल अधिकारी
वास्ते कलेक्टर
(जिला निर्माण समिति)
जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

गजराज से जबकसा के ग्रामीण परेशान, कई ग्रामीणों का तोड़ा आशियाना

■ मंत्री प्रतिनिधि पीयुष सोनी पहुंचे, लोगों की सुनीं समस्याएं

■ ग्रामीणों को किया आश्वस्त, जल्द मुवावजा देने की कही बात

नव प्रदेश संवाददाता

डौंडी। ब्लाक के ग्राम जबकसा में वीगत कई दिनों से हाथियों का उत्पात जारी है जिस पर माननीय मंत्री प्रतिनिधि पियूष सोनी नजर बनाए हुए हैं आज फिर ग्राम जबकसा में जाकर जाकर हाथियों द्वारा उत्पात किए गए जगहों का निरीक्षण किया एवम् वहां ग्रामीणों से मुलाकात करके डीएफओ मैडम से चर्चा कर हाथियों को गांव में घुसने से रोकने एवं ग्रामीणों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए निर्देश दिए है एवं पटवारी को सर्वे के कराने के लिए कहा गया और वहां के किसानों को उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया गया है क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्य वाहक अध्यक्ष कोमेश कोर्राम, जिला पंचायत उपाध्यक्ष , जिला पंचायत सदस्य करिश्मा सलामे जी जनपद पंचायत अध्यक्ष बसंती दुग्गा , उपाध्यक्ष पुनीत सेन , जनपद सदस्य रमिता मरकाम जी पुष्पा कोमार्रा , अनिला सुथार , कोमेलेंद्र चंद्राकर ,

सुखदेव पिस्दा , हृदय राम कवची, रविकांत देशमुख एवं ग्राम के सरपंच स्थानीय कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। गौरतलब हैं कि आदिवासी ब्लॉक मुख्यालय डोंडी के सीमा व्रती गांव में जंगली हाथियों का उत्पात है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा. आए दिन हाथियों द्वारा कभी घरों को तहस-नहस करने ते कभी खेतो और पशुओं को नुकसान पहुंचाने की खबरों से पूरी जिला प्रशासन परेशान है. बीते मंगलवार की रात जबकसा से कुछ ही दूर स्थित गांव में आ धमके और पूरी फसल तहस-नहस कर दी. ग्रामीणों के मुताबिक यह पहली बार नहीं है जब हाथियों ने इस तरह से गांव में घुसकर फसल या घरों पर हमला किया हो. इससे पहले भी हाथी घरों, फसल यहां तक की यहां रहने वाले लोगों को भी नुकसान पहुंचा चुके हैं. वहीं वन विभाग के अफसरों के मुताबिक हाथी अक्सर झुंड में रहना पसंद करते हैं. ऐसे में अगर यह दल तितर-बितर होता है, या हाथी अपने झुंड से बिछड़ जाता है तो उसके सामने जो कुछ भी आता है वह उसके गुस्से का शिकार हो जाता है।

वन विभाग के मुताबिक, हम कई बार लोगों को हाथियों से सतर्क रहने की समझाइश दे चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी हाथी देखने की चाहत में वह इनका पीछा करने लगते हैं. जिससे कई बार हाथियों को गुस्सा आ जाता है और वह लोगों पर हमला कर देते हैं. वहीं वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक रिहायशी इलाकों में हाथियों की आवाजाही होने के कारण यहां के लोगों ने हाथी रेडियो कॉलर के अलावा सुरक्षा संसाधन की मांग शासन-प्रशासन से की।

वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक हाथियों को घूमते रहने की आदत होती है. दिन भर में वे करीब 15 किमी के आस-पास घूमते हैं. जिसके चलते वे कभी-कभी घूमते हुए रिहायशी इलाकों में घुस जाते हैं।

बर्तन व्यापारी मर्डर केस की गुत्थी सुलझी

फिरौती के इरादे से हुई थी संतोष जैन की हत्या

नव प्रदेश संवाददाता

जगदलपुर। शहर के बर्तन व्यापारी संतोष जैन की हत्या की गुत्थी जगदलपुर पुलिस द्वारा सुलझा ली गई है। विदित हो कि 25 अक्टूबर को संतोष जैन का अपहरण कर लिया गया था । इसके बाद 29 अक्टूबर को संतोष जैन की लाश शहर से 40 किमी दूर रायकोट में मिली थी । इस अपहरण की जानकारी मृतक के परिजनों द्वारा 27 अक्टूबर को सिटी कोतवाली में दर्ज कराई गई थी।

मामले में तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक दीपक झा के द्वारा अति.पुलिस अधीक्षक ओमप्रकाश शर्मा के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार के साथ जांच हेतु थाना प्रभारी कोतवाली एमन साहू के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। पिछले 8 दिनों के सघन जांचकर आखिर जगदलपुर पुलिस को इस हत्याकांड के आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल हुई। आज प्रेसवार्ता के दौरान पुलिस द्वारा बताया गया कि मृतक संतोष जैन को आरोपियों उमेश यादव, गुड्डा उर्फ भरत सोनी, आजमन सेठिया, जैकी उर्फ जयप्रकाश यादव द्वारा व्यापारी संतोष जैन की हत्या की गई थी।

इस पूरे मामले के तहकीकात के बाद तकनिकी साक्ष्य के आधार एवं सीसी टीवी फूटेज के साथ अन्य साक्ष्यों के आधार पर हत्या के आरोप में इन चारों अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। ये सभी आरोपी व्यवसायी संतोष जैन के पूर्व परिचित थे एवं ट्रक परिचालन का कार्य करते है। संदेह के आधार पर आरोपियों से पूछताछ में उक्त मामले का खुलासा हुआ। उक्त चारों आरोपियों ने स्वीकार किया कि हमारा मृतक संतोश जैन से पुरानी पहुचान थी। रूपए के लालच में हमने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया।

इस सारे मामले में आरोपियों के कब्जे से एक ट्रक , मोटर सायकल के साथ मृतक की स्कूटी वाहन के अलावा अधजले कलपुर्जे , धारदार चाकू , के साथ 2 लाख 80 हजार रूपए नगद -पुलिस द्वारा बरामद किया गया है । सारे मामले को अंजाम देने वाले आरोपियों पर धारा 302,201,34 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया गया है।

इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में थाना कोतवाली प्रभारी एमन साहू , उपनिरीक्षक होरीलाल , पीयूष बघेल , गुनेश्वरी नरेटी , संजय वट्टी , प्रधान आरक्षक विवेक प्रकाश कोसले के साथ थाना बोधघाट के प्रभारी नि . राजेश मरई , उप नि.अरूण गमदेव के अलावा सायबर सेल के उप नि.कृपाल सिंह गौतम एवं उनके साथियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही ।

2 किलो सोने का लालच देकर, 5 लाख की फिरौती और कर दी हत्या

चारो आरोपियों द्वारा संतोष जैन को 2 किलो सोना बेचने की बात कहकर बुलाया गया और सोना दिखाने के नाम पर उसे नियानार पंचायत में गांव के शरहद में बने एक सुने मकान में ले जाया गया जो आरोपी आजमन सेठिया की बहन का बताया जा रहा है ।जहा चारो आरोपियों ने व्यापारी संतोष जैन का अपहरण कर बंदी बना लिया। इसके दूसरे दिन 26 अक्टूबर को आरोपियों द्वारा मृतक के परिजनों को फ़ोन कर उसे छोड़ने के एवज में 5 लाख रूपए की मांग की गई । पैसे मिलने के बाद आरोपी अपनी पहचान उजागर हो जाने के डर से व्यापारी संतोष जैन की गला रेतकर हत्या कर दी। इसके पश्चात मृतक की लाश को ट्रक क्रं. सीजी 04 एचवाय 6728 में डालकर ग्राम रायकोट में फेंक दिया गया।

सबूत मिटाने पुर्जे फेंका तालाब में

हत्या के बाद मृतक की स्कूटी को छुपाने के लिए चारो आरोपियों ने उसे आग के हवाले कर दिया जिसके बाद स्कूटी को अलग - अलग खोलकर इसके पुर्जे को नियानार के ही एक तालाब में फेंक दिया ।

आरोपियों ने संबंध के आड़ में कर लिया अपहरण

संतोष जैन एक बर्तन व्यापारी थे जिनकी दुकान कुम्हारपारा स्थित मोहन बाड़ा में थी।जहाँ से वो अपनी बर्तन का कारोबार संचालित किया करते थे।इस कारोबार से जुड़े होने की वजह से उनके संबंध ये चारो आरोपियों से थे चुकि बर्तन लाना लेजाना का काम ये आरोपी अपने ट्रक के माध्यम से किया करते थे जिसके चलते आरोपी उमेश यादव से काफी अच्छे संबंध हो गए थे।इन्ही संबंधों के आड़ में उमेश यादव ने व्यापारी को फ़ोन कर 2 किलो सोने का झांसा देकर अपहरण कर लिया।

सीजन की दस्तक, चायपत्ती में आई 100 रु. की तूफानी तेजी

■ ब्रांडेड कंपनियां भी बढ़ाने लगीं कीमतें

नव प्रदेश संवाददाता

भाटापारा- सुबह-सुबह हल्की ठंड की दस्तक के बीच चाय की प्याली गर्म होने लगी है। आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ रही मांग के बाद चाय पत्ती में उबाल का आना चालू हो चुका है। यह इतनी तेज है कि होलसेल से लेकर रिटेल काउंटर तक हैरत में हैं। यह जानने का प्रयास किया जा रहा है कि तेजी के पीछे असल कारण क्या हो सकता है लेकिन इसमें अभी तक सफलता नहीं मिली है। इसके बीच बाजार में पूछ-परख नहीं बल्कि मांग बढ़ चली है।असम के चाय बागानों में इस बार फसल अच्छी होने की खबर बाजार तक पहुंच चुकी है लेकिन तेजी हलाकान किए जा रही है। हलाकान इसलिए कही जा सकती है क्योंकि यह 5 या 10 रुपए की नहीं सीधे 100 रुपए की तेजी आ चुकी है।

खरीदी तो हो रही है लेकिन मांग में गिरावट की बजाए 40 फ़ीसदी ग्रोथ का अनुमान लगाकर चल रहा है बाजार क्योंकि लॉक डाउन के बाद खुली दुकानों और टी-कॉर्नरों मे मांग बढ़ी हुई है। खुली चायपत्ती ही नहीं ब्रांडेड कंपनियों ने भी कीमतें बढ़ानी चालू कर दी है। जिन कंपनियों ने भाव नहीं बढ़ाए हैं उनके छोटे पैक से इसकी शुरुआत होती नजर आ रही है।

इसमें आई 100 रूपये की तेजी

चाय बागानों से आ रही चायपत्ती के बैग की कीमतें बढ़ने के बाद खुले में मिलने वाली

चायपत्ती मे किलो पीछे 100 रुपए की तेजी आ चुकी है। बारीक चायपत्ती एक माह पहले 160 से 170 रुपए किलो पर मिल रही थी वह 100 रुपए की वृद्धि के बाद 260 से 270 रुपए किलो पर मिलने लगी है। कुछ चायपत्तियां 240 रुपए किलो में भी मिल रही है। चायपत्ती मोटी में भी यही हाल है। इसमें 75 से 100 रुपए की तेजी के बाद नई कीमत 190 से 220 रूपए किलो तक जा पहुंची है। हल्की चायपत्तियां पहले 130 रूपए किलो पर मिल रही थी वह अब 205 से 230 रुपए किलो पर मिलने लगी है। बता दें कि इसकी खरीदी चाय ठेले और खोमचे वाले ज्यादा किया करते हैं।

पेक्ड चायपत्ती में भी उबाल

ब्रांडेड कंपनियों में अग्नि का बाजार सबसे ज्यादा रहता आया है क्योंकि यह दूसरे ब्रांड की तुलना में सस्ता होता है। इस बार इसकी प्रति 250 ग्राम के पैक की खरीदी के लिए 75 रुपए खर्च करने होंगे। इसके पहले तक यह 50 रुपए में मिल जाया करती थी। टाटा-टी मे नई कीमत 70 रुपए प्रति 250 ग्राम पर पहुंच गई है तो टाटा प्रीमियम की खरीदी पर 75 रुपए देने होंगे। रेड लेबल की खरीदी पर अब 100 रुपए खर्च करने होंगे। यही नहीं लगभग सभी ब्रांडेड कंपनियों की चायपत्ती की खरीदी इस ठंड में गर्मी पहुंचा सकती है क्योंकि कोरोना काल में परिवहन व्यय काफी बढ़ा हुआ है। इसके अलावा चाय बागानों में मजदूरों की बढ़ी हुई मजदूरी दर भी वजह मानी जा रही है।

सीजन हुआ चालू

चायपत्ती का सीजन नवंबर से चालू हो जाता है। यह जनवरी के अंत तक माना जाता है। वैसे यह पूरे साल मांग में रहती है लेकिन सीजन के 3 माह में मांग सामान्य दिनों की तुलना में दोगुनी हो जाती है लेकिन इस बार यह मांग कुछ कम रह सकती है क्योंकि शादी-ब्याह में सीमित लोगों की मौजूदगी की कड़ी शर्त से बाजार पर फर्क पड़ता दिखाई दे रहा है। इसके बावजूद 40 फ़ीसदी बढ़त की उम्मीद जताई जा रही है क्योंकि इस बार ठंड ज्यादा बढ़ सकती है। मौसम वैज्ञानिक पहले ही इस बात की जानकारी दे चुके हैं कि बीते साल की तुलना में ठंड ज्यादा पड़ेगी।

आसना पंचायत में मनरेगा कार्यों में भ्रष्टाचार

ग्रामीणों ने की जांच की मांग

जगदलपुर। शहर सीमा से लगे जनपद पंचायत जगदलपुर के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत आसना में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत चल रहे कार्यों में जमकर भ्रष्टाचार का खेल अनवरत जारी है ग्राम पंचायत में लगभग 7-8 वर्षों से रोजगार सहायक धनेंद्र चौधरी पदस्थ है जो कि भोले-भाले ग्रामीणों का फर्जी मस्टर रोल भरकर लगातार पैसों का आहरण कर रहा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्व की भाजपा सरकार के दौरान पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन और मनरेगा के तहत जितने शौचालयों की स्वीकृति मिली थी उन शौचालयों का अब तक पूरा निर्माण नहीं हो पाया है स्तर हीन और घटिया निर्माण होने की वजह से शौचालय अनुपयोगी हो गए हैं शौचालयों के निर्माण में मापदंडों का पूरी तरह पालन नहीं किया गया आनन-फानन में शौचालय निर्माण को पूर्ण बताते हुए पूरी राशि का आहरण कर ली गई है जबकि आज भी गांव की महिलाओं को शौचालय के अभाव में मजबूरी वश जंगल झाड़ियों का सहारा लेना पड़ रहा है। गांव के सैकड़ों गरीबों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति प्राप्त हुई है जिसके तहत आवासों का निर्माण किया जा रहा है गांव के आश्रित ग्राम तामाकोनी में बहुत सारे मकान या तो घटिया स्तर के बने हैं या फिर आज भी अधूरे पड़े हैं वहीं कुछ मकानों के निर्माण राशि का बंदरबांट कर लिया गया है।

ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि रोजगार सहायक धनेंद्र चौधरी बाहर से मजदूरों को लाकर गांव में चल रहे निर्माण कार्यों को पूरा कराता है तथा फर्जी मस्टरोल भरकर मजदूरी भुगतान राशि का आहरण बैंक के माध्यम से करता है ग्रामीणों ने बताया कि गांव के अधिकतर मनरेगा मजदूरों की जॉब कार्ड और एटीएम को रोजगार सहायक धनेंद्र चौधरी स्वयं अपने पास रखता है तथा खातों में राशि आने पर आहरण कर लेता है गांव के किसानों के भूमि मरम्मत कार्यों में भी जमकर भ्रष्टाचार का खेल मनरेगा के तहत खेला गया है जहां गांव के मंदिर का मजदूरों को अब तक मजदूरी प्राप्त है।

वहीं दूसरी तरफ कुछ किसानों को मालूम भी नहीं है कि उनके खेतों के मरम्मत के नाम पर फर्जी तरीके से राशि का आहरण भी कर लिया गया है पूर्व में भी इस रोजगार सहायक के खिलाफ ग्रामीणों ने शिकायत करते हुए जिला प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराया था बावजूद इसके इस रोजगार सहायक पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही अथवा जांच नहीं की गई है क्योंकि यह रोजगार सहायक संगठन में भी पदाधिकारी के रूप में पद में रह चुका है इसीलिए इस रोजगार सहायक को राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग करते हुए गांव में विगत 5 वर्षों के दौरान हुए मनरेगा के कार्यों की जांच करने की बात कही है साथ ही साथ रोजगार सहायक द्वारा कराए गए कार्यों की जांच करने की मांग भी ग्रामीणों द्वारा की गई है।

ग्राम कोकोड़ी में बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट निर्माण पर उठे विवाद पर

■ ग्रामीणों को कलेक्टर ने दी समझाईश

कोण्डागांव। ग्राम कोकोड़ी में लगभग पूर्णता की सीमा में निर्मित हो चूके बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट के संबंध में उठे विवाद को लेकर कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा की अध्यक्षता में जनप्रतिनिधियों एवं उक्त ग्राम के ग्रामीणों की आवश्यक बैठक आज आयोजित की गई थी। बैठक में कलेक्टर ने ग्रामीणों को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल तथा हाई कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए बताया कि पूरे बस्तर संभाग में बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट के निर्माण हेतु कोण्डागांव जिले का पूर्व में ही चयन किया गया था और यह प्लांट पूरी तरह शासन के नियमानुसार एवं ग्रामीणों की सहमति के आधार पर निर्मित किया जा रहा है। प्लांट के लिए भूमि चयन में भी किसी प्रकार की विवाद की स्थिति पूर्व में नहीं थी। उन्होंने आगे बताया कि प्लांट के निर्माण होने से प्रदूषण इत्यादि की कोई संभावना नहीं है, जिससे स्थानीय ग्रामवासी प्रभावित हो सकते हैं और तो और राज्य के अनेक जिले जैसे रायपुर के समीप भी इस तरह के मेडिकल वेस्ट प्लांट का संचालन बिना किसी बाधा के हो रहा है। इसके साथ ही इस संयंत्र के माध्यम से स्थानीय

ग्रामीणों, युवाओं को भी रोजगार के नये अवसर मिलेंगे। उन्होंने इस संबंध में ग्रामीणों से किसी भी प्रकार के भ्रामक अफवाह में न आने की अपील भी की।

ज्ञात हो कि ग्राम कोकोड़ी में 'व्हीएम टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड' रायपुर द्वारा मेडिकल वेस्ट प्लांट का निर्माण लगभग दो वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था और वर्तमान में इस प्लांट का 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चूका है। इस संयंत्र में जिले भर के मेडिकल अपशिष्टों एवं सामग्रियों का निस्तारण पूरी तरह जनहित, स्वास्थ्यगत जारी गाइड लाईन के अनुरूप होगा। बैठक में स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी ग्रामीणों को समझाईश देते हुए संयंत्र का विरोध न करने को कहा। इस दौरान बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष देवचंद मातलाम, जनप्रतिनिधि मनीष श्रीवास्तव, तरूण गोलछा, बालसिंह बघेल सहित एसडीएम बीआर ध्रुव, डिप्टी कलेक्टर गौतम चंद पाटिल एवं अन्य ग्रामीण उपस्थित थे।

माओवादी विरोधी अभियान के दौरान 1 माओवादी गिरफ्तार

मार्ग अवरूद्ध करने एवं रोड निर्माण कार्य में लगे वाहनों एवं उपकरण में आगजनी में था शामिल

थाना उसूर क्षेत्रान्तर्गत नरसापुर के जंगल से माओवादी स्मारक ध्वस्त

बीजापुर - नवप्रदेश। जिले में चलाये जा रहे माओवादी विरोधी अभियान के तहत् पुलिस अधीक्षक बीजापुर कमलोचन कश्यप के दिशा निर्देशन में 04 नवंबर 2020 को थाना भैरमगढ़ से जिला बल एवं डीआरजी का बल घुड़साकल, टिण्डोडी, बिरियाभूमि, उसपरी की ओर रवाना हुई थी। अभियान के दौरान मुखबीर की सूचना पर टिण्डोडी से 01 माओवादी को पकड़ा गया। पकड़ा गया माओवादी नाम आशा राम लेकामी पिता वोक्का लेकामी उम्र 26 वर्ष निवासी टिण्डोडी थाना भैरमगढ़ के विरूद्ध 06 अक्टूबर 2017 को टिण्डोडी से मेन रोड की ओर जाने वाले पुलिया को तोडफोड कर मार्ग अवरूद्ध करने, एवं 26 अक्टूबर 2020 को ग्राम टिण्डोडी रोड निर्माण कार्य में लगे वाहन, मिक्सर मशीन को आगजनी करने की घटना में शामिल था। जिसके विरूद्ध थाना में 01 स्थाई वारंट भी लंबित है। पकड़े गये माओवादी के विरूद्ध थाना भैरमगढ़ में विधिवत कार्यवाही उपरान्त रिमाण्ड पर मुख्य न्यायीक मजिस्ट्रेट के न्यायालय बीजापुर पेश किया गया। माओवादी विरोधी अभियान के दौरान 03 नवंबर 2020 को डी आर जी, एसटीएफ एवं 229 के रि पु बल द्वारा थाना उसूर क्षेत्र अंतर्गत नरसापुर के जंगलों में माओवादियों द्वारा बनाए गए स्मारक को ध्वस्त किया गया।